हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

24 मार्च, 2015

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

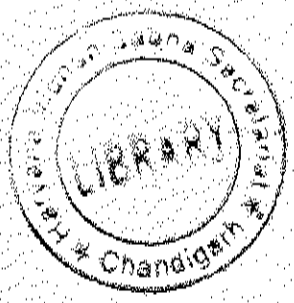

विषय सूची

मंगलवार, 24 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(12)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)1
विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनन्दन	(12)18
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(12)27
वाक–आउट	(12)27
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(12)28
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(12)30
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(12)36
मुख्यमन्त्री द्वारा घोषणा	(12)37
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना/विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(12)40

मूल्य : 563

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

पानीपत में एक शिविर में आंखों के आपरेशन के कारण 13 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली जाने संबंधी (12)47

वक्तव्य–

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (12)80

प्रशंसा एवं धन्यवाद संबंधी प्रस्ताव (12)81

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

हरियाणा राज्य में स्वच्छ पेयजल की समस्या संबंधी (12)80

वक्तव्य–

लोक निर्माण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (12)80

वर्ष 2015–16 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (12)84

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2015–16 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण) (12)84

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2015–16 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण) (12)85

बैठक का समय बढ़ाना

वर्ष 2015–16 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण) (12)85

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 24 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री जी सदन में शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री माडू राम, गांव साबन, जिला रेवाड़ी के 14 मार्च, 2015 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के राजबाग पुलिस थाने पर 20 मार्च, 2015 को हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए तीन वीर सैनिकों, जिनमें श्री सतीश कुमार, गांव छात्तर, जिला जींद भी शामिल हैं, के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मपाल ओबरा के भाई श्री अर्जुन सिंह के 17 मार्च, 2015 को हुए दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी श्री माडूराम, गांव साबन, जिला रेवाड़ी के 14 मार्च, 2015 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के राजबाग पुलिस थाने पर 20 मार्च, 2015 को हुए आतंकवादी हमले में शहीद हुए तीन वीर सैनिकों, जिनमें श्री सतीश कुमार, गांव छात्तर, जिला जींद भी शामिल हैं, के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। इसके साथ-साथ मेरी सदन से प्रार्थना है कि जो सतीश कुमार जी

[श्री जसविन्द्र सिंह संधू]

शहीद हुए हैं उसके पीछे तीन जवान लड़कियां हैं जिनमें से दो तो विवाह करने लायक हैं, एक बच्चा बिल्कुल छोटा है और उसके माँ-बाप बिल्कुल बूढे हैं तथा घर में इसकी नौकरी के अलावा अर्थव्यवस्था का कोई साधन नहीं है तो मेरा सदन से खास तौर से सदन के नेता से अनुरोध है कि उसके परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने पर गौर फर्माया जाए। मैं अपनी ओर अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मपाल ओबरा के भाई श्री अर्जुन सिंह के 17 मार्च, 2015 को हुए दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूँ।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, I, on behalf of my Congress Party place on record a deep sense of sorrow on the sad demise of freedom fighter Shri Madu Ram, District Rewari on March 14, 2015 and similarly, the brave soldiers who were killed in Rajbagh Police Station in Kathua, District Jammu and Kashmir on March 20, 2015 including Shri Satish Kumar, the soldier belonging to Village Chhatar, District Jind, Similarly, I place on record a deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Arjun Singh, brother of Shri Dharampal Obra, former Member of Haryana Legislative Assembly on March 17, 2015. I resolve to convey our heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

Sir, I also support the demand raised by Shri Jaswinder Singh Sandhu for giving benefits to the bereaved family of the soldier who was killed in Kathua.

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के सदस्यों की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी और वीर सैनिक के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है और सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने जो संवेदना प्रकट की है, मैं भी अपनी भावनाएँ उनके साथ जोड़ता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानी श्री माडू राम, गांव साबन, जिला रेवाड़ी के 14 मार्च, 2015 को हुए दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं 20 मार्च, 2015 को जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के राजबाग पुलिस थाने पर आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हुए तीन वीर सैनिकों जिनमें श्री सतीश कुमार, गांव छातर, जिला जींद भी शामिल हैं, के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री धर्मपाल ओबरा के भाई श्री अर्जुन सिंह के 17 मार्च, 2015 को दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति

प्राप्त हो सके। मैं सदन की भावनाएँ शोक-संतप्त परिवारों तक पहुँचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूँगा कि वे दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

Sewerage System in Safidon

***500. Sh. Jasbir Singh :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govenment to set up the sewerage system in Safidon Town;

(b) if so, the time by which the above said work is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) हाँ श्रीमान् जी। सफीदों शहर में सीवर लाईन बिछाने तथा 9 एम.एल.डी. की क्षमता वाले मल शोधन संयंत्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) उपरोक्त कार्य 31.10.2016 तक पूरा किये जाने की संभावना है।

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि आज तक इसकी सिर्फ चार दीवारी ही हुई है और यह सीवरेज 20 साल पहले डलना शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया कि यह काम 31 अक्तूबर, 2016 तक होने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह तीन जोनों में बंटा हुआ है और अभी तक लगभग 20 प्रतिशत ही काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से डिटेल में जानकारी देने का अनुरोध करता हूँ।

राव नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि इसको तीन जोनों में बांटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक जोन में 80 प्रतिशत, दूसरे जोन में 40 प्रतिशत और तीसरे जोन में तकरीबन 10-20 प्रतिशत के बीच में काम पूरा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, इसमें टोटल 19 करोड़ 70 लाख रुपये का काम है, इस काम पर 2 करोड़ 34 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि यह काम 31 अक्तूबर, 2016 तक पूरा हो जायेगा।

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें पानी की भी समस्या है। ट्यूबवैलों और पाईप लाईन बिछाने के लिए 1 करोड़ 98 लाख रुपये मंजूर हुए थे और 1 करोड़ 98 लाख रुपये में से ट्यूबवैल्स लग जायें तो शहर की व्यवस्था ठीक हो जायेगी।

राव नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सफीदों शहर में तकरीबन आगे 20 ट्यूबवैल काम कर रहे हैं। जहां तक मुझे इस बारे में जानकारी है कि शहर में ट्यूबवैल की और आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शहर में कुछ इलाके ट्यूबवैल से नहीं जुड़े हुए हैं उनमें भी जल्दी से जल्दी ट्यूबवैल से जोड़ने का काम कर दिया जायेगा।

Shortage of Staff

***510. Sh. Ghan Shyam Dass :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of staff in different Government Departments; if so, whether there is any proposal to meet out the shortage of staff?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान् जी, सरकार के विभागों में स्टाफ की कमी है और इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ कि यमुनानगर नगर निगम बनने के बाद वहाँ पर ना तो इंडीपेंडेंट कमीश्नर है और न ही इंडीपेंडेंट ज्वाइंट कमीश्नर है और इनके अतिरिक्त नगर निगम का काम चलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सदा अभाव रहा है, जिसके कारण नगर निगम का विकास पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोगों को बहुत सी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कमीश्नर, ज्वाइंट कमीश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों की कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी या फिर किसी अन्य स्थान से अधिकारियों के तबादले करके यमुनानगर नगर निगम में शिफ्ट कर दिये जायेंगे?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपका और माननीय सदस्य श्री घनश्याम दास जी का जिला एक ही है। आपकी मुस्कराहट से अंदाजा लग रहा है कि आप भी इस प्रश्न के उत्तर में रूचि रखते हो। यमुनानगर नगर निगम में इंजीनियर और वरिष्ठ अधिकारियों के रिक्त पदों को जल्दी ही भरा जायेगा। पिछले सालों से हरियाणा में 61 हजार पद रिक्त हैं और 84 हजार पदों पर लेबर वर्क चार्ज के रुप में कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों और अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया करने में पिछले दिनों कुछ सरकार के सामने दिक्कतें आई हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का गठन कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। पिछली सरकार की चयन प्रक्रिया में अनियमितताएँ पाये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नियुक्तियों को रद्द कर दिया। कुछ नियुक्तियों को साईटिफिक वैरिफिकेशन के पद से निरस्त कर दिया गया। माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूँ। यमुनानगर नगर निगम के क्षेत्र और अध्यक्ष महोदय, आपके जगाधरी क्षेत्र में आने वाले दिनों में सरकार इस बात का पूरा ध्यान देगी।

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब से पंचकूला नगर निगम में जिन गाँवों को शामिल किया गया है तब से एक भी सफाई कर्मचारी आज तक उन गांवों में नहीं गया है, जिससे गांवों में जो पहले से सफाई की व्यवस्था चल रही थी, वह भी रूक गई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कब तक सफाई कर्मचारियों और पंचकूला नगर निगम में अन्य कर्मचारियों की कमी को पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने दूसरा मुद्दा उठाया है। सरकार को हरियाणा के नगर निगमों, तहसीलों, जिलों और सब डिविज़न आदि में उनकी वैधानिक स्थिति के बारे में समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती है। जिस प्रकार से माननीय सदस्य को पंचकूला नगर निगम की चिन्ता है उसी प्रकार से अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी दो नगर निगमों को लेकर भी माननीय सदस्य माननीय मुख्यमत्री महोदय से मिलते रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट रिऑरगेनाइजेशन कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी हर स्थान पर जाकर इस समस्या का समाधान करेगी।

श्री अनूप धानक: अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र उकलाना में सचिव सहित कई पद खाली हैं और मेरे क्षेत्र में एक नई नगरपालिका का निर्माण किया गया है परंतु इसमें अब तक सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन सफाई कर्मचारियों तथा सचिव की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं और जैसा कि मैंने पहले भी सदन में बताया है कि हरियाणा प्रदेश में 61 हजार से ज्यादा रिक्त स्थान हैं। मैंने कर्मचारी चयन की प्रक्रिया के बारे में भी बताया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि यदि उकलाना क्षेत्र का उनका कोई मनपसंद कर्मचारी उनके ध्यान में हो तो हमें लिखकर दे दें हम उसकी नियुक्ति कर देंगे।

SEZ in the Gurgaon-Jhajjar Region

***542. Sh. Ravinder Machhrouli :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in the year 2005 the Government entered into an alliance with Reliance Industries to set up a SEZ in the Gurgaon-Jhajjar region covering 25000 acres;

(b) if so, the present status of the project; and

(c) the employment generated by this project?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : महोदय, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

(क व ख) हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम (HSIIDC) व रिलायंस वैंचर लिमिटेड द्वारा 12 दिसम्बर, 2005 को आपसी समझ का ज्ञापन हस्ताक्षर

[कैप्टन अभिमन्यु]

किया गया था। मंत्री परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर गुड़गांव-झज्जर क्षेत्र पर 25000 एकड़ भूमि, निगम द्वारा 19.06.2006 को अधिक संकर्मों के लिये विकसित करने बारे विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतू रिलायंस वेंचर लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम इकरारनामा किया गया था। जबकि बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस विशेष आर्थिक जोन परियोजना को समाप्त कर दिया जावे हेतू समापन तथा तदानुसार इकरारनामा पर दिनांक 29.08.2014 को हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) चूंकि इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया था इसलिये रोजगार जनित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रविन्द्र मछरौली : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या रिलायंस कम्पनी से समझौता करने से पहले इस कीमती जमीन के लिए सरकार ने टैण्डर मंगवाये थे या बिना किसी कम्पीटीशन के सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुँचाने के लिए कोई समझौता हुआ था ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, वर्ष 2003 में हरियाणा की सरकार ने गुड़गांव जिले के गांव खांडसा, नरसिंहपुर, मुहम्मदपुर झाड़सा, जाड़ौली खुर्द, गढ़ी हरसरू की 1779.4 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रारम्भ किया था और यहां पर एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा स्पैशल इकॉनोमिक जोन विकसित किया जाना था। 28 जनवरी, 2004 को 1715 एकड़ जमीन का सैक्शन 6 हुआ और और अंत में 27 जनवरी, 2006 को 1601 एकड़ जमीन का अवार्ड हुआ। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 66 केस 128 एकड़ के लिए लम्बित हैं। निश्चित तौर पर गुड़गांव जिले की दिल्ली के साथ लगते हवाई अड्डे के पास पर इस बेशकीमती जमीन को एच.एस.आई.आई.डी.सी. के उपयोग करने से औद्योगिक विकास की संभावना बन सकती थी। लेकिन माननीय विधायक का प्रश्न है कि क्या यह जमीन कोई टैण्डर के प्रोसेस के द्वारा या किसी कम्पीटिटिव बीडिंग के द्वारा एक प्राइवेट कम्पनी को दी गई थी या किसी अलग समझौते के माध्यम से दी गई थी। मैं विधानसभा के पटल पर आपके माध्यम से यह तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इसका एम.ओ.यू. करने या समझौता करने से पहले अन्य किसी भी पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई और न ही किसी अन्य पार्टी को अवसर दिये कि वह भी इसका पूरी तरह से आंकलन करके और कम्पीटिटिव प्रोसैस और बिडिंग के माध्यम से पार्टी को आमंत्रित किया जाता। इस प्रकार की कोई कम्पीटिटिव बीडिंग या टैंडर का मार्ग न अपना करके सरकार ने एक कंपनी के साथ सीधा एक एम.ओ.यू.साईन किया जिसमें किसी प्रकार की कोई कम्पीटिटिव बीडिंग नहीं हुई।

श्री रविन्द्र मछरौली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जब यह समझौता रद्द किया तो क्या सरकार ने उस समझौते की शर्तों के अनुसार उस कम्पनी पर पैनेल्टी लगानी चाहिए थी क्या वह पैनेल्टी सरकार द्वारा उस कम्पनी पर लगाई गई थी ?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, जो यह एस.ई.जैड का मामला है यह गुडगाँव और झज्जर के बीच की जमीन का मामला है। इस जमीन के बारे में कई बार हरियाणा सरकार और

भारत सरकार के बीच मामला उलझा रहा और उस समझौते में कई मोड़ आये। कभी तो 25 हजार एकड़ जमीन तो कई बार उसके दो टुकड़े करके साढ़े बारह-साढ़े बारह हजार एकड़ जमीन एस.ई.जैड बनाने की योजना बनाई गई। इस मामले में परिवर्तन कई बार बीच बीच में होते रहे। शुरूआत में यह समझौता कैबिनेट के फैसले के कारण हुआ। उसके बाद बीच में बिना कैबिनेट को जानकारी दिए उस समझौते में बहुत सारे परिवर्तन होते चले गये। अन्ततोगत्वा जब यह तय हुआ कि एस.ई.जैड यहां पर नहीं लगाया जायेगा तो यह निर्णय हुआ कि इकरारनामें को रद्द करते हुए जो जमीन सरकार ने इस कम्पनी को देने के लिए किसानों से ली थी वह जमीन सरकार को वापिस लौटा दी। इसमें एक प्रावधान यह हो सकता था कि 15 प्रतिशत पैनेल्टी सरकार के द्वारा कम्पनी पर लगाई जा सकती थी जिसकी राशि लगभग 60 करोड़ रूपये बन सकती थी। यह राशि मैं सदन की जानकारी के लिए अन्दाजे से बता रहा हूं। सरकार ने अपनी समझ के अनुसार कोई पैनेल्टी का प्रोविजन न लगाकर उस कम्पनी के इकरारनामे को रद्द करने का काम किया।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गुड़गाँव और झज्जर के बीच की 1700 एकड़ जमीन थी वह एच.एस.आई.आई.डी.सी. की थी जो रिलायन्स कम्पनी को दी गई थी लेकिन रिलायन्स कम्पनी ने 25000 एकड़ जमीन पर एस.ई.जैड को स्थापित करना था। एस.ई.जैड के लिए बाकी जमीन स्पेशल इकोनोमिक जौन के लिए रिलायन्स कम्पनी द्वारा खरीद की जानी थी अत: रिलायन्स कम्पनी ने किसानों की जमीन को सीधे तौर पर खरीद लिया। सरकार ने उस वक्त किसानों को यह कहा था कि इस क्षेत्र में रिलायन्स कम्पनी दस लाख करोड़ रूपये का निवेश करेगी और एस.ई.जैड. के माध्यम से हरियाणा में निवेश आयेगा और दस लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। जब सरकार ने रिलायन्स कम्पनी के साथ जो अनुबन्ध किया गया था उसको कैंसिल किया तो यह निर्णय नहीं किया कि जो जमीन रिलायन्स कम्पनी ने किसानों से खरीदी थी उस जमीन का अब क्या किया जायेगा ? उस वक्त एक इण्डिस्ट्रिएल जौन स्थापित करने के लिए किसानों ने इस डर से उस जमीन को रिलायन्स कम्पनी को दे दिया कि अगर हम 25 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से रिलायन्स कम्पनी को यह जमीन नहीं देंगे तो इस जमीन को सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया जायेगा। उस समझौते में यह प्रावधान किया गया था कि एस.ई.जैड के लिए 25 प्रतिशत जमीन तो सरकार द्वारा एक्वायर की जायेगी और बाकी की 75 प्रतिशत जमीन को रिलायन्स कम्पनी द्वारा सीधे किसानों से खरीदा जायेगा। उस वक्त किसानों ने यही सोचा कि अगर हम रिलायन्स कम्पनी को जमीन नहीं देंगे तो सरकार इस जमीन को एक्वायर करके रिलायन्स कम्पनी को दे देगी। इस प्रकार से उस जमीन को कम भाव में खरीदकर वहां के किसानों को लूट लिया गया। इस सारे प्रकरण में रिलायन्स कम्पनी द्वारा पहले गुड़गाँव और झज्जर के बीच में एस.ई.जैड बनाने के लिए उस क्षेत्र को डिक्लेयर किया गया उसके बाद उस एस.ई.जैड को कैंसिल कर दिया गया और जो निवेश हरियाणा के अन्दर आना था वह नहीं आया। जिन बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलना था वह नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सारे मामले की जाँच करवायेगी और जो इस मामले में दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी ?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बताया कि एस.ई.जैड के माध्यम से तत्कालीन सरकार के प्रति निवेश की सम्भावनाओं का वातावरण प्रस्तुत किया था कि लाखों लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावनाएं के बारे में प्रदेश की जनता को भरोसा जगाया था। यह बात

[कैप्टन अभिमन्यु]

सही है कि पिछली सरकार के समय में हरियाणा प्रदेश में 37 एस.ई.जैड मन्जूर हुए थे। एस.ई.जैड की नीति के बारे में काफी प्रचार किया गया लेकिन अन्ततोगत्वा 30 के करीब एस.ई.जैड आज की तारीख में खारिज हो चुके हैं। रिलायन्स कम्पनी द्वारा एस.ई.जैड के माध्यम से दो लाख रोजगार सीधे तौर पर लाभान्वित होने की सम्भावनाओं के बारे में बताया गया था और दो लाख लोगों को इन्डायरेक्ट तौर पर रोजगार देने की संभावनाएं बताई गई थी और 30 से 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश इस क्षेत्र में करने की बात कही गई थी। लेकिन यह बात सर्वविदित है कि हरियाणा प्रदेश में एस.ई.जैड की नीति फलीभूत नहीं हो पाई थी। केवल मात्र यह झूठे दावे ही रह गये और आज उसकी परिस्थिति सामने है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि अनेकों किसान अपनी जमीन किसी कारण से दवाब में आकर रिलायन्स कम्पनी को बेचने के लिए विवश हुए, मजबूर हुए। मैं इस मामले में इतना ही कह सकता हूं कि चूंकि कुछ मामले लोअर कोर्ट में और माननीय हाई कोर्ट में लंबित हैं इसलिए वह प्राईवेट कम्पनी अब किसी प्राईवेट व्यक्ति से जमीन खरीद रही है क्योंकि कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है, इसलिए इस बारे में कुछ और अधिक कहना उचित नहीं होगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में जो 25 हजार एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है कृपया उस मामले की जाँच करवाई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत बड़ा मुद्दा है। काफी बातें तो क्लीयर हो चुकी हैं। कुछ सच्चाई तो सामने आ गई है। इस पर चर्चा में तो बहुत समय लग जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं तथा सरकार की तरफ से कह सकता हूं कि इनकी भावना से हम पूरी तरह से परिचित हूँ। (विघ्न) इनका सवाल तो मैं पहले ही जानता हूं। मैं सरकार की तरफ से बड़ी जिम्मेवारी से इतना ही कहूंगा कि सरकार के संज्ञान में यदि कोई भी कानूनी बेकाईदिगियाँ आती हैं जैसे पहले भी सदन के नेता ने विश्वास दिलाया है कि अतीत में इस प्रकार के अनेकों मामले हुए हैं जो परत-दर-परत उजागर हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के अनेकों मामलों के कंकाल कप-बर्ड से निकलकर सामने आ रहे हैं, उन सब की बारीकी से जांच होगी तथा जहां कहीं भी कोई कानूनी कमी पाई जायेगी निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी तथा दोषियों को सजा देने का काम भी करेगी। (विघ्न)

Collection and Recovery of Milk Cess

***558. Sh. Balwant Singh Sadhaura :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state—

(a) the current status of recovery of milk cess being imposed on milk plants;

(b) the efforts made by the State Government for recovery of milk cess;

(c) whether there is any proposal under cosideration of the Government for one time settlement of the pending interest liability of milk cess?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान जी, विभिन्न दुग्ध संयंत्रों से 565.29 करोड़ रुपये दुग्ध कर की देय राशि में से 52.08 करोड़ रुपये दिनांक 31.12.2014 तक वसूले जा चुके हैं।

(ख एवं ग) दुग्ध कर की वसूली हेतु सक्षम प्राधिकारी जोकि सम्बन्धित सीमन बैंक अधिकारी हैं, द्वारा विभिन्न दुग्ध संयंत्रों को मांग नोटिस भेजे जा रहे हैं। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित होने के कारण, निपटारे के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न दुग्ध कर की वसूली के बारे में पुछा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर दुग्ध उत्पादन पर सैस इसलिए लगाया गया था ताकि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े तथा प्रदेश में मुर्रा नस्ल जैसे दुधारू पशुओं को विकसित किया जाये तथा जो लोग डेरी चला रहे हैं, वे प्रति लीटर प्रतिदिन 10 पैसे इसके लिए देवें। मान्यवर, 122 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि इकट्ठी हो गई जो कि जमा नहीं हुई। इस राशि पर ब्याज व पैनल्टी 442 करोड़ 54 लाख रुपये की बन गई और कुल मिलाकर 565 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि हो गई। इस राशि की उगाही की जानी थी जो नहीं की गई। केवल हरियाणा राज्य में ही दुग्ध उत्पादन पर सैस लगाया हुआ है तथा भारत के अन्य राज्यों में ऐसा कोई सैस नहीं लगाया गया है इसलिए इसको रद्द कराने के लिए इस मामले में जो प्रभावित पार्टियाँ थीं वे कोर्ट में चली गई और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला उनके खिलाफ दे दिया। उसके बाद वे लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में चले गये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो मूल राशि बनती है पहले कम से कम उसकी आधी राशि जमा कराई जाये उसके बाद ही मामले की सुनवाई की जायेगी परिणामस्वरूप अब 52 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि आ गई है तथा शेष राशि अभी बकाया है। अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि इस विषय में कई बातों पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। कई तरह के बैंक होते हैं ओर पशुओं के लिए एक सीमन बैंक भी होता है लेकिन सीमन बैंक के अधिकारियों को भी वसूली की जिम्मेवारी दे दी गई। यह तो अक्सर सुना गया है कि बैंक वाले और एक्साईज़ एण्ड टैकसेसन विभाग के अधिकारी तो वसूली करते हैं। कई ऐसी गलतियां हुई हैं जैसे वास्तव में वसूली का काम उनके बस का था ही नहीं, उनके पास कोई अथोरिटी ही नहीं थी, न ही उनके पास कोई चैकिंग की अथोरिटी थी और न ही उनके पास कहीं जाने की अथोरिटी थी। अपने आप किसी ने उनको पैसे देने नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस सिस्टम में कई बातों को सुधारने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने सही सवाल उठाया है इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। जवाब में तो कहा गया है कि दुग्ध करों की बकाया ब्याज देनदारी एकमुश्त निपटारे के लिए विचाराधीन नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से इस रास्ते पर चर्चा हुई है कि कैसे हम इस बकाया ब्याज देनदारी को एकमुश्त में निपटाने की तरफ आगे बढ़ेंगें और कैसे ऐसी अथोरिटी को इस राशि के कोलैक्शन की जिम्मेदारी दी जाए जो ठीक तरीके से काम कर सके । कुछ जैन्युन सवाल डेयरी वालों ने भी उठाए हैं जैसे उन्होंने कहा कि हमारी 60 लाख लीटर प्रति दिन दूध प्रोसैस करने की कैपेसिटी है लेकिन किसी सीजन में हमको 30 लाख लीटर ही दूध मिल रहा है तो आप यदि 60 लाख लीटर पर कर लगाएंगें तो हम पर पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप कैपेसिटी पर

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]
टैक्स मत लगाइए बल्कि एक्चुयल प्रोसैसिंग पर लगाइए। उनकी ये बातें वाजिब हैं इसलिए उन सब पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।

विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अभिनन्दन

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट कालेज फार वूमैन, मतलौडा, पानीपत की 11 छात्राएं अपने दो प्राचार्यों के साथ आज इस महान सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हैं, मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जो दुग्ध मिल्क प्लांट थे उनके 31.12.2014 तक 565 करोड 29 लाख रूपये बकाया थे और मात्र 52 करोड़ रूपये की रिकवरी आई है। रिकवरी क्यों कम हुई है और जिन सरकारी अधिकारियों ने या मिल्क प्लांट के अधिकारियों ने रिकवरी नहीं की है क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने बारे सरकार विचार कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की इस भावना को समझते हुए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिन लोगों के जिम्मे इस वसूली के काम को लगाया गया था वे इस तरीके की वसूली के अभ्यस्त लोग नहीं थे। उनके पास कोई अथोरिटी नहीं थी। बीच में विभाग ने कुछ ऐसे प्रयास किए कि उनके पास कुछ अथोरिटी आये लेकिन वह अथोरिटी उनको अलाउ नहीं हुई कि वे जाकर उसको चैक कर सकें या कोई और कार्यवाही कर सकें। इसलिए निश्चित रूप से इसकी कोलैक्शन के सिस्टम को बदलना समय की आवश्यकता है। जिस तरह यह रिकवरी स्टैंड कर रही है और वह आगे रैगुलर हो, इस मामले से निपटने की आवश्यकता है।

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, आज सरकार का लक्ष्य कृषि का डायवर्सीफिकेशन करके हर किसान को अधिक लाभ पहुंचाना है और जैसा कि सरकार डेयरी डिवैल्पमैंट के लिए विचार कर रही है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार और मिल्क प्लांट लगाने जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है सरकार उस से प्रेरित है। एग्री लीडरशिप समिट में भी हमारे प्रदेश की सबसे अच्छी नस्ल के पशुओं का पैवलियन लगाया गया था। वहां पूरी डिस्कशन का विषय यही था। पहले हरियाणा के बारे में हम कहते थे कि "देशों में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना।" अमूल जिस तरह से देश में आइकन बना है उसी तरह वीटा की सफलता भी एक विषय है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे व्यवसायों में हमारी सरकार के अनुभव सुंदर नहीं हैं यानि बहुत सारे व्यवसायों में सरकार उस लैवल पर कामयाब नहीं होती है जितना होना चाहिए लेकिन अधिक से अधिक डेयरी डिवैल्पमैंट प्रदेश में हो, निजी लोगों के माध्यम

से भी हो और अधिक से अधिक दुधारू पशु हरियाणा में हों ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। हम इस दिशा में भी आगे बढ़े हैं कि भारतीय गौवंश की जो गाय है वह भी किस प्रकार से घर में आकर के उस सारे का हिस्सा बने। निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन हो। मैं बताना चाहता हूं कि दूध उत्पादन में हम देश में तीसरे नम्बर पर हैं जबकि आकार छोटा होते हुए भी हरियाणा को एक नम्बर पर होना चाहिए। यहां के पशु पालक 2 करोड़ लीटर दूध रोजाना प्रोसैस कर रहे हैं। पंजाब में दो करोड़ 60 लाख लीटर दूध और गुजरात में दो करोड़ 70 लाख लीटर दूध प्रोसैस हो रहा है। मुझे मालूम है कि हमारे किसानों में, माताओं और बहनों में इतना सामर्थ्य है कि आज अगर हम अपने पशु डबल करना चाहें तो हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज पशु पालन पर बहुत जोर दिया जा रहा है और बहुत से गरीब परिवार दूध को बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं लेकिन पिछली सरकार में दूध का रेट 57 रुपये प्रति लीटर था जो आज घटकर 46 रूपये हो गया है यानि 11 रुपये प्रति लीटर का घाटा आज पशु पालक को हो रहा है। क्या इस प्रकार से सरकार पशु पालन के व्यापार को बढ़ावा देगी या जो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनको खत्म करने की तरफ ये कदम है ? अध्यक्ष महोदय, दूध के रेट क्यों घटाए जा रहे हैं इस बारे में क्या मंत्री जी बताएंगें ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्प्रेट क्वैश्चन है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह स्प्रेट क्वैश्चन नहीं है बल्कि प्रदेश के गरीब लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अलग क्वैश्चन है। आज दूध का क्या भाव है और पहले क्या भाव था यह पूरी तरह से अलग क्वैश्चन है ? हम मानते हैं कि माननीय सदस्य इसके पूरे डाटा लेकर आए होंगे। माननीय साथी को इसकी पूरी जानकारी बाद में भिजवा दी जाएगी।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आज भी दो रुपये दूध का रेट कम हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप बैठें। यह अलग क्वैश्चन है। मंत्री जी के लिए स्प्रेट क्वैश्चन का जवाब देना पोसीबल नहीं है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर प्रोत्साहन योजना के तहत 4 रुपये प्रति लीटर डेयरी मालिकों को दिए जाते थे वे पैसे अब बंद कर दिए गए हैं। मंत्री जी को भी इस बात का ज्ञान होगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अच्छे दूध उत्पादकों के लिए 5.75 करोड़ रुपये के पुरस्कार अभी एग्री लीडरशिप समिट में दिये गये हैं। जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है मंत्री होने के नाते उससे मेरा पूरा कंसर्न है। दूध का रेट केवल सरकार निर्धारित नहीं करती है। दूध का रेट बाजार पर निर्भर होता है कि उत्पादन कितना हो रहा है और डिमांड कितनी है? माननीय सदस्य का जो कंसर्न है वह बहुत सही है। इसका उत्तर माननीय सदस्य को लिखित में भिजवा दिया जायेगा। यह अलग प्रश्न है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आज 4-5 लाख लीटर दूध की डेली प्रीक्योरमैंट है। 11 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रदेश के गरीब आदमियों का एक साल में करीबन 180 करोड़ रुपये का नुकसान बनता है। यदि प्राईवेट प्रीक्योरमैंट सैंटर्ज रिलायंस, अमूल, मोडर्न डेयरी का भी मिलायें तो हजारों करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। इनका रेट सरकार के रेट से टैली करता है। क्योंकि सरकार रेट घटाती है तो इनका रेट भी कम होता है। आज एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का गरीब दूध उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी की भावनाओं और जोश के साथ इनका सवाल हमें स्वीकार है। माननीय साथी की फीलिंग्ज के अनुरूप जवाब लिखित में भिजवा दिया जायेगा।

Repair of Minor

***516. Sh. Krishan Lal Panwar :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that tail of Urlana Minor falls in village Kurana (Panipat) which enamates from Butana canal but the water does not reach up to its tail due to un even level; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to level the above said minor; and

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative the time by which the above said work is likely to be completed?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हां श्रीमान् जी। नई उरलाना माइनर का अंतिम छोर पानीपत जिले के कुराना गांव में पड़ता है, जो कि बुटाना ब्रांच से निकलती है और बुटाना ब्रांच के हैड से इसमें पूरी तरह से निकासी की सप्लाई न लेने के कारण और इसके असमतल और टूटी हुई लाईनिंग के कारण पानी लगातार इसके अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता।

न्यू उरलाना माइनर के निकलने वाले बिन्दू के ऊपर जरूरी जलस्तर बनाये रखने के लिये बुटाना ब्रांच पर क्रास-रेगूलेटर बनाने की परियोजना है और इसके अतिरिक्त असमतल तल और दूसरे ढांचों की मुरम्मत तथा जीर्णोद्धार की भी परियोजना है।

(ख) श्रीमान् जी, बुटाना ब्रांच में क्रास-रेगूलेटर बनाने का कार्य फरवरी, 2015 में शुरू किया गया था और इसके जून, 2015 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

न्यू उरलाना माइनर के जीर्णोद्धार की परियोजना भी विचाराधीन है जैसे ही राशि उपलब्ध होगी, आने वाले समय में काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने न्यू उरलाना माईनर के अंदर जो क्रॉस रेगूलेशन का कार्य शुरू किया

है, अण्डर कंसीडरेशन है। लेकिन लास्ट में जो इन्होंने रिहैबीलिटेशन के बारे में बताया है कि अण्डर कंसीडरेशन है, उसके बारे में मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या वे इस कार्य को पूरा करने के लिए जल्दी पैसे का बंदोबस्त करके इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करवायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : स्पीकर सर, मैं इस बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह कार्य हमारे विभाग की प्रॉयरटी पर है जिस प्रकार से आज इस गरिमामय सदन में प्रदेश का बजट पास कर दिया जायेगा हमें उम्मीद है कि बजट से आवश्यक राशि उपलब्ध हो जाने के बाद हम इस कार्य को करने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।

School and Colleges Opened

***526. Shri Tej Pal Singh Tanwar :** Will the Education Minister be pleased to state the districtwise details of the number of schools and colleges opened and buildings constructed during the last ten years?

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

वक्तव्य

अनुबंध-I

पिछले दस वर्षों में खोले गए नए विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	वरिष्ठ माध्यमिक	आरोही विद्यालय	किसान आदर्श विद्यालय	के.जी.बी.वी.	लैब स्कूल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अम्बाला	31	43	0	0	0	0	0	74
2.	भिवानी	75	67	0	2	0	2	1	147
3.	फरीदाबाद	50	24	1	0	0	0	0	75
4.	फतेहाबाद	34	33	0	5	0	5	0	77
5.	गुडगांव	76	30	1	0	0	0	0	107
6.	हिसार	26	8	0	6	0	4	0	44
7.	झज्जर	10	15	0	0	1	0	0	26
8.	जीन्द	1	0	0	3	1	3	0	8
9.	कैथल	39	12	1	3	0	2	0	57
10.	करनाल	13	51	0	0	1	0	0	65
11.	कुरुक्षेत्र	20	75	0	0	0	0	0	95

[Shri Ram Bilas Sharma]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	महेन्द्रगढ़	28	20	0	1	1	1	0	51
13.	मेवात	15	241	1	5	0	5	0	267
14.	पंचकुला	60	14	1	0	0	0	0	75
15.	पलवल	0	61	0	4	0	1	0	66
16.	पानीपत	4	35	0	1	0	0	0	40
17.	रेवाड़ी	0	34	0	0	0	0	0	34
18.	रोहतक	0	14	0	0	1	0	0	15
19.	सिरसा	29	24	0	6	0	0	0	59
20.	सोनीपत	5	14	0	0	0	0	0	19
21.	यमुनानगर	32	92	0	0	1	0	0	125
	कुल	**548**	**907**	**5**	**36**	**6**	**23**	**1**	**1526**

अनुबंध-II

पिछले दस वर्षों में नव-निर्मित विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	जिला	नव निर्मित भवन						
		प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	राजकीय उच्च विद्यालय	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	आरोही मॉडल स्कूल	के.जी.बी.वी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अम्बाला	44	43	0	0	0	0	87
2.	भिवानी	84	67	0	0	2	1	154
3.	फरीदाबाद	40	24	0	2	0	0	66
4.	फतेहाबाद	35	33	0	0	0	5	73
5.	गुड़गांव	19	30	0	1	0	0	50
6.	हिसार	21	8	0	0	2	4	35
7.	झज्जर	13	15	0	6	0	0	34
8.	जीन्द	0	0	0	0	3	0	3
9.	कैथल	38	12	0	1	3	1	55
10.	करनाल	9	51	0	0	0	0	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	कुरुक्षेत्र	18	75	0	0	0	0	93
12.	महेन्द्रगढ़	44	20	0	0	0	0	64
13.	मेवात	17	241	0	1	1	0	260
14.	पलवल	16	61	0	0	1	0	78
15.	पंचकुला	67	14	0	1	0	0	82
16.	पानीपत	4	35	0	0	0	1	40
17.	रेवाड़ी	4	34	0	0	0	0	38
18.	रोहतक	0	14	3	6	0	0	23
19.	सिरसा	28	24	0	0	5	4	61
20.	सोनीपत	15	14	0	0	6	0	35
21.	यमुनानगर	49	92	0	0	0	0	141
	कुल	**565**	**907**	**3**	**18**	**23**	**16**	**1532**

अनुबंध-III

पिछले 10 वर्षों के दौरान 45 राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं तथा 21 राजकीय महाविद्यालयों की इमारतें निर्मित की गई हैं :-

क्र.सं.	जिला का नाम	खोले गये राजकीय महाविद्यालयों की संख्या	निर्मित करवाई गई राजकीय महाविद्यालयों की इमारतों की संख्या
1	2	3	4
1.	अम्बाला	02	01
2.	भिवानी	04	03
3.	फरीदाबाद	00	00
4.	फतेहाबाद	01	00
5.	गुड़गांव	00	00
6.	हिसार	02	01
7.	झज्जर	06	03
8.	जीन्द	03	02
9.	कैथल	01	01
10.	करनाल	02	00
11.	कुरुक्षेत्र	01	00
12.	मेवात	01	00

[Shri Ram Bilas Sharma]

1	2	3	4
13.	महेन्द्रगढ़	03	02
14.	पानीपत	03	00
15.	पंचकुला	01	02
16.	पलवल	01	01
17.	रेवाड़ी	05	02
18.	रोहतक	05	01
19.	सोनीपत	01	00
20.	सिरसा	02	01
21.	यमुनानगर	01	01
	कुल	45	21

श्री तेजपाल सिंह तंवर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने घोटाले हुए हैं। आज शिक्षा के हालात बहुत खराब हैं। पिछले 10 सालों में मैं यह समझता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का बिलकुल भट्ठा बैठा दिया गया है। इसके विपरीत प्राईवेट स्कूलों को इतना ऊपर उठाया गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। न ही उनके कार्य में कोई पारदर्शिता है और न ही उनके ऊपर कोई अंकुश रह गया है। प्राईवेट स्कूलों का जाल बहुत तेजी पनप रहा है लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। आज जहां पर 30-30 अध्यापकों की ज़रूरत है वहां पर मुश्किल से 10-10 अध्यापक ही होते हैं। ऐसे स्कूलों में 500 बच्चों के लिए केवल मात्र एक ही अध्यापक है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति भेड़ों को घेर कर रखता है वैसा ही हमारे अधिकतर सरकारी स्कूलों में व्यवहार एक अध्यापक बच्चों के साथ कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में अधिकतर सरकारी स्कूलों के भवनों की इतनी जर्जर हालत है कि वे कभी भी गिर सकते हैं जिस कारण वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। इसके विपरीत जिस प्रकार से आज हमारे गुड़गांव में जो बड़े-बड़े हाई-फाई स्कूल खुले हैं उनके ऊपर सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये स्कूल बच्चों से अपनी मनमर्जी की फीस वसूल कर रहे हैं और इन स्कूलों में जो 25 से 30 प्रतिशत गरीब बच्चों को एडमिशन देना था उसकी भी कोई व्यवस्था इन स्कूलों द्वारा नहीं की गई है। इसलिए मेरी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से प्रार्थना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुधार किये जायें क्योंकि शिक्षा के बल पर ही बच्चे अपने प्रदेश के साथ देश और विदेश में भी आगे बढ़ने के काबिल बनते हैं। इस प्रकार से यह पूरे प्रदेश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, यह भाषण नहीं है। यह मैं सच्चाई बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) वास्तव में मैं जो हमारे प्रदेश के सरकारी और प्राईवेट स्कूलों की हालत है उसी के बारे में बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) यह सच्चाई है। पिछले 10 सालों में हमारे क्षेत्र में शिक्षा के मामले में जो कुछ हुआ है मैं वही बता रहा हूं। वहां पर कितने सरकारी स्कूल अपग्रेड हुए यह हम ही जानते हैं। स्कूलों की अपग्रेडेशन के वायदे तो ज़रूर हुए व पत्थर भी लगाये गये लेकिन बाद सिर्फ वायदों और पत्थर लगाने

तक ही सिमट कर रह गई और उससे आगे कुछ नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान) स्कूलों की अपग्रेडेशन के रिबन तक भी काटे गये और ऐसा करके गरीबों को खूब बहकाया गया लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली और हमारे क्षेत्र में कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। इसके कारण हमारे क्षेत्र में शिक्षा के मामले में बड़ी भारी परेशानी का सामना गरीब तबके के परिवारों को करना पड़ रहा है। (शोर एवं व्यवधान) मेरे हल्के के देहाती क्षेत्र में स्कूल कई-कई किलोमीटर दूर पड़ते हैं जिससे बच्चियों और लड़कियों को आने-जाने में बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील है कि मेरे हल्के के जो स्कूल अपग्रेडेशन के नॉर्म्ज़ को पूरा करते हैं उनको जल्दी से जल्दी अपग्रेड किया जाये ताकि विद्यार्थियों, विशेषकर लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से एक बार फिर पुरज़ोर मांग करता हूं कि मेरे हल्के के साथ-साथ पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुधार किये जायें ताकि मेरे हल्के और पूरे प्रदेश के बच्चों को अच्छी और हर प्रकार से बेहतर शिक्षा की प्राप्ति हो सके।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री तेज़ पाल तंवर ने प्रदेश में शिक्षा के बारे में जो पीड़ा ज़ाहिर की है वह बड़ी आवश्ज़ है क्योंकि प्रैक्टीकली गुडगांव इस समय हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी के रूप में जो स्थान पूरे देश में मुम्बई को प्राप्त है वही स्थान हरियाणा में गुड़गांव को प्राप्त है आज के दिन एक तरह से गुड़गांव में more than 40 एजुकेशनल सैंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें गरीब आदमी का बच्चा दाखिला लेना तो दूर की बात उनके गेट तक भी नहीं जा सकता। हम सब लोग यहाँ पर सदन में बैठे हुये हैं और हम में से बहुत कम लोग होंगे जो देहरादून और सनावर स्कूलों में पढ़ कर आये हैं। हम तो 10 किलोमीटर पैदल चल कर पहाड़ को पार करके पढ़ने जाते थे। प्राइमरी की पढ़ाई कहीं से की, मिडल की पढ़ाई कहीं और से की तथा हाई स्कूल की पढ़ाई कहीं और से ही की थी। माननीय सदस्य श्री तेजपाल तंवर जी का कहना सही है कि आज हरियाणा में 2 तरह की शिक्षा हो गई है। एक गरीब आदमी की शिक्षा हमारे राजकीय स्कूलों के प्रांगण में होती है। उन बच्चों का मुकाबला उन इंगलिश मीडियम स्कूलों के बच्चों के साथ होता है जहाँ पर बच्चों के माता-पिता को बच्चों के साथ हिन्दी में और हरियाणवी डायलैक्ट में बात करने की भी मनाही होती है। माता-पिता को कहा जाता है कि अगर आप घर में अपने बच्चे से हिन्दी में बात करेंगे तो आपके बच्चे का नाम काट कर स्कूल से निकाल दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा प्रदेश और शिक्षा विभाग के लिए चिन्ता का विषय है। पिछली सरकार ने 134-A के नाम से संविधान में एक संशोधन किया था। इस बारे में पंचकुला, फरीदाबाद और रोहतक आदि सब जगह से बहुत सी शिकायतें आई हैं और हरियाणा सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है। पिछली सरकार ने यह निर्णय लिया था कि चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे डी.पी.एस. हो या चाहे और कोई बड़े नाम का स्कूल हो उसमें 10 परसैंट बच्चे गरीबों के कुछ प्रतिशत फीस माफी के साथ पढ़ेंगे। पिछली सरकार इस काम को पूरा नहीं कर पाई लेकिन हमारी सरकार इस मुद्दे पर बहुत गम्भीरता से विचार करेगी। सभी का एक पैटर्न होना चाहिए। पीछे बहुत भयंकर सर्दी पड़ी और हरियाणा सरकार ने स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे दिये लेकिन प्राईवेट स्कूलों वाले इन आदेशों पर अमल कम करते हैं लेकिन हमने सख्ती से इन आदेशों की पालना करवाई। मैं माननीय सदस्य श्री तेजपाल जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में राजकीय विद्यालयों के प्रांगण संस्कार सक्षम होंगे। वहाँ पर श्रीमदभागवत गीता के श्लोक सुनाये जायेंगे और बाबा रामदेव का योग सिखाया जायेगा जिससे बच्चे स्वस्थ भी होंगे और ज्ञानवान भी होंगे। हमारे लिए

[श्री राम बिलास शर्मा]
तो सभी बच्चे बच्चे हैं, चाहे वह बिड़ला का बच्चा हो, चाहे वो अम्बानी का हो या वह रलदू प्रजापत का बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सुझाव दिया है हम उस पर पहले से ही विचार कर रहे हैं।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि पिछले 10 साल में पूरे राज्य में जिलावार कितने स्कूल खोले गये हैं। माननीय मंत्री जी ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। इस प्रश्न के जवाब के बारे में पूरे सदन को पता चलना चाहिए कि पिछले 10 साल में राज्य में कितने स्कूल खोले गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसका लिखित जवाब सदन के पटल पर रख दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेकचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में राज्य में कुल 45 नये कॉलेज खोले गये हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में एक भी कॉलेज नहीं खोला गया। एक कॉलेज पलवल जिले में खोला गया है और उसकी स्थिति है कि वहाँ पर 800 बच्चे हैं और 4 शिक्षक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी आने वाले वर्षों में इस भेदभाव को दूर करने की कोशिश करेंगे तथा हमारे इलाके गुड़गांव और फरीदाबाद जिलों के बैकलॉग को पूरा करेंगे, चाहे वह पृथला विधानसभा क्षेत्र का हो, चाहे पलवल का हो, हमारी इन कॉलेजिज में हिस्सेदारी बहुत कम है। हमें 45 कॉलेजों में से एक कॉलेज मिला है और वह भी पूरी तरह से नहीं चल रहा है। वहाँ पर 4 शिक्षक हैं और 800 बच्चे हैं जबकि शहरी कॉलेजों में हर जगह पर संख्या पूरी है जैसे तिगांव में 30 लैक्चरर्स हैं बूसैन कॉलेज में 34 लैक्चरर्स हैं। वहां पर एक्स्ट्रा हैं। चलो पार्सियल्टी को दूर करने की बात तो पहले ही प्रश्न में कह चुके हैं। मैं तो शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद और पलवल में नये कॉलेज खोल कर हमें कृतार्थ करेंगे ?

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से केवल एक अनुरोध करना चाह रही हूं कि कॉलेजिज को लेकर जो स्टेटमैंट हाउस की टेबल पर रखी गई है, वह गलत है। गुड़गांव में हमने स्पैशली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इसके अलावा और भी कई कॉलेजिज खोले हैं। फरीदाबाद में भी कॉलेज खोले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सूचना पटल पर रखी जाए वह सही ढंग से रखी जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह तंवर : अध्यक्ष जी, अगर काम नहीं किया होगा तो उसके बारे में पूछने पर तकलीफ तो होगी ही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : मान्यवर, श्री तेजपाल जी पृथला क्षेत्र के विधायक को --- (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह तंवर : अध्यक्ष महोदय, अगर आज हम पूछ रहे हैं कि इतने स्कूल नहीं खोले गये तो इनको दिक्कत हो रही है। सर, आज प्रदेश का मामला बिल्कुल उल्ट हो गया है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, जो पटल के ऊपर सूचना रखी गई है उसमें जीन्द में तीन आरोही स्कूल खोले गये हैं। उन तीनों स्कूलों में जो एप्वाइंटमैंट की गई हैं वह नियमों को ताक पर रखकर और बिल्कुल अवैध तरीके से की गई हैं। वह फाईल आपके पास और मुख्यमंत्री जी

के पास आई है। इन तीनों स्कूलों में जो प्रिंसीपल लगाए गये हैं उनकी योग्यता ही नहीं थी। उनको एप्वाइंटमैंट पहले दे दी गई और उनको योग्यता बाद में मिली। उनको एक्सपीरियंस भी बाद में दिया गया और उनको एप्वाइंटमैंट पहले दे दी गई। विभाग में उनके जो पेपर गये हुए हैं उन पर कटिंग है किसी ने पैस्ट पास नहीं कर रखा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज जो प्रिंसीपल उन आरोही स्कूलों में लगे हुए हैं उनकी पूरी तरह से जाँच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री ढुल साहब बड़ा संगीन मामला बता रहे हैं। यह लिख कर दें हम इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। श्री टेकचन्द शर्मा जो पृथला क्षेत्र से विधायक हैं उन्होंने जो कहा है, उस पर आने वाले समय में पूरा ध्यान देंगे। अभी मेरी आदरणीय बहन पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल जी ने जो सदन के पटल पर रखे आंकड़ों को चैलेंज किया है। उनमें ये गुड़गांव के जिस कॉमर्स कॉलेज की बात कर रही हैं। ये मान्यवर it is yet to be started गीता जी बहुत वरिष्ठ हैं और शिक्षा मंत्री भी रही हैं। मान्यवर यह जो लिस्ट है, यह विभाग ने दी है, जो कि जो कॉलेज चल रहे हैं उनकी है। बहन गीता भुक्कल जी की यह बात ठीक है कि इन्होंने जाते-जाते बहुत पत्थर रखे हैं परन्तु उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, आज का जो प्रश्न है उसमें दो बातें पूछी गई हैं कि कितने स्कूल खुले और कितने स्कूल बने । मैं सारे सदन को बताना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार के पिछले 10 सालों में जीन्द में केवल एक प्राईमरी स्कूल खुला है और अपर प्राईमरी स्कूल कोई है ही नहीं। सीनियर सैकेंडरी स्कूल जीरो है, आरोही स्कूल तीन हैं, किसान आदर्श विद्यालय एक है, और के.जी.बी.पी.विद्यालय तीन हैं। टोटल आठ स्कूल खोले गये हैं। उसके अलावा भिवानी में 75 प्राईमरी स्कूल, 76 अपर प्राईमरी, गुड़गांव में 76 स्कूल तथा मेवात में 241 अपर प्राईमरी स्कूल, पंचकूला में 7 नये स्कूल खुले हैं। अध्यक्ष महोदय, जींद जिले में 8 नये स्कूल खुले हैं। जितना भेदभाव जींद जिले से किया गया है, यह बहुत ही शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासन काल में जींद जिले को हरियाणा के नक्शे से ही गायब कर दिया है। दूसरी बात हरियाणा प्रदेश में बिल्डिंग वगैरह का निर्माण किया गया, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि भिवानी जिले में 84 बिल्डिंगें बनाई गई और अपर प्राईमरी स्कूल 66 बनाये गये। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जींद जिले में सिर्फ 3 स्कूलों की कंस्ट्रक्शन की गई है जबकि जींद जिले में 5 हन्के आते हैं। मुझे यह बताते हुए भी शर्म आती है कि 10 साल के शासन काल में सरकार ने जितना भेदभाव जींद जिले के साथ किया, इतनी बुद्धि भगवान किसी को न दे कि वह इतना भेदभाव करे। (हंसी)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन प्रेमलता जी का सवाल समझ गया हूँ। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में जींद जिले का शिक्षा के क्षेत्र में पूरा ध्यान दिया जायेगा।

डॉ0 पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों के शासनकाल में 45 गवर्नमैंट कॉलेज खोले गये। उनमें से तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर जिले में 6 कॉलेज और रोहतक जिले में 5 कॉलेज खोले गये। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कुल 11 कॉलेज खोले। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी महसूस हुआ कि उस समय के दो मंत्रियों के जहां विरोध के स्वर गुंजते रहते थे वहां भिवानी में 4 और रेवाड़ी में 5 कॉलेज खोले गए। अध्यक्ष महोदय, बाकी पूरे हरियाणा

[डॉ0 पवन सैनी]

प्रदेश में 1 या 2 कॉलेज की एवरेज है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कॉलेज खोलने के लिए क्या क्राईटेरिया होना चाहिए ?

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर पवन सैनी जी की बात बिल्कुल सही है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर, रोहतक और सोनीपत तीनों विधान सभा क्षेत्रों में कॉलेज की संख्या 11 ही है। परन्तु जहां तक क्राईटेरिया की बात है, अध्यक्ष महोदय, यह देखा जाता है कि उस विधान सभा क्षेत्र में कॉलेज खोलने के लिए उस क्षेत्र की कितनी माँग है और वहां के क्षेत्र के आसपास कितने गाँव आते हैं, जिससे विद्यार्थियों की संख्या का भी पता लग सके। जहां तक भवन निर्माण का सवाल है तो उस क्षेत्र में बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए क्या जगह उपलब्ध है, क्या उसके बारे में परिस्थितियाँ अनुकूल हैं सभी जाकर वहां के क्षेत्र में कॉलेज खोलने के लिए क्राईटेरिया फिक्स किया जाता है।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी में हमारे अलावा प्रोटेक्शन में बोलने के लिए कोई सदस्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक के बाद एक सभी मंत्री जवाब देते हैं कि मैं आश्वासन देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो आपने मुझे आश्वासन दिया था, क्या वही आश्वासन दूसरे माननीय सदस्यों को भी दिया है ? (हंसी) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी बैठ जाईये, आपको भी बोलने का समय दिया जायेगा।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय कुलदीप बिश्नोई जी जब बजट पर चर्चा कर रहे थे तो मैं सदन में उपस्थित नहीं था लेकिन मैंने कुलदीप जी का भाषण सुना था। बजट की तारीफ करने के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य ने अपनी तकलीफ भी सदन में रखी थी कि मेरे रथ का भाड़ा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनके रथ का भाड़ा तो माननीय सदस्य को सांसद बनाकर चुका दिया था।

वाक आउट

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी इस प्रश्न पर सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : रेणुका जी, अभी आप बैठिये।

श्रीमती रेणुका बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमें इस प्रश्न पर सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सदस्य प्रश्न संख्या 526 पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न दिए जाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

Discountinuation of Mining

***531. Sh. Sukhwinder :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the reasons for which the mining work has been discontinued in Arawali area;

(b) the efforts made by the previous Government to open the mining togetherwith the steps being taken by the present Government to open the mining in the abovesaid area; and

(c) the loss of revenue caused to the Government due to the discontinuance of the mining work?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी, एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) श्रीमान् जी, फरीदाबाद, गुड़गांव व मेवात जिलों में अरावली क्षेत्र में खनन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण बन्द पड़ा है।

(ख) मामले के न्यायनिर्णयन एवं अंतिम निर्णय हेतु इसे सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय अधिकारप्राप्त समिति के समक्ष उठाया गया था लेकिन कोई अनुकूल निर्णय नहीं आ सका। मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवाने हेतु भारत के महान्यायवादी से अनुरोध किया गया है।

(ग) उत्खनन बंद होने के फलस्वरूप कम राजस्व एकत्रित हो सका तथा इसके कारण खनन, ढुलाई, स्टोन क्रैशरों तथा अन्य संबद्ध कार्यों में लगे मज़दूरों के रोजगार में कमी आई है। इसके कारण निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार तथा जनसाधारण के लिए निर्माण कार्य करना बहुत महंगा हो गया है।

15.00 बजे

श्री सुखविन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर जो प्रश्न का उत्तर रखा है, उसके 'क' भाग में फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात तीन जिलों का जिक्र है, कृपया करके भिवानी जिले के बारे में भी बताया जाये ? दूसरा 'ख' भाग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हरियाणा प्रदेश के अरावली क्षेत्र में खनन का कार्य बंद कर दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तो पूरे भारत में लागू किये गये थे। परन्तु हमारे नजदीक क्षेत्र राजस्थान प्रदेश में निरन्तर खनन का कार्य चलता आ रहा है। क्या यह पिछली सरकार की लापरवाही के कारण या अनदेखी के कारण हुआ है ? क्या सरकार भविष्य में खनन के कार्यों को खोलने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि राजस्व की हानि की पूरी डिटेल यदि माननीय मंत्री जी उपलब्ध करवा देते तो बड़ी मेहनबानी होगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन के पटल पर रखे प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे तो पायेंगे कि निश्चित रूप से विभाग ने इन जानकारियों को देने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य के सवाल के सन्दर्भ में मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि प्रदेश के राजस्व के नाते ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता को हानि महँगे बिल्डिंग मैटेरियल के कारण हुई है। अब की सरकार बहुत सारे विकास के कार्यों को करने की सोचती है तो सबसे बड़ा कारण यही आता है कि बिल्डिंग मैटेरियल खनन कार्य बंद होने के कारण मैटेरियल महँगा हो गया है। इसलिए इसकी हानि बड़ी व्यापक है। विभाग ने स्पेसिफिकली इसको गुड़गांव व मेवात के लिये सीमित कर दिया है लेकिन माननीय सदस्य का सवाल भिवानी क्षेत्र को लेकर है। मैं बताना चाहूँगा कि इस इलाके में माईंस अलॉट हो चुकी हैं और इन्वायरमैंट क्लीयरैंस भी हो चुकी है। भिवानी क्षेत्र के पिचोपाकला, अटेला, डाडम और बाकी स्थानों पर माईंस बहुत जल्दी शुरू हो जायेगी और तेजी के साथ 15-20 दिन के अन्दर ही इन्वायरमैंट क्लीयरेंस हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, ये माईंस बहुत जल्दी ही ये कार्य रूप में आने वाली है, जिससे प्रदेश के अन्दर जो काम बंद हो गये थे, उन इलाकों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों को सुविधानुसार सस्ते मैटेरियल के साथ-साथ रोजगार भी मुहैया होगा।

श्री सुखविन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमैंट्री प्रश्न में यह बात भी पूछी थी कि राजस्थान के अन्दर खनन चल रहा है और हरियाणा प्रदेश में नहीं। क्या यह पिछली सरकार की अनदेखी है ? कृपया करके मंत्री जी स्पष्ट करें।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि अगर इस विषय की सुप्रीम कोर्ट के अन्दर ठीक से पैरवी कर पाते तो निश्चित रूप से अब तक हरियाणा में माईनिंग शुरू हो गई होती। वही अरवाली की पहाड़ियां हरियाणा में है और वही अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। जिस प्लॉटेशन की बात यहां पर आ रही है और वन मंत्री जी जिस पर हाथ उठा रही हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर कोई इक्का-दुक्का ही पेड़ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ। अभी वन विभाग पर सवाल आ रहे थे। पहले बहुत सारे इलाकों में वन बताये जाते थे लेकिन जब से सैटेलाइट मिजरिज और फोटोज आने लग गए तो फिर वहां पर लिख दिया गया "ओपन फॉरेस्टस"। जहां पर एक भी पेड़ नहीं है वहां वन विभाग ने लिख दिया "खुला जंगल"। वास्तव में अरावली पर पेड़ों की संख्या उतनी ही हैं जितनी पहले थी। अब तो नई व्यवस्थाएं आ गई हैं और बाकी स्थानों पर भी जंगल लगाकर इसकी पूर्ति की जा सकती है। अगर इस विषय की ठीक से पैरवी की जाती तो इस प्रकार से इस प्रदेश और जनता का नुकसान नहीं होता। (विघ्न)

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं कि सदन के पटल पर एक उत्तर आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात जिलों में खनन बंद है लेकिन वास्तविक रूप से अगर धरती के ऊपर उतरकर देखें तो अरावली फरीदाबाद से हिल को साफ करके 12 सालों में वहां पर अवैध फार्म हाऊस बना दिए गए हैं। इस वक्त अरावली को साफ करके और खनन करके वहां पर फार्म हाऊस बनाए गए हैं। मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि खनन के काम को वैरीफाई किया जाए और सूचना सदन के पटल पर रखी जाए। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यत से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र तोशाम के अंदर खानक पहाड़ के लिए हमारी सरकार ने 5 साल तक

ट्रिब्युनल और सुप्रीम कोट में पैरवी की है। हमारे प्रयासों का आज यह नतीजा है कि ट्रिब्युनल ने उनके हक में फैसला सुनाया है। इसीलिए आज ये सारी माईनिंग खुल रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वे सब काम हम करवा चुके थे ...(शोर एवं व्यवधान) अब वे माईनिंग कब खोलने जा रहे हैं ? हमारी सरकार ने खानक का काम एच.एस.आई.आई.डी.सी. को देना निर्धारित किया था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वह उन्हें दिया जाएगा या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान) सिर्फ 4 महीने में काम नहीं होता है, इसमें टाईम लगता है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी आसानी से काम खत्म नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है ।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे हुए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Water Logging

***554. Sh. Manish Grover :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a serious problem of water logging and accumulation of rainy water in district Jhajjar and Rohtak; if so, the details of steps taken by the Government to solve the problem during the period from 2005 to 2014?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान् जी। कृषि विभाग द्वारा दिए गये आंकड़ों के अनुसार रोहतक जिले के कुल क्षेत्र का 62.75 प्रतिशत जो कि 1046.53 वर्ग कि.मी. है, सेम क्षेत्र में आता है और इसमें भू-जलस्तर 0-3 मीटर तक है। जिले की कुल सेम की समस्या वाले क्षेत्र का 12.45 प्रतिशत अर्थात् 207.59 वर्ग कि.मी. जिसमें भू-जलस्तर 0-1.5 मीटर है, अत्यन्त दयनीय है। झज्जर जिले का कुल क्षेत्र का 37.14 प्रतिशत जो कि 693.63 वर्ग कि.मी. है, सेम क्षेत्र में आता है और इसमें भू-जलस्तर 0-3 मीटर तक है। जिले की कुल सेम की समस्या वाले क्षेत्र का 2.61 प्रतिशत अर्थात् 48.70 वर्ग कि.मी. जिसमें भू-जलस्तर 0-1.5 मीटर है, अत्यन्त दयनीय है। सरकार द्वारा 2005 से 2014 के बीच किये गए कार्यों का अनुबंध संलग्न है।

अनुबन्ध

1. रोहतक जिले में कुल 25 नई ड्रेनों व झज्जर जिले में 8 नई ड्रेनों की खुदाई की गई। रोहतक जिले में 6 मौजूदा ड्रेनों और झज्जर जिले की 3 मौजूदा ड्रेनों की लम्बाई को विस्तारित किया गया। इसके अलावा, रोहतक जिले में 5 मौजूदा ड्रेनों और झज्जर जिले में 6 मौजूदा ड्रेनों को पुन: वर्गीकृत किया गया।
2. रोहतक जिले में विभिन्न ड्रेनों और सिंचाई चैनलों पर 15 नए स्थायी पम्प हाउसों और झज्जर जिले में 13 नए स्थायी पम्प हाउसो का निर्माण किया गया।
3. रोहतक जिले में 28 मौजूदा चैनलों और झज्जर जिले में 13 मौजूदा चैनलों का जीर्णोद्धार किया गया।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

4. रोहतक जिले में 327 और झज्जर जिले में 31 मौजूदा टूटे हुए पक्के (lined) जलमार्गों की मुरम्मत व जीर्णोद्धार किया गया।

5. रोहतक व झज्जर जिलों में क्रमश: 26 व 89 नए उथले (Shallow) नलकूप लगाये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा समय-समय पर जमा हुए बारिश के पानी की निकासी के लिए अस्थाई पम्पों को आवश्यकतानुसार लगाया गया।

Damage to Crops due to Floods in Yamuna

***497. Sh. Shyam Singh Rana :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the crops of farmers are damaged every year due to the floods in the Yamuna river; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the abovesaid problem togetherwith the details thereof?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) व (ख) श्रीमान् जी, जब यमुना नदी उफान पर होती है तब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और फसलों को बचाने के लिए सरकार हर वर्ष बाढ़ नियन्त्रण कार्य करती है हालांकि कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी ज्यादा बाढ़ के कारण फसलें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।

Norms for Opening and Upgrading of Schools

***532. Smt. Latika Sharma :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that same norms are applicable in regard to opening and upgradation of schools in hilly areas of Kalka and other parts of state; and

(b) if so, whether there is any proopsal under consideration of the Government to provide special concession for opening and up gradation of schools in the Kalka area by declaring it as a special zone togetherwith details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

Grant to Ballabgarh Assembly Constituency

***537. Sh. Mool Chand Sharma :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state the details of grants given to Ballabgarh Assembly Constituency during the last 10 years announced by the Chief Minister together with the details of amount spent on varioius schemes?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

श्रीमान् जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

श्रीमान् जी, गत 10 वर्षों के दौरान बल्लभगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घोषित की गई अनुदानों का तथा विभिन्न योजनाओं पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा :-

क्र.सं.	घोषणा तिथि	कोड	घोषणा का विवरण	स्वीकृत राशि (₹ लाखों में)	खर्च राशि (₹ लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	25.08.2005	612	गांव दयालपुर में सी.सी गलियों का निर्माण	98.00	98.00
2.	25.08.2005	613	गांव फतेहपुर बिलोच में आई.टी.आई. निर्माण	670.10	405.70
3.	18.12.2005	720	गांव झाड़सेतली में हरिजन श्मशानघाट की चारदीवारी	11.00	11.00
4.	14.01.2007	1986	गांव अटाली को आदर्श गांव बनाने बारे	275.00	218.92
5.	24.03.2007	2113	गांव चांदपुर, फैजपुर खादर, शाहजहांपुर में एल.ए.डी.टी. स्कीम के तहत गलियों का निर्माण	30.00	30.00
6.	24.03.2007	2104	गांव चान्दपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण	7.45	7.45
7.	24.03.2007	2106	गांव चान्दपुर में सैंट जोसफ सोसाइटी को ऐच्छिक अनुदान	10.00	10.00
8.	09.09.2007	2263	गांव भुजेसर में डिस्पेन्सरी निर्माण	132.56	132.56

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

1	2	3	4	5	6
9.	14.01.2007	1987	ग्राम उचा गांव में महिला आई.टी.आई. निर्माण	300.00	274.61
10.	08.06.2008	3009	सैक्टर-64 में 66 के.वी. सब-स्टेशन का निर्माण	844.00	844.00
11.	02.04.2013	5823	नगर निगम बल्लभगढ़ वार्ड नं0 34 व 35 में विकास कार्य करवाने बारे	2000.00	1911.46
12.	31.03.2013	5829	बल्लभगढ शहर के सौंदर्यकरण बारे	500.00	1911.46
			कुल राशि	4878.11	3943.70

Construction of Rooms in School

***556. Smt. Renuka Bishnoi :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of this fact that Government Girls Senior Secondary School, Lal Sarak, Hansi, is functioning in two shifts due to huge strength of students and insufficient class rooms; and

(b) if so, the steps taken by the Government to construct more rooms in the said school?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लाल सड़क, हांसी पिछले 10 वर्षों से एकल (सामान्य) पारी में चल रहा है। यद्यपि अगले सत्र 2015-16 से इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण, यह दोहरी पारी व्यवस्था में चलाने के लिये प्रस्तावित है।

(ख) स्थान अभाव के कारण यहां अतिरिक्त कक्षों का निर्माण सम्भव नहीं है।

To Enhance the Salaries of Government Employees

***7. Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the salaries of all the employees of the

Government departments in Haryana at par with Punjab Government;

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented together with financial burden thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है।

वक्तव्य

(क) एक वेतन विसंगति आयोग का गठन श्री जी. माधवन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के संदर्भ में किया गया है।

(i) हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 और हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम 2008 तथा समय-समय पर किए गए संशोधन के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई वेतन विसंगति और विचलन को हटाने के लिए, व्यक्तिगत कर्मधारियों, संस्थानों, संघों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए तथा इस तरह के प्रतिवेदनों पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करना।

(ii) एल.टी.सी. भुगतान, अतिरिक्त डी.ए. किश्तों की विज्ञप्ति, उसके बकाया, दो साल के लिए नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन सहित अन्य लाभ, भुगतान, पात्रता शर्तों, वेतनमान में पंजाब और हरियाणा के बीच अन्तर आदि बातों के साथ अध्ययन करने के लिए (अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा जोड़ा गया।)

(ख) इस संदर्भ में उपयुक्त निर्णय आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा।

Construction of PHC at Mohana

***32. Sh. Jagbir Singh Malik :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether PHC at village Mohana in Gohana constituency has already been sanctioned; and

(b) if so, the time by which the aforesaid PHC is likely to be constructed?

शिक्षा मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

[श्री अनिल विज]

(ख) आवश्यक स्वीकृतियों उपरान्त निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि से लगभग दो वर्ष लगेंगे।

Bad Condition of Sewerage System in Jind City

***46. Sh. Hari Chand Middha :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the sewerage system of Jind city is in very bad condition;

(b) if so, the steps taken by the Government to set right the sewerage system of Jind city; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Governmetn to provide special package to Jind for setting right the sewerage system of Jind city?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। जींद शहर की सीवरेज प्रणाली ठीक कार्य कर रही है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

Widening of Bridge

***60. Sh. Lalit Nagar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the bridge of village Palla of Tigaon Assembly constituency; and

(b) if so, the time by which the above said bridge is likely to be widened?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) पुल प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि से लगभग दो वर्षों में चौड़ा किये जाने की संभावना है।

Free Concessional Treatment of Poor Families in the Private Hospitals

***68. Smt. Santosh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the treatment is provided free or at concessional rates to the persons of the poor families in the private Hospitals to whom land is allotted by the Haryana Urban Development Authority; and

(b) if so, the number of poor persons to whom the treatment has been given free or at concessional rates in the Medanta Hospital of Gurgaon during the year 2013-2014?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां, श्रीमति जी।

(ख) 172 निर्धन लोगों का वर्ष 2013-14 में मेदांता अस्पताल गुड़गांव में नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर चिकित्सा की गई।

Construction of a New Sports Stadium in Hathin

***333. Sh. Kehar Singh :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether it is a fact that there is no sports stadium in Hathin constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new sports stadium in Hathin togetherwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

नही, श्रीमान् जी।

हथीन निर्वाचनक्षेत्र में 01 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर गांव भंडकौला में है।

Consolidation of Bhiwani District

***75. Smt. Kiran Choudhary :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether it is a fact that the consolidation work in Bhiwani District has not been carried out so far; if so, the time by which the consolidation work is likely to be carried out?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, जिला भिवानी में 44 गाँव हैं जिनमें चकबन्दी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। ये 24 गाँव हैं : लाड, रामबास, उमरवास,

[कैप्टन अभिमन्यु]

काकडौली हड्डी, जगरामवास, बेरला, बाबरवास, खरकड़ी, पहाड़ी, लेघाभनान, प्रेमनगर, तिवाला, जुईखर्द, छपार, गोकलपुरा, मण्डीलीकलां, पैन्तावासखुर्द, चहडकलां, पटौदी, थिलौड़, कान्हड़ा, मिरान, खोरड़ाव सण्डवा में चकबन्दी कार्य प्रगति पर है। एक गाँव के चकबन्दी कार्य को पूर्ण करने के छ: चरण हैं जोकि प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार करना, चकबन्दी स्कीम का प्रकाशन व इसकी पुष्टि, जोतों की तकसीम, कब्जे तबदील, अन्तिम सत्यापन और दाखिला रिकॉर्ड।

इसके अतिरिक्त 14 गाँव नामत: माईकलां, माईखुर्द, पिचोपाखुर्द, विन्द्राबन, लाडावास, टोडी, ढाणीफोगाट, चन्देनी, बीड़समसपुर, कुब्जानगर, सिघांनी, सरल, दरियापुर व निमड वर्ष 1988-89 में भू-स्वामियों के सहयोग न देने के कारण डि-नोटिफाईड हो चुके हैं। नोटिफिकेशन पुन: जारी नहीं किया गया है क्योंकि भू-स्वामियों से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

छ: गाँव नामत: कितलाना, घंघाला, गोकल, गुडाना, झोझुखुर्द व अटेला खुर्द में चकबन्दी कार्य शुरू नहीं हुआ है क्योंकि राजस्व विभाग से पूर्ण किया गया राजस्व रिकॉर्ड एकत्रित किया जा रहा है और पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर कार्यवाही तुरन्त पूर्ण कर ली जायेगी।

Expenditure on the Maintenance of Irrigation Drains and Minors

***99. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred by the state Government from April 2010 to September 2014 for maintenance and upkeep of the existing irrigation-water supply network including drains, minors in the Julana consituency; and

(b) whether the Government has initiated any pilot project to overhaul the irrigation water supply network?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) श्रीमान् जी, राज्य सरकार द्वारा जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में ड्रेनों और माइनरों सहित मौजूदा सिंचाई प्रणाली में पानी आपूर्ति के लिए रखरखाव और मुरम्मत पर अप्रैल, 2010 से सितम्बर, 2014 तक 8.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Control of Shehjadpur Sugar Mill

85. Shri Nayab Saini : Will the Co-operation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government

to take over the control of Shehjadpur Sugar Mill under the Co-operative Department; if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विक्रम सिंह) :

नहीं, श्रीमान् जी।

Policy of Awards in Education

97. Smt. Latika Sharma: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to make a policy at par with the Sports Policy for giving awards to exceptionally meritorious students in academics at Matriculation and Secondary Level.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

नहीं, श्रीमान् जी।

Girls College in Naraingarh

86. Sh. Nayab Saini: Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls College in Naraingarh; if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

नहीं, श्रीमान् जी।

Shortage of Ground Water

98. Smt. Latika Sharma : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a shortage of ground water in Morni and some parts of Pinjore area; if so, the steps taken by the Government for upgradation of water resources in abovesaid areas?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान् जी, पिंजौर खण्ड में भूमिगत पानी की तालिका में वार्षिक उतार चढ़ाव -0.32 मीटर है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, मोरनी खण्ड की जांच नहीं की जा सकी। राज्य सरकार मोरनी तथा पिंजौर क्षेत्र के कुछ भागों में भूमिगत पानी में गिरावट के प्रति सतर्क है। भूमिगत पानी के पुनर्भरण के लिए, विभिन्न विभागों द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार भूमिगत पानी के पुनर्भरण, वाटरशेड विकास, मृदा संरक्षण गतिविधियां, स्थिरता

[राव नरबीर सिंह]
परियोजनाएं इत्यादि क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत पानी के स्रोतों का दर्जा बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाएं, सिंचाई टैंक, गाद रोधक बांध, ड्राप संरचनाएं, चैक बांध, करेट वायर संरचनाएं, सीमेंट संरचनाएं, परकोलेशन टैंक, डब्ल्यु.एच. डैम इत्यादि का निर्माण किया जा चुका/किया जा रहा है।

Horticulture University

87. Shri Nayab Saini : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Horticulture University in Naraingarh Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

श्रीमान् जी, सरकार बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में उपयुक्त जगह का आंकलन कर रही है।

Construction of Check Dams

88. Shri Nayab Saini : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Check Dams in the rivers of Naraingarh area; if so, the time by which such check dams are likely to be constructed?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी। सरकार द्वारा नारायणगढ़ क्षेत्र में तीन चैक डैम निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं, एक चैक डैम गांव भड़ोग में ओमला नदी पर तथा दो चैक डैम गांव थबक माजरा में अमरी नदी पर।

(ख) प्रस्तावित चैक डैमों का निर्माण बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, मुझे यह बात सदन में बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल शहीदी दिवस के अवसर पर हुसैनीवाला गए थे और उन्होंने वहां पर किसानों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर वर्षा और ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई की घोषणा की है। उन्होंने दूसरी घोषणा यह की है कि किसानों

को 60 वर्ष की आयु के बाद 5 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। (इस समय मेजें थपथपाई गई) (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या आप विपक्ष के साथी किसानों को दी जा रही 5 हजार रुपये मासिक पेंशन के खिलाफ हैं ?

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष जी, ये लोग किसानों के हितैषी नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, किसानों को 5 हजार रुपये पेंशन किस विधि से या किस फंड से दी जाएगी, यह घोषणा अभी नहीं की गई है। लेकिन यह किसानों के लिए बड़ी बात है कि 60 वर्ष की आयु के बाद जब वे काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो उन्हें पेंशन की सुविधा प्राप्त होगी। जिस प्रकार कर्मचारी की रिटायरमैंट के बाद एक निश्चित आय होती है, उसी प्रकार किसानों को भी इस पेंशन का लाभ मिलेगा। उसका तरीका और पद्धति केन्द्र सरकार ने विचार किया होगा। हम तो उस घोषणा का स्वागत करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने किसानों की स्थिति का ध्यान रखा है। दूसरी बात प्रधान मंत्री जी ने यह चिन्ता भी व्यक्त की है कि किसान को हानि हुई है। इस संदर्भ में मैंने एक दिन सदन में बताया था कि मैंने माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार को एक पत्र लिखा था उसी पत्र के फोलो अप में आज मैंने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है जिसमें मैंने 500 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत की मांग की है ताकि हम किसानों को मुआवजा देकर सहायता कर सकें। फसल के नुकसान के बारे में एसैसमैंट और गिरदावरी चल रही है उसके बाद जो गिरदावरी होगी उसका आकलन होगा। सरकार ने एक और बात तय की है कि किसान जो अभी शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लेते हैं चाहे वह लोन इसको बैंक से लें और चाहे कोआप्रेटिव बैंक से लें, उसके लिए किसान को भविष्य में ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। इस लोन पर जीरो परसेंट ब्याज होगा, इसके लिए सरकार आज घोषणा कर रही है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) इस वर्ष का जो शॉट टर्म लोन किसान ने लिया हुआ है उस ऋण की हमने तीन साल की रिशडयूलिंग की है। उस ऋण को देने का समय फसल पर देय होता है लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि उस ऋण को वह तीन साल में दे सकेगा। इसी प्रकार से किसान की फसल खराब होने के कारण जो हानि उसे हुई है उसके कारण वह उस ऋण को तुरन्त दे नहीं पायेगा। इसके लिए किसान को सुविधा देने के लिए सरकार ने यह तय किया है कि किसान के एग्रीकल्चर के बिजली के बिल पिछले 6 महीने और आगे आने वाले 6 महीने के लिए जिस किसान की फसल का नुकसान 25 से 50 प्रतिशत तकहुआ है उसको 50 प्रतिशत और जिस किसान की फसल 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है उसका 100 प्रतिशत बिजली का बिल माफ होगा इस प्रकार से किसान को उसका लाभ मिलेगा। (इस समय ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से जय जवान जय किसान के नारे लगाये गये तथा मेजें थपथपाई गई।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना / विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने, ढुल साहब ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था उसके बारे में बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी खुशी की बात सदन में बताई है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी, तो उसको सभी माननीय सदस्यों को शेयर करना चाहिए।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का फेट बताईये।

श्री अध्यक्ष : आज क्योंकि दो ध्यानाकर्षण सूचनाएं पहले ही स्वीकार की हुई हैं इसलिए आपकी ध्यानाकर्षण सूचना को कल लगाया है। इसलिए आप को सैटीस्फाई हो जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने आज किसानों के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बारे में जो 5000 रुपये पैंशन देने की बात की है क्या यह पैंशन जो बुजुर्गों को बुढ़ापा पैंशन मिल रही है उसके अलावा दी जायेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5000 रुपये पैंशन देने के बारे में बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की फसल के नुकसान की गिरदावरी हो रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे हल्के में एक भी एकड़ की गिरदावरी नहीं हुई है। मेरे हल्के में यह सुनने में आया है कि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि फसलों के नुकसान को 15 प्रतिशत तक ही रखना जबकि वहां पर किसान पूरी तरह से तबाह हुये पड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदन के नेता ने जो घोषणा अभी सदन में की है कि किसानों को उसका किस प्रकार से बिजली के बिलों में लाभ मिलेगा ? (शोर एवं व्यवधान) मेरे हल्के में लोग एजीटेशन कर रहे हैं, माँग कर रहे हैं तथा भीख मांग रहे हैं कि उनके खेतों में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान की गिरदावरी की जाये। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मेरे हल्के में सरकार द्वारा अभी तक एक भी एकड़ जमीन की गिरदावरी नहीं करवाई गई है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय कृपया बतायें कि आखिर सच्चाई क्या है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री कुलदीप शर्मा, विधायक ने सदन में पानीपत में एक शिविर में आँखों के आप्रेशनों के कारण 13 व्यक्तियों की आँखों की रोशनी चली जाने संबंधी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी, कृपया अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम एक कलैरीफिकेशन चाहते हैं। अभी माननीय सदन के नेता ने सदन में किसानों के हितों के संबंध में कुछ घोषणायें की हैं । इस बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी जो बुजुर्गों को पैंशन मिल रही है क्या किसानों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा घोषित किसानों की पैंशन के अतिरिक्त यह पैंशन भी लगातार मिलती रहेगी अथवा नहीं मिलेगी ? क्या दोनों पैंशनों को सरकार द्वारा किसानों को दिया जायेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, शायद आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात को ध्यान से नहीं सुना है। मुख्यमंत्री महोदय सारी बात स्पष्ट कर चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने जा रही है और आप कोई दूसरी बात ही कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इन को किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मजदूरों को भी इस प्रकार की पैंशन दी जावेगी या नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, पहले ये साथी किसानों के हितों में अभी सदन में की गई घोषणाओं का स्वागत तो करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इसी तर्ज पर हरियाणा राज्य में मजदूरों को भी पैंशन मिलेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय साथी तो सदन का बेवजह समय खराब कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान) इनको किसानों के हितों में की गई घोषणाओं का स्वागत करना चाहिए ।(शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हुल साहब अभी बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों के हुए नुकसान की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि फसलों की गिरदावरी नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण श्री दलाल साहब और श्रीमती गीता भुक्कल जी की भी इस विषय में कुछ पूछने की जिज्ञासा थी। (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी सदन में किसानों को राहत देने की घोषणायें की है कि पूरे हरियाणा में जहां-जहां भी बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है सभी जिलों में 31 मार्च, 2015 तक स्पैशल गिरदावरी पूर्ण कर ली जायेगी। यदि किसी माननीय सदस्य को इस बारे में कोई शिकायत हो तो वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को टेलीफोन पर भी बता सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा राज्य के सभी जिलों में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों के हुए नुकसान की गिरदावरी 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण कर ली जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने आज किसानों के लिए 5000 रूपये पैंशन की योजना की घोषणा की है इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण भी दे दिया जाए कि क्या यह पैंशन खेतीहर मजदूर को भी मिलेगी या नहीं ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यहां दो तीन विषय एक साथ उठे हैं। पहला तो हुल जी के कहने का मतलब था कि क्या हमने कोई इस प्रकार का निर्देश दिया है कि इतने परसैंट नुकसान दिखाना है और इतने परसैंट नहीं दिखाना। मुझे इस बात को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। मेरे पास दो मार्च की भी रिपोर्ट है और 7-8 मार्च की भी रिपोर्ट है। इन दोनों समय में जो

[श्री मनोहर लाल]

डैमेज हुआ है उस बारे में मैं बताना चाहूंगा। मेवात, पलवल और रिवाड़ी तीन जिले ऐसे हैं जहां के बहुत से एरियाज में 76 से 100 प्रतिशत तक डैमेज का मेरे पास रिकार्ड आया है। नारनौल यानि महेन्द्रगढ, गुड़गांव और झज्जर जिले ऐसे हैं जहां 51 से 75 प्रतिशत तक नुकसान की रिपोर्ट आई है। ऐसे बहुत से जिलों की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भिवानी में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश बरवाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे कलायत में भी बहुत नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं ये अभी प्रारम्भिक रिपोर्ट्स है। सारी रिपोर्ट्स आ गई हों ऐसा नहीं है। 31 मार्च तक हमने कहा हुआ है कि पूरी रिपोर्ट्स आएंगी। संयोग से जींद जिले की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है इसलिए यह कहना कि जींद जिले से 10 परसैंट की रिपोर्ट आई है या 15 परसैंट नुकसान की रिपोर्ट आई है ऐसा नहीं है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां से डैमेज का कोई समाचार नहीं है। ये प्रारम्भिक रिपोर्ट्स हैं और फाइनल रिपोर्ट्स नहीं हैं। फाइनल रिपोर्ट्स 31 मार्च तक आएंगी तथा अभी गिरदावरी चल रही है। कहीं गिरदावरी एक ब्लाक में हुई है या कहीं दो ब्लाकों में हुई है। कहीं आधी गिरदावरी हो गई है कहीं अभी हो रही है लेकिन जितना प्रारम्भिक असैसमैंट होता है ये वह आया है।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। गिरदावरी रिपोर्ट जितनी देर से आएगी उतनी ही अच्छी आएंगी।

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, जरूरत पड़ी तो यह टाइम बढ़ा देंगें क्योंकि सरकार ने फैसला करना है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने 31 मार्च तक का समय रखा हुआ है। आज 24 तारीख है तथा अभी भी 7 दिन बाकी हैं। 7-8 मार्च का जो नुकसान है उसकी रिपोर्ट मैक्सीमम 15 दिन में आनी चाहिए यानि 23 या 24 तारीख तक आ जानी चाहिए। प्रोसैस में समय लगता है इसलिए रिपोर्ट का पूरा समय देंगें और जल्दबाजी नहीं करेंगें। 31 मार्च तक का समय हमने कहा है और इससे भी ज्यादा समय लगाना हो और हाउस कहेगा तो हम और समय दे देंगें लेकिन और ज्यादा समय लगेगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा क्योंकि किसान को कटाई भी करनी है। सबसे विचार विमर्श करने के बाद हमने 31 मार्च का समय रखा है। 31 मार्च तक ठीक रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। जिन जिलों में नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है वे हैं अम्बाला, कैथल, पंचकूला, पानीपत और रोहतक। (शोर एवं व्यवधान) इतना आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह बता रहा हूं कि अगर प्रारम्भिक रिपोर्ट में कमी होगी और आप विधायक लोग समय बढ़ाने के लिए कहेंगें तो उसके लिए अभी भी हमारे पास समय है। हम बातचीत करके इस समय को बढ़ा देंगें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमें एक चीज के बारे में बता दिया जाए कि जो 5000 रुपये पैंशन किसान को मिलेगी वह मजदूर को मिलेगी या नहीं ?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस खड़े हैं और ये अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए।

श्री मनोहर लाल : दलाल साहब, एक विषय मैंने बताया है और दूसरा विषय मैं बता रहा हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि इसकी मोडैलिटी केन्द्र सरकार को तय होनी है। प्रदेश सरकार की कोई मौडैलिटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा की जानकारी मैंने बड़ी प्रसन्नता से यहां बताई और मैं समझ रहा था कि इस के बारे में हम एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने बहुत बढ़िया बात यहां बताई है। पूरे प्रदेश के किसान को इस योजना से जीवन दान मिलना है। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसकी जानकारी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने यहां दी है। उसके स्वागत की बजाय विपक्ष की तरफ से शोर उठ रहा है इसका मतलब इनको कोई न कोई तकलीफ है, इसलिए इनके पेट की जांच करवाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

पानीपत में एक शिविर में आंखों के ऑपरेशन के कारण 13 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली जाने संबंधी

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री कुलदीप शर्मा, विधायक की तरफ से पानीपत में एक शिविर में आंखों के आपरेशन के कारण 13 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली जाने संबंधी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिला है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। कुलदीप शर्मा जी, अब आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें। (शोर एवं व्यवधान) मेरी इजाजत के बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री महिपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें। मुझे लगता है आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ना नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे किसान भाईयों को 5 हजार रुपये पैंशन देने की घोषणा की है उसके लिए सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके उनका आभार व्यक्त करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप प्रस्ताव ले आयें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें। कुलदीप शर्मा जी के अलावा जो भी माननीय सदस्य मेरी इजाजत के बगैर बोले वह रिकार्ड न किया जाए।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, is the House in order? The House is not in order. (Interruptions). It is the duty and responsibility of the Hon'ble Speaker to bring the House in order. (Interruptions).It is the shouting brigade. (Interruptions). It is very strange. (Interruptions). Speaker Sir, how can I speak when everybody is shouting. Please bring the House in order. (Interruptions).

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के सदस्य ही व्यवधान कर रहे हैं। जब आपका नम्बर आता है तब करण सिंह दलाल जी जान बूझकर खड़े हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत के बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। कुलदीप शर्मा जी आप अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ें।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, I want to draw the kind attention of this August House towards a matter of an urgent and great public importance that on 14.03.2015 as it has been reported in media that 13 persons lost their eyesight due to eye operations in a camp at Panipat. The persons so blinded in these eyes surgeries have been referred to PGIMS which has also reported that these persons have lost their eyesight forever. A few months back in Punjab also people suffered blindness in such eye camps. Who is now responsible for this situation? Who gives permission to hold such camps? Are these camps being held without permission? What is responsibility of District Medical Officers? Is the Government going to fix responsibility on somebody? What are the cause of failure of these operations? All these issue now stare the Government in face. Is the

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Government going to take responsibility or fix responsibility on others? People are suffering as there is no monitoring agency to look into all the medical aspects of such camps and the negligence which resulted in blindness of unsuspecting people. Is the Government going to take penal action? Is the Government going to give compensation to the victims and also give them free medical aid.

Sir, I further state that what steps are Government going to take to prevent the reccurrence of such incidents in future and answer all the questions raised in the above para? This happened on 14.03.2015.

Keeping in view this serious problem, the Government should make a statement on the floor of the House.

वक्तव्य-

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न को उठाया है और सदन में इस विषय को उठाने के लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर गम्भीर है तथा जरूरी कार्रवाई कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर वक्तव्य देने से पहले यह बताना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि यह घटना 14 मार्च, 2015 को हुई थी जबकि यह घटना 11 मार्च, 2015 को हुई थी। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि इस घटना में 13 व्यक्तियों की नजर चली गई है कितने लोगों की नजर गई है अभी इसके बारे में रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में 18 लोगों को दाखिल करवाया गया था। माननीय सदस्य ने इन तथ्यों की तरफ शायद ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछ लिये हैं। अब मैं सभी प्रश्नों का तरतीबवार जवाब देना चाहता हूँ।

1. **इस स्थिति के लिए अब कौन जिम्मेदार है ?**

- घटना के तुरन्त बाद उपायुक्त पानीपत ने इस मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए। जिसके अन्तर्गत कमेटी की स्थापना श्री सुभाष श्योराण, उप मण्डलीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में की गई। उस समिति के बाकी सदस्यों में सिविल सर्जन पानीपत, दो सरकारी नेत्र शल्य चिकित्सक तथा एक सरकारी जिवाणु विज्ञान विशेषज्ञ शामिल थे।
- इस समिति ने पूरे मामले की छान-बीन की। कुल 19 मरीजों का ऑप्रेशन डॉ0 अंकुर गुप्ता ने नवजीवन हस्पताल पानीपत में दिनांक 11.03.2015 को किया।
- यह टीम दिनांक 14.03.2015 को शाम करीब 5 बजे नवजीवन हस्पताल में मामले की छान-बीन करने गई।

[श्री अनिल विज]

- वो सब मरीज जिनका ऑप्रेशन दिनांक 11.03.2015 को किया गया था, उनके रिकॉर्ड हिरासत में ले लिए गए। ऑप्रेशन थियेटर में विभिन्न जगहों से जरूरी नमूने तथा जरूरी उपभोग्य पदार्थों के नमूने लेने के बाद ऑप्रेशन थियेटर को सील कर दिया गया।
- जिस नेत्र शल्य चिकित्सक ने ऑप्रेशन किया था, उसका सहयोगी स्टाफ तथा समिति प्रधान के ब्यान दर्ज किए गए।
- 19 में से 18 मरीज जिन्हें नेत्रों में गंभीर संक्रमण हुआ था, उन्हें उन्नत नेत्र केन्द्र पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका ईलाज चल रहा है।
- छान-बीन के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह मामला चिकित्सा लापरवाही का है, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर तथा उसके साथ संगठन कर्ताओं की बनती है। इसलिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट उस डॉक्टर, उसके स्टाफ तथा समिति के खिलाफ दर्ज करवाई गई।
- इन मरीजों का नवजीवन अस्पताल, पानीपत में आप्रेशन किया गया था। यह अस्पताल एक प्राईवेट अस्पताल है।

2. **कैम्प को लगाने की अनुमति कौन देता है ?**

पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के लिए

I. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के मामले में नेत्र शिविर में जांच आयोजित करने की अनुमति **सिविल सर्जन/जिला प्रोग्राम अधिकारी** द्वारा अच्छी तरह से जांच पड़ताल उपरान्त दी जाती है। गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रयोग की जाने वाली शल्य चिकित्सा टीम की भी जांच अनिवार्य है। यह अनुमति गैर सरकारी संगठन द्वारा कैम्प से पहले कम से कम 2 सप्ताह पूर्व लेनी चाहिए।

II. नेत्र शल्य चिकित्सा कैम्प की अनुमति सिविल सर्जन/जिला प्रोग्राम अधिकारी या जिला उपायुक्त/जिला न्यायावादी द्वारा ऑप्रेशन थियेटर की जांच, रोगाणुनाशन की सुविधा की जांच के उपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश को ध्यान में रख कर दी जाती है।

III. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देश अनुसार जिला स्वास्थ्य प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

विना पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के लिए

वो सभी गैर सरकारी संगठन जो ऑप्रेशन कर रहे हैं मगर राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनकी निगरानी राजकीय स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा की

जानी चाहिए। इन सभी गैर सरकारी संगठनों को राजकीय स्वास्थ्य प्रशासन से हस्पताल के ओ.पी.डी. तथा ऑप्रेशन थियेटर में आंखों के ऑप्रेशन के लिए अनुमति लेनी चाहिए।

- दिनांक 21.03.2015, द ट्रिब्यून के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बारे हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है।

3. क्या ये कैम्प बिना अनुमति के लगाए गए ?

- श्रीमान् जी, ये कैम्प जिला स्वास्थ्य प्रशासन से पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाए जा सकते। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी.) के अन्तर्गत नेत्र कैम्प के लिए सख्त हिदायतें लागू की गई हैं।

  उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में।

- गैर सरकारी संगठन समाज सेवा समिति समालखा, पानीपत सन् 1987 से चल रही है तथा इसका पंजीकरण कभी भी जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समाज (डी.बी.सी.एस.), पानीपत के अन्तर्गत नहीं करवाया गया है।

- जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण समाज (डी.बी.सी.एस.), पानीपत तथा समाज सेवा समिति, समालखा पानीपत के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है।

- समाज सेवा समिति, समालखा पानीपत ने कभी भी जिला प्रशासन पानीपत के साथ कोई सहमति पत्र हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

- समाज सेवा समिति, समालखा पानीपत ने कभी भी नेत्र जांच शिविर के लिए अनुमति नहीं ली है।

4. जिला चिकित्सा अधिकारियों की जिम्मेदारी क्या है ?

- सिविल सर्जन/जिला प्रोग्राम प्रबन्धक आवेदक गैर सरकारी संगठन की पूर्वगामी/निपुणतासत्यापित करके उसे अनुमति प्रदान करता है।

- गैर सरकारी संगठन के द्वारा कार्य में लाई जाने वाली शल्य चिकित्सा की टीम को भी सत्यापित करता है।

- जिला अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शल्य चिकित्सा की टीम में अनुभवी कम से कम 2 नेत्र सर्जन, 2 स्टाफ नर्स, 1 ऑप्रेशन थियेटर तकनीकी सहायक तथा 1 ऑप्रेशन थियेटर सहायक हों।

- इस बात की सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए कि सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन (पंजीकृत तथा बिना पंजीकृत) में केवल उन्हीं बेस हस्पतालों को नेत्र शिविर लगाने की अनुमति दी जाए जिनके पास नेत्र देखभाल के लिए आधारभूत संरचना/मूलभूत सुविधाएं हों।

- नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर को लगाने की अनुमति सिविल सर्जन/जिला प्रोग्राम प्रबन्धक अथवा उपायुक्त/जिला न्यायवादी द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाला

[श्री अनिल विज]

ऑप्रेशन थियेटर को संक्रमण रहित बनाने वाली सुविधाओं की जांच के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रख कर दी जाती है।

- सिविल सर्जन/जिला प्रोग्राम प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करता है कि ऑप्रेशन से पहले तथा बाद में मरीज की देखभाल भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार की जाए।

5. क्या सरकार किसी पर जिम्मेदारी निश्चित करने जा रही है ?

हां, श्रीमान् जी, सरकार पहले ही इसकी जिम्मेवारी निश्चित कर चुकी है।

- सरकार पहले ही इसकी जांच पूरी कर चुकी है तथा उसके आधार पर इस मामले की जिम्मेदारी डॉ0 अंकुर गुप्ता, नेत्र विशेषज्ञ और उसके सहयोगी स्टाफ तथा समिति पर निश्चित की जा चुकी है।
- इस मामले में समाज सेवा समिति के पदाधिकारी, नवजीवन हस्पताल, पानीपत के प्रबन्धक तथा डॉ0 अंकुर गुप्ता नेत्र विशेषज्ञ और उसके नवजीवन हस्पताल के सहयोगी स्टाफ के विरुद्ध पानीपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट यादि क्रमांक 279 दिनांक 16 मार्च, 2015 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337/378, 18 ए (1) 27, 28 ड्रग एवं कॉस्मैटिक्स कानून 1940 के अन्तर्गत दर्ज की जा चुकी है।

6. इन आप्रेशनों के असफल होने के कारण क्या हैं ?

(क) उपरोक्त विषय के मध्यनजर, जांच समिति द्वारा दिए गए कारणों का वर्णन निम्नलिखित है :-

I. ऑप्रेशन में प्रयोग किया गया आंखों को साफ करने के लिए संक्रमित तरल पदार्थ।

II. ऑप्रेशनों के दौरान एक ही फैको नली और स्लीव का प्रयोग।

III. फैको ऑप्रेशन के दौरान सही ढंग से स्ट्रलाईजेशन तकनीक का प्रयोग न होना।

IV. एक ही कैरेटोम का बार-बार प्रयोग।

(क) सहायक प्रोफैसर नेत्र विभाग, पी.जी.आई. चण्डीगढ़ के अनुसार संक्रमण का कारण सूडोमोनाश एरोजीनोजा नामक किटाणु है। जोकि पाईपरासिलिन तथा टेजोबेकटम से संवेदनशील है। यह दवाई इन मरीजों को दी जा रही है।

7. अब इन सब विषयों के चेहरे में सरकार झलकती है। क्या सरकार जिम्मेदारी लेने जा रही है या अन्यों पर जिम्मेदारी निश्चित करने जा रही है ?

सरकार ने इस मामले की जिम्मेदारी पहले ही निश्चित कर दी है, क्योंकि :-

- हम इस बारे में उप मण्डलीय न्यायाधीश पानीपत की अध्यक्षता में जांच पूर्ण कर चुके हैं, जिम्मेदारी निश्चित की जा चुकी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है।

- पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में भर्ती इन सभी मरीजों के पूरे ईलाज का खर्चा हरियाणा सरकार स्वयं वहन कर रही है।
- इन मरीजों का ईलाज उन्नत नेत्र केन्द्र, पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में चल रहा है और हम लगातार मरीजों की हालत पर नजर रखे हुए हैं।
- राज्य तथा जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि नेत्र शिविरों के लिए हिदायतें सख्ती से लागू हों।
- जिला अधिकारियों को हिदायतें सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा तथा सभी पंजीकृत व गैर पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों की क्रमानुसार सूची तैयार की जाएगी।
- प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-सरकारी संगठन अपने जिला प्रशासन को नियमित रूप से रिपोर्ट करें तथा भारत सरकार की हिदायतों की सख्ती से पालना करें।
- इन गैर-सरकारी संगठनों और उनके कार्य का सख्ती से निरीक्षण किया जाएगा ताकि वो भारत सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन करें।

8. **क्या सरकार दण्डात्मक कार्यवाही करने जा रही है ?**

- उपायुक्त पानीपत को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध चिकित्सा लापरवाही का केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। इस मामले में समाज सेवा समिति के पदाधिकारी, नवजीवन हस्पताल, पानीपत के प्रबन्धक तथा डॉ0 अंकुर गुप्ता नेत्र विशेषज्ञ और उसके नवजीवन हस्पताल के सहयोगी स्टाफ के विरूद्ध पानीपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट यादि क्रमांक 279 दिनांक 16 मार्च, 2015 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 337/378, 18 ए (1) 27, 28 ड्रग एवं कॉस्मैटिक्स कानून 1940 के अन्तर्गत दर्ज की जा चुकी है।
- नवजीवन हस्पताल, पानीपत के ऑप्रेशन थियेटर को दिनांक 14.03.2015 को सील कर दिया गया था।
- ऑप्रेशन थियेटर के विभिन्न जगहों से तथा रिंगर लैक्टेट इत्यादि के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है।
- क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, कानून अपना काम करेगा।
- डॉ0 अंकुर गुप्ता, संबंधित नेत्र सर्जन को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उनको जमानत पर रिहा किया गया है।

9. **क्या सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने तथा उन्हें मुफ्त चिकित्सा सहायता भी देने जा रही है ?**

पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में भर्ती इन सभी मरीजों के पूरे ईलाज का खर्चा हरियाणा सरकार स्वयं वहन कर रही है।

[श्री अनिल विज]

10. **भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनर्वृति रोकने के लिए तथा उपरोक्त पैरा में उठाये गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सरकार क्या पग उठाने जा रही है ?**

- राज्य तथा जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि नेत्र शिविरों के लिए हिदायतें सख्ती से लागू हों।
- जिला अधिकारियों को हिदायतें सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा तथा सभी पंजीकृत व गैर पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों की क्रमानुसार सूचि तैयार की जाएगी।
- प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-सरकारी संगठन अपने जिला प्रशासन को नियमित रूप से रिपोर्ट करें तथा भारत सरकार की हिदायतों की सख्ती से पालना करें।
- इन गैर-सरकारी संगठनों और उनके कार्य का सख्ती से निरीक्षण किया जाएगा ताकि वो भारत सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन करें।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, most of the questions have been answered. But one question which emanates from the discussion and the reply given by the Minister is that—is the Government going to take any action against the District Medical Officers such as Chief Medical Officer and others who look the other way when such camps are held?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह एक हॉस्पिटल है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस हॉस्पिटल ने कोई आई कैम्प नहीं लगाया। हॉस्पिटल में बराबर ओ.पी.डी. देखी जाती है और जब आई कैम्प लगाया जाता है तो उसकी विभाग से परमिशन ली जाती है। इस प्रकार से कोई भी आई कैम्प नहीं लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि वर्ष 1987 से यह हॉस्पिटल कार्य कर रहा है और उसने कभी भी आई कैम्प नहीं लगाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में स्वीफ्टली सारा काम किया है। उपायुक्त महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जैसे ही इस घटना का पता लगा तो उन्होंने बकायदा एक टीम बनाई, हॉस्पिटल को सील कर दिया और तुरन्त सारे मरीजों को पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में शिफ्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मरीजों को देखने पी.जी.आई. चण्डीगढ़ गया और मेरा अंदाजा है कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी सदस्य इन मरीजों को देखने नहीं गया होगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं मरीजों को देखने गया तो मुझे बहुत दुःख हुआ। सरकार सारी चीजों को ध्यान से देख रही है और सारा खर्चा भी उठा रही है। मैंने इसके बारे में स्वयं पी.जी.आई. चण्डीगढ़ के तमाम डॉक्टर्स से बातचीत की है। इसमें दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है, कानून अपना काम कर रहा है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और सप्लीमैंट्री पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, प्रश्न काल में तो सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सिर्फ एक ही सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, it looks that there is a very clever attempt to shield some people here, particularly the Government officers. if there was no camp, where does the society come into picture in it? Hon'ble Minister may just tell us. There is something more that meets the eyes. The Hon'ble Minister is trying to give it a cover, trying to shield the officers. This can not happen. The Hon'ble Minister may reply why no action has been initiated against the officers who are concerned with the functions like this.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 10-12 जितनी भी सप्लीमैंट्री पूछना चाहते हैं, उन सबका मैं इक्ट्ठा जवाब देना चाहता हूँ। इस प्रकार से जो परम्पराएं पीछे से चलती आ रही हैं, मैं उनको तोड़ना चाहता हूँ।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, I would also like to ask the Minster—is the Government going to give any kind of compensation to those persons who have lost their eye-sight? I would like the Minister to respond.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी ईलाज चल रहा है, रिपोर्ट के आने के बाद जितने मरीजों की आँखों का नुकसान होगा, सरकार उनकी सहायता करेगी। सरकार सारा ईलाज का खर्चा वहन करेगी। जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि दोषियों को बख्शना अनिल विज की फितरत में नहीं है।

श्री रविन्द्र मछरौली : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्वयं मरीजों को देखने गये और उन्हें आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया, इसलिए मैं सबसे पहले सरकार का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं भी मरीजों को देखने गया था और उनमें से 8-10 मरीज तो छुट्टी लेकर अपने घर भी चले गये हैं। समालखा के अन्दर जो सेवा समिति हॉस्पिटल है, वह रिटायर्ड डॉक्टर्ज, मास्टरों आदि बुजुर्गों ने मिलकर एक संस्था बना रखी है क्योंकि समालखा के अन्दर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो गरीब आदमी का इलाज कर सके। यह सेवा समिति का हॉस्पिटल दानी आदमियों के सहयोग से ही चलता है, जिसमें गरीब आदमी या जच्चा बच्चा कम पैसे से अपना इलाज करवा सकता है। वह हॉस्पिटल कोई भी आई कैम्प नहीं लगाता है। यदि किसी आदमी ने अपनी आँख का ऑप्रेशन वगैरह करवाना हो तो पानीपत के अन्दर एक अच्छा नवजीवन हॉस्पिटल है। हम तकरीबन 7-8 वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे शहर का हर व्यक्ति अपनी आँखों के ऑप्रेशन के लिये पानीपत ही जाता है। सेवा समिति हॉस्पिटल में ना तो आँखों का ऑप्रेशन होता है और ना ही हॉस्पिटल आई कैम्प लगाता है। यहां पर ओ.पी.डी. करके डॉक्टर खुद अस्पताल में आकर आंख बनाते हैं। वह अस्पताल तो एक सेवा समिति है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की सेवा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी तो लोग फ्री सेवा करना छोड़ देंगे। ये लोग मरीजों का फ्री इलाज करते हैं। उन्हें कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार एक सौ या दो सौ रूपये दे देता है, परंतु वे अपने काम की किसी से कोई फीस नहीं लेते। इसमें उनकी कोई गल्ती नहीं है। मरीजों की आंख पानीपत के अस्पताल में बनी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे समालखा हल्के में यह एकमात्र सेवा समिति है। इसके सिवाय समालखा में कोई ऐसी दूसरी समिति भी नहीं है। यह समिति हर समय रोगियों की मदद के लिए तैयार रहती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सेवा समिति के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके इन्हें दण्ड न दिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सदस्य महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। हर देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व सरकार का होता है। हमारे देश में समाज सेवी संस्थाओं ने और प्राइवेट सैक्टर ने बहुत बड़ा योगदान किया है। सर, हम किसी को डिसक्रेज नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे कानून-कायदों का पालन करें। यह लोगों की आंखों से जुड़ा गम्भीर मामला है और देश में ऐसी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए हमें नियम-कायदों का सख्ती से पालन करना होगा। हमने इस केस से संबंधित सारे अधिकारियों को गाईडलाईन्स भिजवा दी हैं। जहां तक डॉक्टरों को बख्शने की बात है तो वह न मेरे वश में है और न किसी और के वश में है क्योंकि यह मामला रजिस्टर हो चुका है। पुलिस इसकी जांच करेगी और कोर्ट उनका फैसला करेगा। अगर कोई निर्दोष होगा तो उसे अपने आपको साबित करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। किसी को सजा देना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमको कार्यवाही करनी थी, इन्क्वायरी करनी थी और हमको एफ.आई.आर. दर्ज करवानी थी वह हमने करवा दी है। मैं किसी भी तरह से किसी भी समाजसेवी संस्था को डिस्क्रेज नहीं करना चाहता हूं।

श्री सुभाष बराला : माननीय अध्यक्ष जी, अभी सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही थी लेकिन इससे पूर्व माननीय सदन के नेता ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने रखी हैं। (शोर एवं व्यवधान) आज सदन में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। श्री कुलदीप शर्मा जी ने सदन में अपना प्रस्ताव रखा और माननीय मंत्री जी ने उनके प्रस्ताव का जवाब दे दिया है। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथियों ने पिछले दस साल से बोलने की आदत रखी है, अब इनको सुनने की आदत डालनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, give them the opportunity but we may also be allowed to speak.

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष जी, अभी माननीय विपक्ष के सदस्य अपना यह स्वभाव छोड़ दें। आज माननीय सदन के नेता ने दो महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने रखी हैं। कल हमारे पड़ोसी राज्य में देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की चर्चा की है। वैसे तो पूरा सदन समाज के सभी वर्गों की चिंता करता है। आज सदन में ओलावृष्टि के ऊपर किसान के हित की चर्चा की जा रही है। माननीय सदन के नेता ने कल प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनाया जिसमें उन्होंने घोषणा की कि किसान पूरा जीवन लगाकर देश के अन्न उपजाकर अन्नदाता के रूप में अपना फर्ज निभाता है। इसलिए उसको प्रत्येक मास 5 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। दूसरी

16.00 बजे

बात मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल खराब हुई है, उसके लिए किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और उनको कुछ राहत मिलनी चाहिए, इस बारे में पूरे सदन को और सभी पार्टियों को चिन्ता है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। जब मैं हमारी पार्टी के किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो जो किसानों को पैंशन देने का मामला है इस पर हमने पिछले साढ़े तीन वर्षों में बहुत काम किया है। हम सभी जो भी किसान वर्ग के हितों संबंधी जितने भी वर्ग हैं, संगठन हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस बारे में जो खुशी है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को बधाई सन्देश के लिए यह सदन प्रस्ताव लाये।

प्रशंसा एवं धन्यवाद संबंधी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष बराला, एम.एल.ए. सदन में एक प्रशंसा एवं धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री सुभाष बराला (टोहाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं -

> "कि देश के माननीय प्रधान मंत्री एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसान हित में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों के लिए इन दोनों ही माननीय नेताओं की प्रशंसा एवं धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रस्ताव रखता हूं।"

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता (पंचकुला) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय श्री सुभाष बराला जी ने सदन में रखा है मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से यह निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को पास किया जाये।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रस्ताव के पक्ष में जो सदस्य हैं उनका हाथ खड़ा करवा लीजिए और जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में हैं उनके भी आप हाथ खड़े करवा लीजिए ताकि प्रदेश और देश की जनता को इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन से सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं और कौन से सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं। ऐसी जानकारी हरियाणा प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

> कि माननीय सदन के सामने देश के माननीय प्रधान मंत्री एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसान हित में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों के लिए इन दोनों ही माननीय नेताओं की प्रशंसा एवं धन्यवाद ज्ञापित करने बारे श्री सुभाष बराला द्वारा रखा गया प्रस्ताव पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

> माननीय सदन के सामने देश के माननीय प्रधान मंत्री एवं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसान हित में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों के लिए इन दोनों ही माननीय नेताओं की प्रशंसा एवं धन्यवाद ज्ञापित करने बारे श्री सुभाष बराला द्वारा रखा गया प्रस्ताव पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन इस प्रस्ताव के पक्ष में है ?

आवाजें : हां जी ।

(प्रस्ताव पारित हुआ)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

हरियाणा राज्य में स्वच्छ पेयजल की समस्या से संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण सर्वश्री परमिन्द्र सिंह ढुल, अनूप कुमार, राम चन्द्र कम्बोज, प्रो. रविन्द्र बलियाला तथा श्री बलकौर सिंह कालांवाली एम.एल.एज. की तरफ से मुझे एक ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने हरियाणा में स्वच्छ पीने के पानी को उपलब्ध कराने के बारे में कहा है। मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी प्रथम हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते अपनी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढें।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में पेश हुआ था उसका क्या हुआ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी साहब, माननीय मंत्री जी ने उस प्रस्ताव के लिए बहुत बढ़िया जवाब दे दिया है, जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। इतना बढ़िया जवाब मंत्री जी ने दे दिया। अब बाकी क्या रह गया है

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एसैम्बली की जो रूल्ज बुक है उसमें कुछ नियम निर्धारित किये हुए हैं। अगर उन रूल्ज को सदन में नहीं अपनाया जाता है तो उस रूल्ज की किताब को फाड़ कर फैंक दिया जाए। आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं उसके कुछ विशेषाधिकार हैं। सदन में सभी सदस्यों को समान मौका मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए हमारी पार्टी के सदस्यों को भी आप बोलने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री परमिन्द्र सिंह ढुल जी को पहले अपना कालिंग अटैंशन मोशन पढ़ने दीजिए। जो सदस्य चेयर की परमिशन के बगैर बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : आप सभी सदस्य बैठिये, प्लीज आप बैठिये। इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, पानीपत के एक शिविर में आँखों की रोशनी चले जाने के संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज सदन में लाया गया था । (शोर एवं व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है । (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बहनजी, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तो सदन में चर्चा पूरी हो चुकी है तथा उसका जवाब भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में दिया जा चुका है। माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी जो यह प्रस्ताव लेकर आये थे वे भी और पूरा सदन भी माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ये लोग तो किसानों का नाम लेकर सिर्फ राजनीति ही करना जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट ही लूंगा। श्री सुभाष बराला जी ने सदन में किसानों के हितों से संबंधित घोषणायें करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद करने के लिए जो प्रस्ताव सदन में रखा है, यदि यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है तो अवश्य ही स्वागत करने के योग्य है तथा हम प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद करने जायेंगे। विपक्ष को यदि बोलने का मौका मिलेगा तो हम अपनी क्वैरीज़ भी रख सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए मेरी प्रार्थना है कि विपक्ष को भी बोलने का समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष बराला जी ने किसानों के हितों के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है। (शोर एवं व्यवधान) श्री जगबीर जी, महीपाल जी, श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी, कृपया आप बैठिए।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि एक तो यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से आना चाहिए जिसके लिए मैं सरकार का पहले ही धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में पीने का स्वच्छ पानी एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पीने योग्य पानी की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। जहां-जहां जलघर स्थित हैं, वहां-वहां पानी की साफ-सफाई और रख-रखाव से लेकर इसे घरों में पहुंचाने तक एक भारी चिंता का विषय है। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पीने के पानी के अभाव में हरियाणा निवासियों के स्वास्थ्य पर हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के निवासियों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जलघर में आर.ओ. प्रणाली को लगाया जाना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जलघर से लेकर घरों के नलों तक उतना ही स्वच्छ पानी पहुंचे जितना आर.ओ. द्वारा उसे स्वच्छ बनाया जाता है। इस गम्भीर समस्या के दृष्टिगत, सरकार को सदन के पटल पर एक वक्तव्य देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में जवाब दें क्योंकि आज ट्यूबवैलों का पानी पीने की वजह से बीमारियां बहुत हो रही हैं और पानी का पी.एच. लैवल सबसे ज्यादा जा चुका है। कई राज्यों में इसके लिए केन्द्र से अनुदान लेकर यह व्यवस्था की गई है कि गांवों के अंदर आर.ओ. लगाए जाएं और गांवों के आर.ओ. सिस्टम को वहीं पंचायत कवर करें। हमारे यहां भी अनुदान लेकर ट्यूबवैल्स लगाये जायें और जिन गांवों में ट्यूबवैल का पानी से सप्लाई दी जाती है उन सभी गांवों में पंचायतों से मामूली राशि लेकर निश्चित तौर पर पीने के पानी के लिए आर.ओ. लगाना आवश्यक है। यह काम कई स्टेटों में किया गया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने जवाब में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख करें और इसके लिए एक पायलट प्रोजैक्ट लाएं। हरियाणा के देहातों में आज कैंसर और पीलिया जैसी महामारी फैली हुई है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर का बहुत बड़ा प्रकोप है जिसका मुख्य

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

कारण पानी का दूषित होना है। अध्यक्ष महोदय, पीलिया का भी कारण दूषित पानी ही है। स्वास्थ्य मंत्री जी खुद कई बार बता चुके हैं कि प्रदेश के अस्पतालों में आज स्पैशलिस्ट डाक्टर्ज का अभाव है इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रोपर्ली नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज अगर लोगों को पीने का पानी स्वच्छ मिले तो उनके स्वास्थ्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोका जा सकता है। लोग आर.ओ. लगवाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार भी हैं। आज भी गांवों में बड़े बड़े कस्बों के अंदर लोगों ने अपनी ट्रैक्टर ट्राली लगाई हुई है जो पीने का पानी मंहगी दरों पर सप्लाई करती हैं और लोग उस पानी को लेने के लिए मजबूर हैं। पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना लोकप्रिय सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी में आता है इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने जवाब के अंदर इसके लिए स्पष्ट नीति का उल्लेख करें। आपका धन्यवाद।

प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो घोषणा की है उसके लिए अगर सरकार प्रस्ताव लाए और विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिले तो हम उसका स्वागत करेंगें।

वक्तव्य-

लोक निर्माण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, इस महान् सदन के ध्यान में लाया जाता है कि हरियाणा राज्य लोगों को की जा रही पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरुक है और स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है (फरीदाबाद, गुड़गांव व पंचकुला शहरों के अतिरिक्त, जिनकी देखरेख संबंधित नगर द्वारा की जा रही है)। जहां भूमिगत जल मीठा है वहां पेयजल योजनाएं नलकूपों तथा जहां भूमिगत जल खारा है, सतही स्रोतों पर आधारित हैं। कलोरीन के प्रयोग द्वारा उचित कीटाणुशोधन के बाद लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के पास अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और पानी की गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी की जाती है तथा जहां कहीं भी जल जनित रोगों का मामला पाया जाता है, तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

यह सूचित किया जाता है कि ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन व रखरखाव के लिए काफी जोर दिया जा रहा है और कुल संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्रति वर्ष धनराशि आबंटित की जाती है। यहां यह उल्लेख करना भी गलत नहीं होगा कि जल आपूर्ति योजनाएं पेयजल आपूर्ति मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों अनुसार क्रियान्वित की जा रही हैं। पेयजल मंत्रालय द्वारा पानी की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया जा रहा है और एक अप्रैल, 2009 से इसमें उदाहरणीय परिवर्तन किया गया है। जल वितरण योजनाओं के क्रियान्वयन के अतिरिक्त, समर्थन गतिविधियों के नाम से एक नया घटक पेश किया गया है जिसके तहत पानी की गुणवत्ता की निगरानी शामिल है। पानी के नमूनों की जांच के लिए ग्राम पंचायतों को जल परीक्षण किटों के वितरण व जागरुकता लाने के अतिरिक्त सूचना, शिक्षा व संचार (आई.ई.सी.) तथा मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार चेयर पर पदासीन हुए)**

वर्ष 2008 में एक परियोजना अनुमोदित की गई थी तथा झज्जर, महेन्द्रगढ़ और कैथल जिलों में जहां पानी खारा है, 100 आर.ओ. संयंत्र लगाए गए थे। यह कार्य प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त, झज्जर, भिवानी और कैथल जिलों में अन्य 21 आर.ओ. संयंत्र लगाए गए थे। यह संयंत्र मौजूदा जल आपूर्ति व्यवस्था को अनुपूरक करने के लिए स्थापित किए गए थे तथा लोगों के लिए यह वैकल्पिक था कि या तो 10 पैसे प्रति लिटर अतिरिक्त देकर आर.ओ. के पानी अथवा विभाग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सामान्य पानी का उपयोग करें। यह देखा गया है कि इन संयंत्रों का औसत उपयोग स्तर 30-35 प्रतिशत है। सामान्यत: लोग आर.ओ. के पानी का भुगतान करने को तैयार नहीं है।

नहर आधारित जलस्तरों पर आर.ओ. प्रणाली स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आर.ओ. प्रणाली में लगी हुई झिल्ली खारे पानी में मौजूद अत्याधिक लवण को अलग करती है। यह लवण स्तही जल में मौजूद नहीं होते। नलकूप आधारित जलघरों के मामलों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित परीक्षण किया जाता है तथा यदि कोई गुणवत्ता की समस्या पाई जाती है तो वैकल्पिक तरीकों, जैसे कि नहर आधारित जलघरों का निर्माण अथवा जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध है वहां नए नलकूप लगा कर शुद्ध पेयजल प्रदान करने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। मेवात क्षेत्र में रैनी वैल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और जो भाई परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने कहा है कि आर.ओ. लगाने की व्यवस्था की जाये, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पहले एन.जी.ओ. द्वारा आर.ओ. लगाये गये थे। अब भी जहां कहीं भी मांग होगी वहां कॉस्ट देने पर एन.जी.ओ. के माध्यम से आर.ओ. लगवा दिए जायेंगे जिसकी 10 पैसे प्रति लीटर के आसपास कोस्ट आती है। महकमा सप्लाई करता है तो 0.1 प्रतिशत कोस्ट आती है। इस तरह से 100 गुणा ज्यादा पैसे जहां आर.ओ. लगते हैं वहां लिए जाते हैं। ढुल साहब प्रदेश में जहां कहीं भी कहेंगे वहां एन.जी.ओ. के माध्यम से आर.ओ. लगवा दिए जायेंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने एन.जी.ओ. के माध्यम से आर.ओ. लगाने की बात की है। मंत्री जी सही भी हो सकते हैं जो इन्होंने कहा कि पहले आर.ओ. एन.जी.ओ. के माध्यम से लगाये गये थे। एन.जी.ओज. के माध्यम से किस प्रकार कार्यवाही होती है, किस प्रकार किसी प्रोजैक्ट की स्टडी की जाती है, किस प्रकार प्रोजैक्ट आगे बढ़ते हैं, मैं इनकी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह सर्वविदित है। इस बारे में सब जानते हैं। हमारे साथ लगते प्रदेश पंजाब में जहां-जहां ट्यूबवैल से पीने के पानी की सप्लाई होती है वहां आर.ओ. लगे हुए हैं। लोग पैसा भी दे रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार अपने संसाधनों से आर.ओ. लगाने पर विचार करेगी ताकि आम आदमी को भी पीने का स्वच्छ पानी मिल सके क्योंकि जहां गहराई के ट्यूबवैल लगे हुए हैं ये स्वयं हमारी वजह से खराब हो गये हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है कि पुराने समय से लैटरिंग बनाने के लिए गड्ढे खोद दिए गए जिनका पानी नीचे जा रहा है जिसके कारण ग्राउंड वाटर का पी.एच. लैवल बहुत अधिक बढ़ गया है। मंत्री जी ने लैबोरेटरी के बारे में भी जानकारी दी लेकिन लैबोरेटरी काफी जिलों में नाम मात्र की उपलब्ध हैं। जींद वालों को पानी के सैम्पल टैस्ट करवाने के लिए भिवानी जाना पड़ता है। इसी तरह से दूसरे जिलों में भी यह समस्या है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लैबोरेटरी की व्यवस्था हर जिले में की जाए ताकि निश्चित तौर पर रैगूलर आधार पर पानी का पी.एच. लैवल सैंपलिंग लेकर चैक किया जा सके। इसी तरह से आर.ओ. सिस्टम भी सरकार अपना अनुदान देकर किसी संस्था से लगवाये जो

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

इसकी पूरी देख रेख करे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माननीय मंत्री जी ने नहरी पानी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में भी जानकारी दी है। हम सभी जानते हैं कि नहरी पानी अमृत के समान होता हैं लेकिन आज प्रदेश में जो हालात है सबको मालूम है कि नहरी पानी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम्ज में पानी नहीं पहुंच रहा है। शायद मंत्री जी के नोटिस में यह बात नहीं है। नहरी पानी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम्ज में पानी नहीं पहुंच रहा इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कई जगहों पर देहात के अंदर हमारे जैसे जो किसान हैं उनके मन में लालच आ जाता है और वे रास्ते में पानी के पाईप को पंक्चर कर लेते हैं जिसके कारण नहरी पानी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम्ज में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां जहां नहरी पानी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम्ज बनाई हुई हैं। कई जगहों पर नाले टूटे हुए हैं तथा 50 प्रतिशत टेल्ज पर पानी नहीं पहुंच रहा, इनके बनाने से सरकार के पैसे भी खर्च हो गए लेकिन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो नहरें हैं उनकी सफाई करवाई जाए ताकि नहरी पानी पर आधारित वाटर सप्लाई स्कीम्ज में पानी पहुंच सके। क्या मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे ?

राव नरबीर सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से दो सवाल पूछे हैं। जो इन्होंने आर.ओ. लगाने की बात कही है जैसा कि मैंने पहले भी अपने जवाब में बताया है कि जहां-जहां पर जिस-जिस गांव और जिस ईकाई में माननीय सदस्य चाहेंगे वहां-वहां पर उस-उस गांव में और उस-उस ईकाई पर माननीय सदस्य की रिकमण्डेशन पर हमारे विभाग द्वारा आर.ओ. लगा दिये जायेंगे। दूसरी बात माननीय सदस्य ने नहरों और टैंकों की सफाई के बारे में कही है। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिस-जिस नहर और टैंक की सफाई की आवश्यकता होती है हमारा विभाग उसकी सफाई करवाता है। फिर भी अगर कोई ऐसी नहर या ऐसे टैंक हैं जो हमारे डिपार्टमैंट की नॉलेज में नहीं हैं, और माननीय सदस्य की जानकारी में कोई ऐसी नहर या टैंक है जिसकी सफाई करवाई जानी ज़रूरी है, उसके बारे में हमें बता दें हम उसकी जल्दी से जल्दी सफाई करवा देंगे।

श्री अनूप धानक : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे उकलाना हल्के में ग्राऊण्ड वॉटर पूरी तरह से खराब है और बिलकुल भी पीने के काबिल नहीं है और जो नहरी पानी है वह सभी जगह नहीं पहुंच पाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के में आर.ओ. कब तक लगाये जायेंगे। इसके अलावा जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किसी भी गांव में आर.ओ. लगाने का खर्च 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने खर्च में गरीब आदमी साफ पानी कैसे पीयेगा और अगर वह दूषित पानी पीयेगा तो उसे अनेकों बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे पीलिया और कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ दूषित पानी की वजह से ही होती है। इसलिए इस बारे में मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के गरीब परिवारों के लिए इस खर्च को 10 पैसे प्रति लीटर से घटाकर एक पैसा प्रति लीटर करने का कष्ट करें जिससे मेरे हल्के के गरीब परिवारों को भी पीने का साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके और उनकी दूषित पानी की वजह से होने वाली बिमारियों से रक्षा हो सके।

राव नरबीर सिंह : सभापति महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया है, मैं अपनी उसी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के जो-जो गांव चाहेंगे कि वे आर.ओ. सिस्टम

लगाने के लिए वे पैमेंट कर सकते हैं जिस पर 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से खर्च आयेगा वहां पर हम आर.ओ लगा देंगे।

श्री राम चन्द कम्बोज : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे रानिया विधान सभा क्षेत्र में कीटनाशक दवाईयों के अत्यधिक इस्तेमाल से भूमिगत जल काफी हद तक दूषित हो चुका है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो ज्यादातर पीने का पानी है वह ट्यूबवैल का है। इसके लिए हमें आर.ओ. की तो आवश्यकता है ही, इसके साथ ही साथ जो मेरा रानिया कस्बा है उसमें जो सीवरेज़ व्यवस्था है और इस कस्बे में जो पानी की पाईप लाईन्स हैं वे भी बहुत छोटी हैं जिनसे पूरे रानिया कस्बे को सही ढंग से पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। जो पानी मिलता भी है उसमें शोरे की मात्रा बहुत ज्यादा है। इससे मेरे हल्के में हैपेटाईटिस सी और कैंसर के मरीज़ों की तादाद दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह पानी ही है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मेरे रानिया विधान सभा क्षेत्र और विशेषकर रानिया कस्बे के लिए पीने के लिए नहर के पानी की व्यवस्था हो सके तो वह बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हमारे रानिया से दो तीन किलोमीटर दूर महमदपुरिया गांव है। इस गांव में पंचायत की ज़मीन भी उपलब्ध है। इसलिए मंत्री जी मेरे हल्के में पीने के लिए नहरी पानी की व्यवस्था करवाने का जल्दी से जल्दी कष्ट करें। इसके लिए वे कोई ऐसा प्रावधान करें कि पानी के टैंकर इकट्ठे करवाकर वहां से रानिया कस्बे को नहरी पानी की सप्लाई हो जाये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नहरी पानी अमृत के समान है। ऐसा करके दूषित पानी के कारण होने वाली सभी बीमारियों को काबू किया जा सकता है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध भी करूंगा कि मेरे रानियां हल्के में सभी जल घर भी नहर आधारित किये जायें। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूंगा।

राव नरबीर सिंह : सभापति महोदय, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर हम ट्यूबवैल लगाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता उनका पानी खराब हो जाता है। डिपार्टमैंट द्वारा ऐसे ट्यूबवैल्ज़ को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करके वहां से पानी की सप्लाई की जाती है। विधायक महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि इनके हल्के में ट्यूबवैल्ज़ का पानी खराब हो गया है इसलिए वहां पर पीने के पानी की सप्लाई नहरी पानी से करवाई जाये। इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हमारा डिपार्टमैंट इस बारे में इंक्वायरी करवा लेगा और अगर वहां पर ऐसी परिस्थितियां हमारे विभाग के द्वारा पाई जाती हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहरी पानी से की जाये।

श्री राम चन्द कम्बोज : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे न तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका मिला और न ही मुझे बजट पर बोलने का समय मिला। इसलिए अब तो मुझे अपनी बात कहने का समय दिया जाये।

श्री सभापति : कम्बोज़ जी, आपके द्वारा एक सप्लीमैंट्री पूछ ली गई है इसलिए अब आप कृपया करके बैठ जायें। आपको अपनी बात कहने के लिए बाद में समय दे दिया जायेगा।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : सभापति महोदय, दूषित पानी पीने से लोग बहुत सी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उसमें लीवर, सोरायेसिस, कैंसर तथा हैपेटाईटिस-सी इत्यादि बीमारियाँ हैं। मेरे

[प्रो. रविन्द्र बलियाला]

रतिया हल्के में लुठेरा गाँव है जहाँ पर 70 प्रतिशत लोग दूषित पानी पीने से घुटनों के दर्द से परेशान हैं। वहाँ पर पानी में कोई इस तरह का तत्व है जिससे 70 प्रतिशत लोगों के घुटने खराब हो चुके हैं। इसी प्रकार से लाली तथा बलियाला गांव में जहाँ पर हैपेटाईटिस-सी के मरीज बहुत ज्यादा हैं और जिसका एक मात्र कारण पीने का दूषित पानी है। जब हमने हैपेटाईटिस-सी के बारे में प्रश्न पूछा था तो माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब में इस बात को माना भी था कि हैपेटाईटिस-सी फैलने का मुख्य कारण पीने का दूषित जल है। क्या मंत्री जी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे ? यह बात तो दूषित पानी की हुई, लेकिन मेरे हल्के के एक-दो गांव ऐसे भी हैं जहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं है। स्वच्छ और दूषित जल की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले तो पीने के लिए पानी उपलब्ध होना जरूरी है। मेरे हल्के का गांव लधुवास है जहाँ पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भूमिगत जल है वह इतना खराब है कि उसको आदमी तो क्या पशु भी नहीं पी सकते। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समस्या की तरफ भी ध्यान दिया जाये तथा जिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता उनको उपलब्ध करवाया जाये। इसी प्रकार से विधायक बलवान सिंह का गांव दौलतपुर मेरे हल्के में पड़ता है। वहाँ पर पिछली सरकार ने 2-3 साल पहले पीने के पानी के लिए एक योजना चलाई थी लेकिन अभी तक वह योजना पूरी नहीं हुई है तथा वहाँ पर पानी नहीं पहुंचा है। फतेहाबाद से पाईपलाईन बिछा कर पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाना था लेकिन अभी तक वह पाईपलाईन बिछाई नहीं गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों गांवों में कब तक पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा ?

श्री नरबीर सिंह : सभापति महोदय, हमारी सरकार की मंशा है कि हर गांव को सड़क, बिजली और पीने का पानी पहुंचे। इसलिए हर गांव में पीने का पानी अवश्य उपलब्ध करवाया जायेगा। जहाँ तक माननीय सदस्य ने कहा है कि हैपेटाईटिस-सी दूषित पानी की वजह से फैलता है तो इस बारे में मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हैपेटाईटिस-सी पानी की वजह से नहीं फैलता।

श्री बलकौर सिंह : सभापति महोदय, पानी का मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है। वैसे तो पूरे सिरसा जिले में ही पीने के पानी की बहुत किल्लत है लेकिन मेरे हल्के कालांवाली में जो वॉटर वर्क्स बने हुये हैं उनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि वे बहुत पुराने हैं। उनकी पाईपलाईन बहुत पुरानी हैं और वह जगह-जगह से लीक हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जितनी भी पाईपलाईन हैं या तो उनको बदला जाये या उनकी मुरम्मत की जाये ताकि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचे। सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि जहाँ-जहाँ पर आर.ओ. की जरूरत होगी वहाँ पर आर.ओ. लगाया जायेगा। मेरे हल्के में भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर आर.ओ. की जरूरत है मैं उनकी लिस्ट माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा। इसलिए मंत्री जी वहाँ पर आर.ओ. लगवा कर लोगों को सुविधा प्रदान करें। इसी प्रकार की एक और समस्या है कि पीने के पानी की पाईपलाईन में सीवर की लाईन मिल जाती है जिससे बहुत बीमारियाँ फैलती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सीवर की पाईपलाईन तथा पीने के पानी की पाईपलाईन की मुरम्मत जल्दी से जल्दी की जाये क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है।

श्री हरिचन्द मिड्ढा : सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 36 गांव हैं जिनमें से 20 गांव में तो पीने का पानी बिल्कुल जाता ही नहीं है वहां के लोग इतने

परेशान हैं कि वह मुझे रोजाना आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर पानी की व्यवस्था जल्दी ठीक नहीं हुई तो हम आपको अन्दर कर देंगे। बाकी आपकी मर्जी है। मैं मंत्री जी से उम्मीद रखता हूं कि हमारे क्षेत्र में पानी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए क्योंकि जनता पीने के पानी की कमी से बहुत दु:खी हो रही है।

श्री नरबीर सिंह : सभापति महोदय, अगर 36 गांवों में से 20 गांवों में पानी नहीं जा रहा और फिर भी यह शांत बैठे हैं तो इसका मतलब फिर आपका बिगड़ कुछ नहीं रहा है। क्योंकि अब तक तो कुछ न कुछ हो लेता। जहां तक विधायक साथी का सवाल था कि पीने के पानी में सीवरेज का पानी आ जाता है। यह शिकायत कई जगह से आ रही है। मैं अपने साथी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां-जहां विभाग को शिकायत मिलती है वहीं पर हमारा विभाग तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करता है। माननीय सदस्य जो आर. ओ. लगाने की बात कह रहे हैं उसके लिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि उसके लिए लिख कर दे दें। एन.जी.ओ. जो पैसे लेंगी उस पैसे को देने के लिए जो भी गांव व संस्था तैयार होगी हम वहां आर. ओ. का प्रबंध करवा देंगे।

श्री बलवन्त सिंह : सभापति महोदय, हाल ही में शहरों में जहां पर चार-पांच साल से जो 32 ट्यूबवैल ठप्प हुए थे, जिन पर पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, मैं मौजूदा सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने 27 ट्यूबवैल वहां सैंक्शन कर दिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि पहले डिविजन लेवल पर एक्सीयन इंचार्ज होता था और वह ट्यूबवैल लगा सकता था। लेकिन पिछली सरकार ने ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि चार-पांच-छ: डिविजन करनाल तक एक एक्सीयन को दे दिया उसको क्या पता कि सढ़ौरा की समस्या क्या है, नारायणगढ़ की समस्या क्या है ? आने वाले समय में जोकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है उसमें हर आदमी पीने के पानी के लिए तरसेगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो 27 ट्यूबवैल सैंक्शन हुए हैं चाहे वह हैबतपुर का है, चाहे वह रूकाली का है, चाहे वह बिलासपुर का है, चाहे सधाय का है अगर वे ट्यूबवैल्स एक महीने के अन्दर लग जाएं तो लोगों को पीने का पानी मिल सकता है और जो पांच-छ: ट्यूबवैल हैं चाहे वह सुलतानपुर का है, चाहे वह मुस्तफाबाद का है, चाहे लाहड़पुर का है, चाहे सधाय का है जो अभी पास होने हैं। जिनका बजट सैंक्शन होना है कृपा उनका भी बजट जल्दी सैंक्शन किया जाए। आपका धन्यवाद।

श्री नरबीर सिंह : सभापति महोदय, माननीय साथी ने पूछा है कि जो ट्यूबवैल पास हो रहे हैं उनको जल्दी शुरू करवाया जाए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार की यह मंशा है कि सभी गांव में बिजली पानी और सड़क दी जाए। जहां-जहां जरूरत होगी और जो ट्यूबवैल्स पास होंगे जल्दी से जल्दी शुरू करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री नसीम अहमद : सभापति महोदय, आज के दौर में सबसे अहम और सबसे जरूरी समस्या पीने की पानी की है। कहीं पर पाईप लाईन से पीने के पानी की सप्लाई हो रही है, कहीं कुंए से सप्लाई हो रही है। उसके अलावा हमारे प्रदेश में भी और देश में भी आज पीने का पानी बोतलों में मिल रहा है और पाऊचों में भी मिल रहा है। हमारे शहरों और कस्बों में दुकानदारों के पास डिब्बों में पानी भरकर मयूर जग के रूप में भी दिया जाता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह पानी स्वच्छ है ? अगर स्वच्छ है तो हमारी हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से ऐसी कौन-कौन सी अप्रूव्ड ब्रांडिड कम्पनियां हैं जिनकी बोतलों में पानी मिलता है और वह पीने लायक हैं और

[श्री नसीम अहमद]

कितने ऐसे ब्रांड हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं ? क्या सरकार का उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार है ? अगर कार्यवाही नहीं की जा सकती तो आम जनता को उन ब्रांडों की पहचान बताई जाए ताकि उनसे लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव न पड़े।

श्री नरबीर सिंह : सर, विभाग ने शिकायत निवारण केन्द्र खोल रखे हैं। जिनकी शिकायत मिलती है तो उसकी विभाग अपनी तरफ से कार्यवाही करता है। सर, यह मेरी जानकारी में नहीं है कि फलां सैम्पल पास है और फलां फेल है।

श्री नसीम अहमद : सर, यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। एक आम आदमी उस पानी को पी लेता है लेकिन उसको यह मालूम नहीं है कि वह पानी स्वच्छ है या नहीं है। इसलिए इसके बारे में जवाब दिया जाए।

श्रीमती बिमला चौधरी : सभापति महोदय, पटौदी में गांव-गांव में पीने के पानी की समस्या है। मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि एक तो पटौदी में आए दिन जाम लगता है। उसमें दो-दो घण्टे जाम में फँसना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर बाईपास बनवाया जाये। सभापति महोदय, पटौदी विधान सभा क्षेत्र में पीने का पानी खारा है। वहाँ के कई गाँवों को पानी लाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कई-कई कोस दूर तक जाना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती है कि वहाँ पर पानी की समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाये। सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूँ कि पटौदी विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री दरबार लगाया था और उस दरबार में मानेसर गाँव में कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद करती हूँ।

श्री नरबीर सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्या पटौदी विधान सभा क्षेत्र से आती है, वह क्षेत्र मेरे नजदीक हैं। इन्होंने दो बातें, एक तो पानी समस्या और दूसरी पटौदी में बाई-पास के बारे में कही हैं इनकी दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। पहले हम भी उसी रास्ते से रोजाना निकलते थे लेकिन अब मंत्री बनने के बाद समय नहीं मिल पाता है। पटौदी क्षेत्र में बाईपास की सबसे बड़ी जरूरत है। सभापति महोदय, इस पंचवर्षीय योजना में सरकार की कोशिश रहेगी कि वहाँ पर बाईपास बनवाया जाये। पटौदी क्षेत्र में पानी की कमी नहीं रहेगी क्योंकि नया इण्डस्ट्रियल एरिया डिवैल्प होने के कारण आबादी बहुत बढ़ गई है। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मानेसर में कॉलेज बनाने की माँग है? ग्राम पंचायत ने कहा था कि बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन दे दी जायेगी लेकिन ग्राम पंचायत ने अभी तक सरकार को जमीन उपलब्ध नहीं करवाई है। जैसे ही जमीन उपलब्ध करवा दी जायेगी तो सरकार द्वारा वहाँ पर जल्दी से जल्दी कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जायेगा।

वर्ष 2015-16 की बजट अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, अब बजट 2015-16 की अनुदानों की माँगों पर चर्चा तथा मतदान होगा।

पिछली प्रथा के अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्ज एक साथ पढ़ी और पेश की गई समझी जायें।

कि **राजस्व खर्च के लिए 65,56,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **1-विधान सभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 106,51,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 201,33,10,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **3-सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 1002,42,70,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **4-राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 207,79,16,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **5-आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 5971,81,60,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **6-बिल** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 407,81,78,600 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **7-आयोजना एवं सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 1228,78,87,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 2432,76,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **8-भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 11440,65,66,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 27,20,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **9-शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 464,71,90,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल

[श्री सभापति]

महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **10-तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 265,89,74,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **11-खेलकूद तथा युवा कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 13,09,02,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **12-कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 2989,03,01,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **13-स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 168,38,84,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1025,00,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **14-नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 2217,19,37,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **15-स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 48,17,10,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 2,00,10,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **16-श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 78,76,65,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **17-रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 241,53,75,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 46,71,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **18-औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 365,19,20,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3,60,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को

चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **19-अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 3630,57,46,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,41,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **20-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 981,33,79,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 213,74,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **21-महिला एवं बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 86,49,71,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 318,05,42,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 9369,37,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **23-खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 1717,22,26,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 550,20,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **24-सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 126,20,77,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 7,42,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **25-उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 13,09,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **26-खान एवं भू-विज्ञान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 1240,56,75,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **27-कृषि** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

[श्री सभापति]

कि **राजस्व खर्च के लिए 666,06,00,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **28-पशुपालन एवं डेरी विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 46,58,05,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **29-मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 400,13,31,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **30-वन एवं वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 6,97,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **31-परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 2945,76,17,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 217,54,68,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 54,95,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **33-सहकारिता** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 2055,27,40,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 210,85,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **34-परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 3,52,85,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 31,90,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **35-पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 2914,35,62,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 120,00,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को

चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **36-गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 58,90,55,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **37-निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 1637,33,30,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1034,22,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **38-लोक स्वास्थ्य एवं जल पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 120,74,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **39-सूचना एवं प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 5676,24,77,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 300,00,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **40-ऊर्जा एवं विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 55,58,40,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **41-इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्राद्यौगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 435,13,53,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **42-न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 182,05,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **43-कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 38,05,25,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5,74,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **44-मुद्रण एवं लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 1366,77,10,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग सं0 **45-राज्य**

[श्री सभापति]

सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री करण सिंह दलाल, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री बलकौर सिंह और श्री केहर सिंह की माँग संख्या 3, श्री बलकौर सिंह और श्री केहर सिंह की माँग संख्या 4, श्री करण सिंह दलाल, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री नगेन्द्र बढ़ाना और श्री रणवीर गंगवा की माँग संख्या 8 और 40, श्री नसीम अहमद, श्री वेद नारंग, श्री अनूप धानक और श्रीमती नैना सिंह चौटाला की माँग संख्या 9, श्री राम चन्द कम्बोज की माँग संख्या 10, श्री राजदीप फौगाट की माँग संख्या 11, श्री नसीम अहमद, श्री जसविन्द्र सिंह संधू, श्री पिरथी सिंह, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया और डॉक्टर हरी चन्द सिढ्ढा की माँग संख्या 13, श्री मक्खन लाल सिंगला की माँग संख्या 14, श्री नगेन्द्र भडाना की माँग संख्या 15, श्रीमती नैना सिंह चौटाला और श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया की माँग संख्या 21, श्री करण सिंह दलाल और श्री परमिन्द्र सिंह ढुल की माँग संख्या 26, श्री करण सिंह दलाल, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल और श्री जसविन्द्र सिंह संधू की माँग संख्या 27, श्री ओम प्रकाश बरवा की माँग संख्या 28 और 30, श्री जाकिर हुसैन की माँग संख्या 32, 38 और 40, डॉक्टर हरि चन्द सिढ्ढा की माँग संख्या 33, श्री पिरथी सिंह की माँग संख्या 19 और श्री परमिन्द्र सिंह ढुल की माँग संख्या 40 पर कट मोशन प्राप्त हुए। माननीय सदस्यण, किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

डिमांड नम्बर 3

1. श्री करण सिंह दलाल
2. श्री परमिन्द्र सिंह ढुल
3. श्री बलकौर सिंह
4. श्री केहर सिंह

डिमांड नम्बर 4

1. श्री बलकौर सिंह
2. श्री केहर सिंह

डिमांड नम्बर 8

1. श्री करण सिंह दलाल
2. श्री परमिन्द्र सिंह ढुल
3. श्री नगेन्द्र भडाना
4. श्री रणबीर गंगवा

डिमांड नम्बर 9

1. श्री नसीम अहमद

2. श्री वेद नारंग
3. श्री अनूप कुमार
4. श्रीमती नैना सिंह चौटाला

डिमांड नम्बर 10

1. श्री राम चन्द कम्बोज

डिमांड नम्बर 11

1. श्री राजदीप फौगाट

डिमांड नम्बर 13

1. श्री नसीम अहमद
2. श्री जसविन्द्र सिंह संधू
3. श्री पिरथी सिंह
4. श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया
5. डॉ0 हरि चन्द मिड्ढा

डिमांड नम्बर 14

1. श्री मक्खन लाल सिंगला

डिमांड नम्बर 15

1. श्री नगेन्द्र भड़ाना

डिमांड नम्बर 19

1. श्री पिरथी सिंह

डिमांड नम्बर 21

1. श्रीमती नैना सिंह चौटाला
2. श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया

डिमांड नम्बर 24

1. श्री करण सिंह दलाल
2. श्री परमिन्द्र सिंह ढुल

डिमांड नम्बर 25

1. श्री मक्खन लाल सिंगला

[श्री सभापति]

डिमांड नम्बर 26

1. श्री राजदीप सिंह फौगाट

डिमांड नम्बर 27

1. श्री करण सिंह दलाल
2. श्री परमिन्द्र सिंह ढुल
3. श्री जसविन्द्र सिंह संधू

डिमांड नम्बर 28

1. श्री ओम प्रकाश

डिमांड नम्बर 30

1. श्री ओम प्रकाश

डिमांड नम्बर 32

1. श्री जाकिर हुसैन

डिमांड नम्बर 33

1. डॉ0 हरि चन्द मिढा

डिमांड नम्बर 34

1. श्री राम चन्द कम्बोज

डिमांड नम्बर 38

1. श्री जाकिर हुसैन

डिमांड नम्बर 40

1. श्री परमिन्द्र सिंह ढुल
2. श्री जाकिर हुसैन
3. श्री रणबीर गंगवा

यह सब कट मोशन पढी गई और पेश की गई समझी जायेंगी लेकिन ये कट मोशन सदन में मतदान के लिए उस समय रखी जायेंगी जब विभाग की डिमांड सदन में मतदान के लिए रखी जायेंगी।

अब मैं राम चन्द कम्बोज को बोलने की अनुमति देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी मांगों को क्रम-वाईज ले लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : दलाल साहब, कट मोशन क्रमवाईज होते हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, पहले आप मेरी डिमांड नम्बर देख लीजिए। (विघ्न)

श्री सभापति : दलाल साहब, हमने जनरल डिमांड पर चर्चा शुरू करनी है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नम्बर-3 पर मैंने कट मोशन दिया है। (विघ्न)

श्री सभापति : दलाल साहब, कट मोशन दोबारा से शुरू होगा, उससे पहले जनरल डिस्कशन होगी।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, पहले डिमांड नम्बर-3 को छोड़कर डिमांड नम्बर-10 पर समय दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री सभापति : दलाल साहब, आप सीनियर मैम्बर हैं, इसलिए नये सदस्यों को पहले मौका दिया गया है, उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री राम चन्द कम्बोज (रानियां) : सभापति महोदय, आपने मुझे डिमांड नम्बर-10 टैक्नीकल एजुकेशन पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र रानियाँ में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा प्रणाली की है। सभापति महोदय, शुरू से ही शिक्षा की नींव मजबूत होगी तो भविष्य में अपने आप ही शिक्षा की नींव मजबूत रहेगी। जिस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र मजबूत है उस विधानसभा क्षेत्र के बच्चे भविष्य में अपने प्रगति के पथ से डगमगायेंगे नहीं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय को छोड़कर न तो डिग्री कॉलेज है और न ही टैक्नीकल एजुकेशन की संस्था या अन्य किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है और वहाँ पर स्टॉफ की भी भारी कमी है। सरकार राजकीय स्कूलों में अध्यापक व बच्चों का 1-40 का अनुपात मानती है, लेकिन जब मेरे इलके में निरीक्षण हुआ तो 1-70 का अनुपात पाया गया है। इस प्रकार से मेरा विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने के लिये लगभग 45-50 किलोमीटर दूर बसों में जाना पड़ता है और ना उनके लिये कोई अलग से बसों का इन्तजाम है। इसलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र रानियाँ में डिग्री कॉलेज और टैक्नीकल एजुकेशन कॉलेज बनाया जाये। सभापति महोदय, लड़कियों के लिये यदि कॉलेज शुरू होता है तो राजकीय कन्या महाविद्यालय, रानियाँ की मैनेजमैंट कमरे बनाने के लिये तैयार है। इसलिए आने वाले सत्र से लड़कियों के लिये बी.ए. और बी.कॉम. की क्लासिज शुरू की जाये। बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव पिछली सरकार में भी आता रहा है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव भेज दूंगा और पुन: आग्रह करूँगा कि आने वाले सत्र से लड़कियों के लिये क्लासिज शुरू करवाई जाये, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभारी रहूँगा।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड नम्बर-3 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, उसके बारे में अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

[श्री करण सिंह दलाल]

सभापति महोदय, बातें तो बहुत हैं लेकिन मैं सबसे पहले तो एक निवेदन यह करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो पिछले दिनों यह फैसला लिया है कि जितने भी ऐसे कानून हैं जो रिडण्डैंट हो चुके हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है और सरकार ने नारा भी दिया हुआ है कि कम से कम सरकार और अधिक से अधिक सुशासन बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके लिये सरकार को आगे कदम बढ़ाने होंगे। एप्रोप्रिएशन बिल वगैरह सदन में आते हैं, यह एक साल के लिये बिल बनता है, ऐसे कानूनों की वजह से स्टैच्यूट पर इतना भार बढ़ता जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करता हूँ कि पार्टी के नारे के मुताबिक जो सरकार के बेकार के कानून जनता के ऊपर बोझ बने हुए हैं उनको कम करें। मेरा सुझाव यह है और लॉ कमीशन ने भी यह कहा है कि Article 372(2) of the Constitution of the India यदि ऐसा कोई कानून है, जो आज के मायने में इतना महत्व नहीं रखता, माननीय सदस्य उनको रिपील कर सकते हैं। आज जो एप्रोप्रिएशन बिल लाते हैं और सप्लीमेंटरी ग्रांट्स वगैरह हैं इन्हें बड़ी-बड़ी किताबें बनाकर लाईब्रेरिज में और न जाने कहां-कहां रखा जाता है। चेयरमैन सर, मेरा सुजैशन है कि जब ये एप्रोप्रिएशन बिल लाएं तो साथ ही इसमें एक लाईन लिख दें कि Bill shall deem to be repealed at the end of the financial year. उससे सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और लोगों के ऊपर से ख्वाहमखाह का वजन कम हो जाएगा। दूसरी बात माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है। उसके बारे में ट्रिब्युन में 18 तारीख को एक आर्टीकल आया कि The Budget for the year 2015-16 does not carry any mark of Harvard education. सभापति महोदय, वित्त मंत्री हार्वर्ड युनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह ट्रिब्युन न्यूज पेपर ने लिखा है कि यह बजट डायरैक्शनलैस है। हार्वर्ड के मुताबिक हरियाणा के लोगों को जो चीजें चाहिए वे इस बजट में नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने एल.ई.डी. लाईट्स पर 5 प्रतिशत वैट में छूट दी है। सर, मेरे पास ऐसे डॉक्युमेंट्स हैं जो यह साबित करते हैं कि यह एल.ई.डी. बेशक एनर्जी सेविंग करती है लेकिन ऐसी रिपोर्टस मिली हैं कि इनके प्रयोग से व्यक्ति आंखों से अंधा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकता है। इस तरह की रिपोर्टस के बारे में मंत्री महोदय क्या कहेंगे ? यह कल के इंग्लिश ट्रिब्युन की न्यूज है That the two Central Ministers are involved in graft. इनकी सहयोगी पार्टी ...(विघ्न)

श्री सभापति : दलाल साहब, क्या आप चारों डिमांड्स पर एक साथ बोल रहे हैं ? (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड है। मैं डिमांड नम्बर 3 पर बोल रहा हूं। यह मेरा कांस्टीच्युशनल राइट है और मैं अगर कोई गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे रोक दीजिए। (विघ्न)

श्री सभापति : आप अपना सुझाव संक्षिप्त करके दें क्योंकि सभी मैम्बर्स संक्षिप्त करके बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, ठीक है, मैं पहले डिमांड नम्बर 3 कन्क्ल्यूड कर लेता हूं और उसके बाद अगली डिमांड पर आ जाता हूं। (विघ्न)

श्री सभापति : ठीक है, आप कन्क्ल्यूड कर लीजिए। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : आदरणीय सभापति महोदय, यह अखबार में आया हुआ है।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, इनको घबराहट हो रही है। अब मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो...(विघ्न)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : सभापति जी, बजट के ऊपर बहुत लम्बी चर्चा हुई है और इस विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि बजट पर चर्चा करते हुए पक्ष से दो गुना ज्यादा समय विपक्ष को दिया गया। अगर आपको अब भी संतुष्टि नहीं है तो यह हैरानी की बात है। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : सभापति जी, ऐसा पहले भी हुआ था। You may check the record.

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति जी, माननीय सदस्य अगर विषय पर बात करेंगे तो इससे हमें अच्छा लगेगा और हमें खुशी होगी ।

श्री सभापति : दलाल साहब, आप अपनी डिमांड्स पर स्पीच को वाइंड अप कर लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको कट मोशन पर भी बोलना है ।

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, the Union Minister ****** is the brain behind replacing street lights across the country with LED lamps. If details of rupees thirty thousands crores' scam come out at least two Ministers in the Government will loose the red bacon atop their vehicles. यह बात इंग्लिश के ट्रिब्युन अखबार ने लिखी है। सभापति जी, हरियाणा प्रदेश के फाईनैंस मिनिस्टर ने एल.ई.डी. लाईट्स पर वैट में 5 प्रतिशत की छूट दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं यह छूट किसी स्कैम का हिस्सा तो नहीं है। इन लाईट्स पर छूट देने की क्या जरूरत थी जब किसी विभाग ने नहीं कहा और न ही लोगों ने कोई इस तरह की डिमांड की है और एल.ई.डी. लाईटस की रिपोर्टस में इन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। अगर आप कहें तो मैं सदन में यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस आदरणीय सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम उल्लिखित करके इस प्रकार से चर्चा करना ठीक नहीं है। (विघ्न) दूसरी बात हरियाणा की जनता के हित में और हरियाणा में जो एल.ई.डी. लाईट्स की इण्डस्ट्रीज हैं, उनकी मांग पर सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह घोषणा की है क्योंकि हरियाणा की एल.ई.डी. लाईट्स से प्रतिस्पर्धा दूसरे राज्यों में भी कोई नहीं कर पाता। उनके नुक्सान को देखते हुए सरकार ने एल.ई.डी. लाईट्स पर वैट कम किया है क्योंकि इनके प्रयोग एल.ई.डी. से एनर्जी की भी काफी बचत होती है। इसलिए पूरे देश में इसे प्रोमोट किया जा रहा है। माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल जी अनथक और अनर्गल बातें कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

---

*As ordered by the Chair, the word was deleted from the proceedings of the House.

श्री सभापति : जो व्यक्ति हाउस का सदस्य नहीं है और उसका नाम सदन में लिया गया है तो उसके नाम को सदन की कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी एल.ई.डी. लाईट्स के बारे में कह रहे हैं। मेरे पास एक अखबार की रिपोर्ट है जिसमें एक्सपर्ट्स ने एल.ई.डी. लाईट्स के बारे में कहा है वह इस प्रकार से है : "When I see all the LED that comes with any or every object that contains any metal and is made in China. I wonder at the seeming necessity to include it in so many processes. If we would not make things like lights here in US there would be no LED in the things but a company making toxic equivalent in China would always under sell so consumers are individually smart miser but collectively idiotic self prisoners." सर, मंत्री जी ने जो एल.ई.डी. लाईट्स पर वैट घटाया है उसके बारे में मंत्री जी पहले सदन में चर्चा करते। ट्रिब्यून अखबार ने 30 हजार करोड़ रुपये का स्कैम भारत सरकार के मंत्रियों के बारे में, एल.ई.डी. लाईट्स के बारे में लिखा है। जब सरकार ने किसानों के लिए डीजल पर 5 प्रतिशत वैट बढ़ाया था तो हमने सरकार से विनती की थी कि इस मुसीबत के समय में डीजल पर वैट न बढ़ाया जाए लेकिन सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाने की देर नहीं लगाई।

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, माननीय सदस्य फिर वही बात कर रहे हैं जिस बात के कोई मायने ही नहीं हैं। इस बारे में मैं सदन में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि डीजल और पैट्रोल पर पिछले दिनों सरकार ने जो वैट बढ़ाया था वह बजट से पहले ही बढ़ाया था। उसी बात को माननीय सदस्य फिर सदन में उल्लिखित कर रहे हैं। उस बारे में सरकार ने स्पष्ट किया था कि वर्ष 2014-15 के बजट में सरकार ने जितने रेवेन्यू का जो टारगेट डीजल और पैट्रोल पर रखा था, सरकार रेवेन्यू का वह टारगेट अचीव नहीं कर पाई है। पिछली सरकार के समय से तो डीजल का रेट आज भी 14 रुपये प्रति लीटर कम है उस रेट से कम आज भी किसानों को डीजल मिल रहा है इस बात का जवाब माननीय सदस्य के पास क्या है वे सदन को बतायें।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उद्योगपतियों की मांग पर सरकार ने एल.ई.डी. लाईट्स पर 5 प्रतिशत वैट कम किया है। ये उद्योगपतियों के भले के लिए एल.ई.डी. लाईट्स लगा रहे हैं या फिर हरियाणा की जनता के लिए लगा रहे हैं। (विघ्न)

श्री सभापति : दलाल साहब, आप प्रश्न पूछिये। आप अपनी डिमाण्ड पर बोलिये।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं या कोई अनपार्लियामैंटरी बात बोल रहा हूं तो मुझे आप बोल सकते हैं।

श्री सभापति : दलाल साहब, आप प्रैस की बजाए चेयर की तरफ देख कर अपनी बात कहिये और आप अपनी बात जल्दी से कन्कल्यूड कीजिए। फिर अगली डिमाण्ड्ज पर भी चर्चा करवानी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : ठीक है सर, मैं अपनी बात को कन्क्ल्यूड कर रहा हूं। मैं डिमाण्ड नं. 3 पर बोलना चाहता हूं। आज हरियाणा प्रदेश में आर्म्स लाईसैंस अगर नौजवान बच्चों को दे दिए जाएं तो वह गैनमैन का काम कर सकते हैं। इससे उनको रोजगार भी मिल सकता है। यह तो भारत

सरकार का एक्ट है पिछले दिनों पता नहीं क्या बात हुई कि इस एक्ट में यह शर्त लगा दी गई कि आर्म्स लाईसैंस सिर्फ उसी व्यक्ति को मिल सकता है जिसको जान का खतरा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे हरियाणा में नौजवान बच्चों को रोजगार देने के लिए आर्म्स लाईसैंस देने का काम करेंगे।

श्री सभापति : दलाल साहब, आप कन्क्लयूड कीजिए।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, अब मैं डिमांड नम्बर 8 पर बोलना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पलवल में, खादर के इलाके में माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पिछली सरकार ने जो लोक निर्माण विभाग की कई करोड़ की नई सड़कें बनाने का कार्य शुरू किया था, वह कार्य इस सरकार ने आने के बाद बंद कर दिया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इन नई सड़कों को बनाने का कार्य फिर से शुरू किया जाये। (शोर एवं व्यवधान) इसके अतिरिक्त मेरा एक सुझाव है कि हरियाणा सरकार में कार्यरत जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के मैनुअल बदलने के लिए विभागीय कमेटी बनाई जाये ताकि मौजूदा हालात में नये मैनुअल का लाभ उठाया जा सके। विघ्न)

श्री सभापति : दलाल साहब, आप डिमांड संख्या 8 पर अपने जो सुझाव देना चाहते हैं वे बहुत कम समय में दें ताकि अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने के लिए समय मिल सके।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं देना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : मैं तो आपसे विनम्रता से ही कह रहा हूं कि आप कम समय में अपनी बात पूरी कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति जी, मैं एक बात सदन में बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने किसानों की जमीन एक्वायर करने संबंधी एक नीति बनाई थी जिसके तहत शहर के नजदीक लगने वाले गाँवों में स्थित किसानों की जमीन एक्वायर करने के लिए दोगुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था लेकिन इस सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाकर भेजी है उस के तहत सारी सुविधाओं को बदल दिया गया है। पहले तो किसानों की जमीन एक्वायर करने के लिए दोगुना अर्थात् दोतरफा मुआवजा दिया जाता था अब इस मुआवजे की राशि को एक गुना कर दिया है । इसलिए मेरी माँग है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार विचार करे तथा भारत सरकार से बात भी करे । (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : सभापति जी, माननीय सदस्य सदन में * * शब्द कह रहे हैं। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह नीति इनकी सरकार ही बनाकर गई थी। (शोर एवं व्यवधान) जो किसानों की जमीन अधिग्रहण संबंधी मुआवजा एक गुना देने की नीति है वह इनकी आपकी सरकार ने ही बनाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : अभी जो सदन में * * शब्द का प्रयोग किया गया है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, इस बारे में नोटिफिकेशन वर्तमान सरकार के समय में हुई है, यह नोटिफिकेशन हमारे शासनकाल में नहीं हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति जी, हुड्डा साहब ठीक बात कह रहे हैं कि इस बारे में इनकी सरकार की कैबिनेट का सुविचारित निर्णय था जिसके लिए पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसने पूरे हरियाणा में घूमकर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को इनकी सरकार ने स्वीकार किया था तथा बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था। किसी निर्णय के बाद नोटिफिकेशन की प्रिंटिंग आदि की एक प्रक्रिया होती है। केवल नोटिफिकेशन की प्रिंटिंग का काम हमारी सरकार के समय में हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) वह निर्णय इनका था, हमारा नहीं था। बल्कि हमने इनके निर्णय को सुधारा है। (थम्पिंग) हमने इनकी सरकार के निर्णय को सुधारते हुए नियम 52 के अंदर उस निर्णय के आधार पर जब जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की घोषणा की तो वहां के किसानों ने, जिनके ऊपर इन्होंने लाठियाँ व गोलियाँ चलवाई थीं, उन्होंने यह मुआवजा राशि लेने से इन्कार कर दिया। हमने उनके साथ सम्मानपूर्वक बैठकर बातचीत की। जब किसानों ने कहा कि वे इस मुआवजा राशि को स्वीकार नहीं करेंगे तो पिछली सरकार के द्वारा लिए गये निर्णय को असान्य करार देते हुए हमने उन किसानों को उनकी जमीन वापिस देने का काम किया है। (थंपिंग) सभापति जी, ये तो बिल्डर्ज़ के लिए जमीनें छोड़ा करते थे। (शोर एवं व्यवधान) ये रीयल इस्टेट डवैल्पर्ज़ के लिए जमीनें छोड़ा करते थे। (शोर एवं व्यवधान) किसान के लिए अगर जमीन छोड़ी गई है तो हमारी सरकार के कार्यकाल में ही पहली बार छोड़ी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति जी, यदि एक ईंच भी जमीन हमने छोड़ी हो तो बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति जी, इन्होंने 17 हजार एकड़ जमीन छोड़ी है। (शोर एवं व्यवधान) इस बात को सारा देश जानता है। (शोर एवं व्यवधान) थोड़े दिन और इंतजार करें। परत-दर-परत सारी बातों को खुलासा होता जायेगा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक ईंच जमीन भी नहीं छोड़ी है। इन्होंने पिछले 10 वर्षों में 17 हजार एकड़ जमीन सैक्शन-4 लगने के बावजूद भी छोड़ी है तथा उससे पहले 10 वर्षों में मात्र 500 एकड़ जमीन ही छोड़ी गई थी। इन्होंने ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश की जनता के बनाकर रखे थे।

17.00 बजे

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदय, सरकार इस बारे में पता करवाए और अगर इस किस्म की कोई बात सामने आती है तो हम उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन इन्होंने जनता से जो वायदे किए हैं उनको ये पूरा करें।

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, क्या ये इस बात को अस्वीकार करते हैं कि इन्होंने 17000 एकड़ जमीन बिल्डरों के लिए छोड़ी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : सभापति महोदय, लोगों ने तो इस बात की इन्कवायरी कर ली जिसका रिजल्ट यही है कि ये लोग आज अपोजीशन में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : सभापति महोदय, जो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के किए हुए डिसीजन को कैबीनेट में लेकर आए थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने उसकी

नोटिफिकेशन तो की ही है इसलिए इस पाप में ये दोनों भागीदार हैं। वित्त मंत्री जी, आपने इनके गलत निर्णय को क्यों माना ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, हमने उस निर्णय को बदल दिया और किसानों की जमीन वापिस कर दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : वित्त मंत्री जी, आपने भी किसानों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 4.12.2014 की नोटिफिकेशन यहां ले कर दूं। यह 4.12.2014 की नोटिफिकेशन है जिसमें इस मुआवजे को घटाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, हमने उस मुआवजे को घटाया नहीं है। इसलिए ये गलतबयानी कर रहे हैं। हमने तो अभी तक मुआवजा दिया ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, ये सुनना भी नहीं चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : सभापति महोदय, ये किसान के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, ये पूंजीपति के साथ मिलकर रियल इस्टेट को डिवैल्प करने वाले लोग हैं, इसलिए यह तो वही बात हो रही है कि "900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।" (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मेरा पहला सुझाव आपके मार्फत सरकार को यह है कि एन.सी.आर. के एरिया में जो बिल्डिंग्ज बनती हैं, चाहे घर बने, स्कूल बने या कालेज बने वहां पानी की क्वालिटी खराब है। सिसमिक जोन होने की वजह से गुड़गांव में भवनों को खतरा है। ऊपर से पानी का जो इस्तेमाल इन भवनों के निर्माण में हो रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। उन भवनों के निर्माण के लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पानी यूज होना है अगर वह क्वालिटी पूरी नहीं करता तो वह भवन निर्माण में न लगे । (विघ्न) सभापति महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, फिर इनको क्या तकलीफ है।

श्री उमेश अग्रवाल : सभापति महोदय, गुड़गांव में जितने भी भवन निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनके अंदर नहरी पानी और ग्राउंड वाटर दोनों का माननीय उच्च न्यायालय ने बैन किया हुआ है और उस बैन के बावजूद भी गुड़गांव में सी.एल.यू. दिए गए। वहां ग्राउंड वाटर और नहरी पानी जो पीने का पानी था उसका कंस्ट्रक्शन के अंदर उपयोग किया जा रहा है जबकि उच्च न्यायालय का आदेश है कि वह पानी उपयोग नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय के सीधे सीधे आदेश हैं कि जो सीवरेज के ट्रीटमैंट प्लांट का पानी होगा केवल वही पानी कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रयोग होगा लेकिन पिछले 5 सालों में लगातार ग्राउंड वाटर का भी और पीने के पानी का भी दोहन किया गया है, उसके बाद भी वहां सी.एल.यू. दिए गए हैं इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए और ठीक कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, आप मुझे जब कहेंगें मैं बैठ जाऊंगा। मैंने कोई गलत बात कही हो तो बताएं। मैं तो केवल हरियाणा के हितों की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय,

[श्री करण सिंह दलाल]

जो रोड्स के टैण्डर्ज छोड़े जाते हैं जिनके लिए आपके मार्फत मेरा सुझाव है। सभापति महोदय, मैं ई-टैण्डरिंग के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जो ई-टैण्डरिंग का कंसैप्ट आया है उसमें क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति ई -टैण्डरिंग से किसी काम को पा लेता है तो उसमें उसका तजुर्बा होना जरूरी होना चाहिए या डिपार्टमैंट को कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि जिम्मेदार ठेकेदार आगे आयें। इसमें जो भवन व सड़कें बनती हैं उनके लिए जिम्मेवारी भी तय करनी चाहिए। यदि कोई सड़क समय से पहले टूट जाती है या सरकारी भवन कोई कालेज या हास्पिटल बनने के बाद समय से पहले खराब हो जाते हैं तो उसके लिए ठेकेदार के खिलाफ और जो विभागीय अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी देख रेख में निर्माण होता है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सभापति महोदय, अब मैं डिमाण्ड संख्या-24 पर बोलना चाहूंगा जो कि सिंचाई विभाग से संबंधित है। इस बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और मैंने पहले भी कहा था कि मेवात, पलवल तथा फरीदाबाद जिलों में पानी की व्यवस्था करने के लिए यमुना पर बैराज बनाना चाहिए। यमुना बैराज के बनने से इन तीनों जिलों में पीने का पानी मिलेगा। इसके अतिरिक्त रेनीवैल स्कीम के तहत, जो पीने का पानी देने के लिए धरती के नीचे का पानी निकाला जा रहा है, उसके जल स्तर को नीचे जाने से रोकने में मदद मिलेगी। सभापति महोदय, आबियाना के बारे में हमारे केहर सिंह रावत जी और उदय भान जी ने भी जिक्र किया कि पलवल, गुड़गांव, फरीदाबद, मेवात की सारी नहरें आगरा कैनाल से निकली हैं जिनका कंट्रोल यू.पी. गवर्नमैंट के हाथ में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी यू.पी. की सरकार से बात करें और इन जिलों में जो रजबाहे और नाले हैं, उनका कंट्रोल हमारी सरकार के हाथ में होना चाहिए। हमारी स्टेट अब अलग बन चुकी है और हरियाणा-पंजाब में रजबाहों का तकरीबन बंटवारा हो चुका है। इसलिए हमें इन रजबाहों और नालों का यू.पी. सरकार से मालिकाना हक लेने के लिए बात करनी चाहिए और इनमें पूरा-पूरा पानी पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से रैनी सीजन में रिचार्जिंग के लिए डब्ल्यू.जे.सी. सिस्टम का पानी अंतिम छोर के इलाके महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, मेवात, पलवल जिलों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। अभी एस.वाई.एल. नहर का डिस्प्यूट है।

श्री तेज पाल सिंह तंवर : सभापति महोदय, हमारी सरकार को बने अभी 4 महीने हुए हैं। दलाल साहब चाहते हैं कि इन चार महीनों में सारे काम हो जायें जबकि इनकी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया गया। उस समय इनको कुछ काम तो करवा लेने चाहिए थे।

श्री सभापति : दलाल साहब, आप कंकलूड करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मैं सिंचाई के क्षेत्र में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बरसात के दिनों में पंजाब के पटियाला और आस पास के जिलों में बहुत पानी भर जाता है और बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण वहां के किसानों को बहुत नुकसान होता है। अगर हरियाणा सरकार पंजाब सरकार से बात करे कि एस.वाई.एल. के पानी का बंटवारा तो होता रहेगा लेकिन बरसात के दिनों में तो एस.वाई.एल. में पानी डाल दिया जाये ताकि हरियाणा के अंतिम छोर तक पानी आ जाये। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी सरकार है। ऐसा करने में पंजाब सरकार को भी कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि उनको फायदा ही होगा।

श्री असीम गोयल : सभापति महोदय, जो बाढ़ पंजाब में तबाही करती है करण सिंह दलाल जी चाहते हैं कि वह बाढ़ हरियाणा में तबाही मचाये।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, अब मैं डिमांड संख्या 27 पर बोलना चाहूंगा। मैं क्रॉप डाईवर्सीफिकेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि क्रॉप डाईवर्सीफिकेशन तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक धान और गेहूं से किसान का ध्यान हटाकर दूसरी फसलों की तरफ मोटीवेट न करें। सरकार ने हाईकोर्ट में एफीडेविट दिया है कि बाजरा और मक्का की खरीद सरकार नहीं करेगी। इस एफीडेविट को वापिस लिया जाये और मक्का तथा बाजरा की खरीद को प्रोत्साहन दिया जाए। सभापति महोदय, जो सॉयल टैस्टिंग लैबोरेटरिज हैं उनमें स्टाफ की बहुत कमी है। सरकार ने सॉयल कार्ड देने की बात कही है लेकिन लैबोरेटरीज में स्टाफ ही नहीं होगा तो ये कार्ड कैसे काम करेंगे इसलिए इनमें कर्मचारियों की भर्ती की जाए। सभापति महोदय, धनखड़ साहब यहां बैठे हुए हैं, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इस बारे में डिपार्टमैंट का जो मैन्युअल है वह कहता है कि "There should be a Committee headed by the Agriculture Minister to fix the rates of sprinkler sets." सर, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं जो कि ये बीच-बीच में मुझे टोक रहे हैं। आप इन सभी को बिठाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढाण्डा : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य सुझाव भी दे रहे हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि बजट में कटौती भी होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि वे कन्फ्यूज हैं। सभापति महोदय, आप इनको बिठाईये क्योंकि दूसरे सदस्यों को भी बोलना है। इनको पता ही नहीं है कि ये क्या पूछ रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : आप सभी बैठ जायें। करण सिंह दलाल जी की यह लास्ट डिमाण्ड हैं। इसके बाद ये बैठ जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में एक हाई पॉवर्ड कमेटी होती है जो कि स्प्रिंक्लर सैट्स के रेट्स तय करती है लेकिन अब यह हो रहा है कि उस हाई पॉवर्ड कमेटी को तो ठिकाने लगाया हुआ है और मनमाने तरीके से दरख्वास्त लेकर कोई भी एक आदमी इन स्प्रिंक्लर सैट्स के रेट कोई ऊपर कर देता है, कोई नीचे कर देता है, कोई इधर कर देता है और कोई उधर कर देता है। सभापति महोदय, इसीलिए डिपार्टमैंट के मैन्युअल को मानते हुए आपके माध्यम से धनखड़ साहब से मेरा अनुरोध है कि जो यह हाई पॉवर्ड कमेटी हुआ करती थी उसको आप डिपार्टमैंट के मैन्युअल के हिसाब से बनाईये। माननीय धनखड़ साहब को ही उसका चेयरपर्सन बनना है। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, आप इन सभी को बिठाईये। मैं एक बहुत अच्छा सुझाव दे रहा हूं। इनको मेरे सुझाव को ध्यान से सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) एक तरफ तो यह कहा जाता है कि इनको तजुर्बा नहीं है। हम इनको तजुर्बे से बता रहे हैं लेकिन ये उसको भी नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, आप इस बारे में आखिरी सुझाव और सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान) सर, लगता है इन बेचारों को मेरे बोलने से घबराहट होती है और इनमें मेरी बात सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए ये मेरी बात सुनना नहीं चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : दलाल साहब, ये आपका लास्ट सुझाव है। कृपया आप जल्दी वाईंड अप करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, कृषि विभाग से सम्बंधित मेरा एक सुझाव है। पिछले दिनों कृषि विभाग में जब खाद खरीदने पर, बीज खरीदने पर और दवाइयां खरीदने पर जब

[श्री करण सिंह दलाल]
से यह सरकार बनी तब से जो धांधलियां हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान) जो किसानों को खाद नहीं मिला। (शोर एवं व्यवधान) सर, आप इनको बिठाईये तभी मैं अपनी बात पूरी कर सकूंगा। (शोर एवं व्यवधान) सर, यह मेरे ऊपर कोई मेहरबानी थोड़े हो रही है। I am speaking with a right और आपने ही मुझे बोलने की इज़ाजत दी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : दलाल साहब, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आप बैठ जाईये।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि जो करण सिंह दलाल बात कर रहे हैं मुझसे इसकी जांच करवाने में थोड़ी सी ढिलाई हुई है। जो सीड से सम्बंधित सारी शिकायतें केन्द्रीय स्टैंडिंग कमेटी में है और इससे सम्बंधित जो मुकदमा हाई कोर्ट में है इनकी जांच कराने में मुझसे ढिलाई हुई और इसमें 4-5 महीने ज्यादा लग गये। जैसा कि करण सिंह दलाल जी बता रहे हैं मैं इनको कहना चाहता हूं कि रैक्सल और बीज़ सबकी जांच होगी, ये निश्चिन्त रहें।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, इस बारे में मेरा आखिरी सुझाव है। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, पहले आप इनको बिठाईये। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, यह वास्तव में मेरा आखिरी सुझाव है आप इन सभी को बिठाईये। इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह तंवर : चेयरमैन सर, . . . (विघ्न)

श्री सभापति : तेज पाल जी, आप बैठ जाईये। आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री करण सिंह दलाल : सभापति महोदय, मेरा एक आखिरी सुझाव है कि जो खाद किसानों तक पहुंचनी थी वह किसानों को उचित दामों पर न देकर व्यापारियों के साथ मिल कर उन्हें महंगे दामों पर खाद खरीदने पर मजबूर किया। उसकी जांच होनी चाहिए तथा जो भी दोषी हों उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज होने चाहिएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री पिरथी सिंह (नरवाना) (अनुसूचित जाति) : सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए मांग संख्या 19 के बारे में बोलना चाहता हूँ। अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनाई हैं परन्तु उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनको इन योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। डिमांड नं.19 में इन योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। अगर यह राशि इन वर्गों के कल्याण के लिए सुचारू ढंग से खर्च की जाये तो निश्चित तौर पर इन लोगों के रहन-सहन के ढंग में सुधार हो जायेगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो राशि प्रस्तावित की गई है उसका सारा लाभ उनको नहीं मिल पाता तथा अधिकारियों की मिलीभगत से आधे से ज्यादा पैसा दूसरे लोगों की जेबों में चला जाता है। अनुसूचित जाति के अनुपात के हिसाब से हरियाणा देश में 5वें नम्बर पर आता है और उसमें से भी 80 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। अनुसूचित जाति के लगभग 55 प्रतिशत लोग साक्षर हैं जबकि अन्य जातियों के लोग ज्यादा पढ़े-लिखे हैं। साक्षरता को बढ़ाने के लिए सरकार को हर सम्भव प्रयास करने चाहिएं ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जीवन यापन कर सकें। इन वर्गों के लिए अनेक योजनाएं जैसे इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन

योजना, इन्दिरा आवास योजना, डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना, अनुसूचित जाति उच्च शिक्षा योजना तथा स्वरोजगार के लिए भी अनेक योजनाएं हैं। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना तथा अन्तर्जातीय विवाह योजना है। अगर इन योजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वित किया जाये तो इन वर्गों का उत्थान हो सकता है। इसी प्रकार से केन्द्र सरकार से अनेक योजनाओं के लिए पर्याप्त अनुदान मिलता है अगर उस अनुदान को सही ढंग से उपयोग में लाया जाये तो इन वर्गों का सुधार हो सकता है। सरकारी ढांचे में कुप्रबन्धन तथा बजट राशि के दुरूपयोग के कारण इन लोगों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इन वर्गों की शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं हैं जिससे इनको अपनी साक्षरता दर में वृद्धि करने का मौका मिल सकता है, परन्तु ये सारी योजनाएं कागजों तक सीमित हो कर रह गई हैं तथा सरकार की निष्क्रियता के कारण इनको लागू नहीं किया जा रहा है। इन वर्गों के लिए अनेक सामाजिक योजनाओं का भी प्रावधान है परन्तु उनको उचित ढंग से लागू करने के लिए सरकारी तंत्र को चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का सदुपयोग करे। सभापति महोदय, मेरे हलके में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री सभापति : विधायक जी, आपकी डिमांड नं.13 है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। इसलिए आप स्वास्थ्य के बारे में बोलिए।

श्री पिरथी सिंह : सभापति महोदय, अगर स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो स्वस्थ कैसे रहेंगे ? मेरे विधानसभा क्षेत्र नरवाना के गांव कान्हाखेड़ा, कर्मगढ़, इस्माईलपुर, खानपुर, फुलियां कलां, फुलियां खुर्द व धरौदी आदि गांवों के लोगों को पीने के पानी की भारी समस्या से जूझना पड़ता है। जो थोड़ी बहुत पानी की सप्लाई आती भी है तो वह पानी पीने के लायक नहीं होता। इन गांवों में पीने के पानी में टी.डी.एस. की मात्रा काफी बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि जिस पानी में टी.डी.एस. की मात्रा 1200 से ऊपर हो तो वह पानी पीने के लायक नहीं होता। सभापति महोदय, आपको जान कर हैरानी होगी कि कुछ गांवों में तो टी.डी.एस. की मात्रा 2800 से 3000 के लगभग है जिससे पता चलता है कि इन गांवों के लोग पानी नहीं बल्कि जहर पीने को मजबूर हैं। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि इन गांवों की पेयजल योजना को नहर आधारित बना दिया जाये तो इन गांवों का भला हो सकता है। मैंने पिछले सत्र में भी इस बात को उठाया था कि धरौदी माईनर को भाखड़ा लिंक नहर से जोड़ा जाये। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई। अगर थोड़ा बहुत जोर लगाकर अपनी बात को कहते भी तो हमें सदन से बाहर निकाल दिया जाता था। सर, यह मेरी बहुत जरूरी मांग है कि वर्ष 2004 में धरौदी माईनर को भाखड़ा लिंक नहर से जोड़ना मंजूर हुआ था जिसका बैड भी बनकर तैयार हो गया था। मैं इसकी डिमांड पिछली सरकार में भी लगातार उठाता रहा हूं लेकिन अभी तक इस माईनर को भाखड़ा नहर से नहीं जोड़ा गया। इसी समस्या के कारण 15 गांवों के किसानों की फसल हर वर्ष सूखे से प्रभावित होती है। यहां तक कि गर्मी के दिनों में तालाबों में भी पीने का पानी नहीं होता और पशुओं के पीने के पानी की भी समस्या हो जाती है। सभापति महोदय, इस रजवाहे में 20-25 दिनों में पानी आता है। इसके कारण पीने के पानी की भी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध भी है और मेरी मांग भी है कि इस माईनर को भाखड़ा नहर से जोड़ा जाए ताकि इस माईनर पर पड़ने वाले गांवों के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। सर, मैं अब पी.एच.सी. में डिलीवरी हट की कमियों के बारें में बोलना चाहता हूं। हरियाणा में आर.सी.एच. स्कीम के अंतर्गत डिलीवरी-हट में

[श्री पिरथी सिंह]

उस जी.एन.एम. की पोस्टिंग पी.एच.सी. में की जाती है जिसका अनुभव साढे तीन साल का होता है, जबकि पोस्ट बेसिक नर्सिंग का अनुभव साढ़े पांच साल का होता है। इसलिए प्रत्येक डिलीवरी हट पर पोस्ट बेसिक नर्स की पोस्टिंग होना चाहिए। जी.एन.एम. का अनुभव कम होने व हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा उन्हें टारगेट दिए जाने की वजह से आए दिन गर्भवती महिलाओं को काफी कठिनाईयों का या मौत का सामना करना पड़ता है क्योंकि पी.एच.सी. ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इसलिए सभी ग्रामवासियों को डिलीवरी के दौरान पी.एच.सी. डिलीवरी हट पर ही जाना पड़ता है। सभापति महोदय, मेरे हल्के के धमतान में डिलीवरी हट है वहां पर 21 तारीख को मेरे गांव कालवन की एक औरत को डिलीवरी के लिए ले जाया गया। वहां पर मौजूद जी.एन.एम. ने उस औरत की डिलीवरी कर दी परन्तु उसकी बिल्डिंग नहीं रूकी फिर उसने किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा। परन्तु एम्बुलैंस उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने प्राईवेट वाहन 1500 रुपये में लिया और टोहाना के निजी अस्पताल में उस महिला को दाखिल करवाया जहां पर उसकी अब मौत हो चुकी है। यह एक बड़ी दु:खद घटना है कि उसका बच्चा जिन्दा है और वह औरत मर चुकी है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसके परिवार को कोई न कोई आर्थिक मदद जरूर दी जाए और डिलीवरी-हटों में अनुभवी नर्सों को तैनात किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे हल्के नरवाना के धरौदी रोड़ पर स्थित लगभग 1500 एकड़ जमीन है जहां पर बरसाती पानी खड़ा रहता है। वहां पर न तो रबी की फसल होती है और न ही खरीब की फसल होती है। जिस किसान के उस एरिया में खेत पड़ते हैं वह बेचारा सारा साल वहां पर खाली बैठ की घर चला जाता है। इसलिए वहां पर कोई ड्रेन का इन्तजाम किया जाए ताकि वहां के किसानों को खेती करने का मौका मिल सके। सभापति महोदय, नरवाना सब्जी मंडी के पास जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवरेज डाला गया है उस काम की अलॉटमैंट वर्ष 2006 में हुई थी। इस कार्य को इतना लम्बा खींचा गया कि यह वर्ष 2013 में पूरा किया गया। ऐसे ठेकेदार के खिलाफ विभाग द्वारा क्लॉज-टु व क्लॉज-थ्री ना लगाकर उसे फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा लोहे के पाइप व डेगथुन के पाइप जोकि लगभग एक साल पहले ही डाले गये थे उन पाइपों को ठेकेदार व अधिकारियों ने विभाग के पाइप स्टोर में जमा करवाने की बजाए आपसी मिलीभगत करके बेच दिया गया। इसी तरह सीवरेज के नाम पर पटियाला रोड़ पर भी धांधली की गई। सभापति महोदय, यहां पर जो मिट्टी की खुदाई दिखाई गई है वह कागजों में ज्यादा दिखाई गई है जबकि मौके पर इतनी गहराई चौड़ाई नहीं है। इसमें साईड की मिट्टी यहां से 5-7 किलोमीटर दूर ले जाई दिखाई गई है जबकि यहां से न ही मिट्टी उठाई गई है और न ही लाई गई है कागजों में फर्जी रूप से आना-जाना दिखाकर विभाग द्वारा ठेकेदार को झूठी पेमेंट कर दी गई। सभापति महोदय, इसमें डी-वाटरिंग भी दिखाई गई है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नरवाना में डी-वाटरिंग के लिए फाईल एस.ई., जींद को भेजी गई है। मगर एस.ई. साहब द्वारा यहाँ पर डी-वाटरिंग के लिए मना कर दिया। सभापति महोदय, इसके बावजूद एक्सियन नरवाना द्वारा अपने लेवल पर डी-वाटरिंग करवाई गई। यह सब फर्जी है क्योंकि यहाँ पर गहराई तो नहीं हुई और जब गहराई ही नहीं हुई तो डी-वाटरिंग कैसे हो सकती है। इस का लाखों रूपये का फर्जी बिल बनाकर विभाग से भुगतान करवाया गया। इससे पता चलता है कि नरवाना क्षेत्र में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितनी लापरवाही व अनियमितताएँ बरती गई हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्तर पर इसकी जाँच करवायें और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाही की जाये।

श्री सभापति : पिरथी सिंह जी, आप जो पढ़ रहें हैं वे मंत्री जी को दे दें उसको सदन की प्रोसिडिंग्स में शामिल कर लिया जायेगा।

****श्री पिरथी सिंह (नरवाना) :** सभापति महोदय, अगर किसी मजदूर की घर पर कार्य करते समय दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो मकान मालिक भी उस शोकाकुल परिवार को कुछ न कुछ सहायता देता है, जबकि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। इसी तरह लगभग 2-3 साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के गाँव फरैण कलां का एक व्यक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नरवाना एम्बुलैंस पर ड्राईवर था उसकी एम्बुलैंस चलाते समय एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन सरकार की ओर से शोकाकुल परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी गई। मेरी सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को ऐसी भी दुर्घटना होने पर उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाये। सभापति महोदय, के.एम. गवर्नमैंट कॉलेज नरवाना में स्टाफ की भारी कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इस कॉलेज में पदों की संख्या 80 के आस-पास है जबकि वहाँ अभी केवल 20-22 रेगुलर प्रोफेसर्ज ही पढ़ा रहें हैं और 9 और 10 गेस्ट प्रोफेसर्ज़ हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग 3300 के करीब है। सभापति महोदय, कॉलेज में मैथ डिपार्टमैंट में एक ही प्रोफैसर पढ़ाता है और वह भी गैस्ट प्रोफैसर है, इसी तरह फिजिक्स की क्लास को भी एक ही गैस्ट प्रोफैसर पढाता है और कमैस्ट्री डिपार्टमैंट में भी कुल पदों की संख्या 14 है लेकिन वहाँ पर सिर्फ 3 प्रोफेसर्ज़ ही पढ़ा रहे हैं। सभापति महोदय, सभी विभागों में प्रोफेसरों की कमी है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि हमारे नरवाना गवर्नमैंट कॉलेज में इन रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि नरवाना के.एम. गवर्नमैंट कॉलेज में 2014-15 सैशन के दौरान करीब 1500 के आस-पास लड़कियाँ हैं और इससे पिछले सैशन में भी यह संख्या लगभग इतनी ही थी। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 3300 के करीब है। नरवाना क्षेत्र से इतनी ही संख्या में बच्चों को यहाँ दाखिला न मिलने के कारण आसपास के दूसरे प्राईवेट कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं। प्राईवेट कॉलेजों में बी.ए. करने का पैकेज लगभग 80,000 रुपये का होता है जबकि सरकारी कॉलेज में यह बहुत ही कम पैसों में की सकती है। सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी लड़कियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना और उन्हें रोजगार के काबिल बनाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाई हुई है कि जिस भी कॉलेज में लड़कियों की संख्या एक हजार से ज्यादा हो वहाँ नया महिला कॉलेज बनाए जाने का सरकार की ओर से प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्टेट गवर्नमैंट को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से भी विशेष पैकेज दिया जाने का प्रावधान है। सभापति महोदय, सरकार का इस पूरे प्रोजैक्ट पर रवैया नरम है तो उन्हें जमीन से सम्बन्धित भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नरवाना गवर्नमैंट कॉलेज के पास काफी जमीन है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नरवाना में सरकारी महिला कॉलेज जल्द से जल्द बनाया जाये। सभापति महोदय, नरवाना में नैशनल हाइवे 65 पर ओवरब्रीज और नरवाना शहर के समीप स्थित गेट नम्बर 139-बी, पश्चिम कैबिन, नरवाना दबलैन समैन रोड़ पर अंडर ब्रिज बनाए जाने की काफी पुरानी माँग है। सभापति महोदय, मैं ये मुद्दे पिछले विधान सभा सत्रों से उठाता आ रहा हूँ। सभापति

** चेयर के आदेशानुसार कागज सदन की मेज पर रखे गये और उनको सदन की कार्यवाही का हिस्सा समझा गया।

[श्री पिरथी सिंह]

महोदय, वर्ष 2013 में रेल मंत्री भारत सरकार से भी पत्र के माध्यम से इसे बनाए जाने का आग्रह कर चुका हूँ। नरवाना शहर से दो रेलवे लाइनें गुजरती हैं जिससे मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है और दिल्ली, बठिंडा डबल लाईन होने की वजह से भी रेलों का आना जाना लगा रहता है। इस कारण शहर में घंटों घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए दबलैन रोड़ पर फाटक की जगह अंडर ब्रिज बनाया जाये ताकि लोगों को अपनी फसल आदि मंडी में बेचने आते-जाते हुए परेशान न होना पड़े। सभापति महोदय, इस पूरे प्रोजैक्ट पर आज तक कोई भी काम सिरे नहीं चढ़ पाया है। मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि नरवाना विधान सभा क्षेत्र के लोगों की इस परेशानी को ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाकर दूर किया जाये। सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जाते-जाते जून-जुलाई, 2014 में अस्थाई कर्मचारियों को लेकर घोषणा की थी कि तीन साल की टर्म पूरा होने पर अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जायेगा। सभापति महोदय, जिन कर्मचारियों को 3 साल हो गये है उनको तो स्थाई कर दिया गया परन्तु जिन कर्मचारियों को 8-10 साल हो गए हैं, उनको अभी तक स्थाई नहीं किया गया है। सभापति महोदय, दूसरी बात ई.पी.एफ. की है। कच्चे कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से ई.पी.एफ. स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी की तनख्वाह का कुछ हिस्सा इस स्कीम के तहत जमा होता था जो उसे उसकी सेवाएँ समाप्त होने पर या बीच में जरूरत पड़ने पर भी मिल जाता था मगर कुछेक जगहों को छोड़कर यह पैसा आज तक भी नहीं मिला है। इस तरह से ई.पी.एफ. के नाम पर एक बड़ा घोटाला भी हमारे सामने उजागर हुआ है। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले में कड़े कदम उठायेगी। सभापति महोदय ई.पी.एफ. स्कीम में पारदर्शिता लाने के लिए अपना एक सुझाव सरकार को देना चाहूँगा कि जो ये स्कीम है उसके लिए सरकार की ओर से किसी एक संस्था को अनुबन्धित करना चाहिए और सभी विभागों के कच्चे कर्मचारी उस संस्था के अधीन हो। सभापति महोदय, वर्ष 2012-13 सत्र के दौरान जिन छात्रों की डी.एड. दूसरे सैमेस्टर परीक्षा में रि-अपीयर आई थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी उन छात्रों को परीक्षा पास करने हेतु अनुकंपा के अवसर प्रदान नहीं कर रहा है जबकि गत वर्षों के दौरान सभी सरकारें इस प्रकार के अनुकंपा के अवसर देती रही हैं। एक तरफ हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों का भविष्य सुनिश्चित व सुरक्षित करना चाहती है। दूसरी तरफ हरियाणा शिक्षा विभाग इन छात्रों को अनुकंपा के अवसर न देकर इनका भविष्य अंधकारमय बनाने जा रही है जबकि ये छात्र स्कूलों में 6 मास की ट्रैनिंग भी ले रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरे प्रांत भर के लगभग 600 डी. एड. छात्रों को जिनकी डी.एड. दूसरे सैमेस्टर परीक्षा में रि-अपीयर है उन्हें मर्सी चांस देकर उन बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाये ताकि वे अपनी डी.एड. दूसरे सैमेस्टर परीक्षा पास कर सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

सभापति महोदय : माँग पर चर्चा करने के लिए कोई भी माननीय सदस्य 5 मिनट से ज्यादा समय न ले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल (जुलाना) : सभापति महोदय, हरियाणा प्रदेश में काफी समय से एक परिपाटी चली आ रही थी जिसके तहत राजनीतिक निष्ठाओं के आधार पर नियुक्तियाँ दी जा रही थी। पिछले समय में बहुत से आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों को दुबारा नियुक्तियां दे दी गई जो सेवा से रिटायर हो चुके थे। इस प्रकार से अनावश्यक बोझ हरियाणा प्रदेश के खजाने पर

पड़ रहा है। सभापति महोदय, आज भी वही परिपाटी चल रही है। आज भी राजनीतिक निष्ठाओं के आधार पर पद दिये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूँ कि सरकार की कार्यप्रणाली चलाने में एडवाईजर वगैरह के पदों की जरूरत नहीं है। इसलिए उनको न रखा जाये जिससे हरियाणा प्रदेश के खजाने का और सत्ता का दुरूपयोग न हो सके। सभापति महोदय, हरियाणा प्रदेश का खजाना जिस काम के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी काम के लिए ही प्रयोग किया जाये। सभापति महोदय, ऐसे बहुत से आयोग हरियाणा सरकार ने गठित कर रखे हैं जिनका कार्यकाल वर्षों से बार-बार बढ़ाया गया और आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। वे अब तक लगातार चल रहे हैं। इस प्रकार के आयोगों को तुरन्त बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनको हर प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। ऐसे अधिकारियों को भारी भरकम स्टाफ दिये गये हैं जिसके लिए वे अधिकृत नहीं हैं। सभापति महोदय, हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के स्टाफ की संख्या काफी है। सभापति महोदय, सभी सुविधाएँ बंद करके प्रदेश के खजाने को बचाया जा सकता है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में सड़कों का काफी बुरा हाल है। जींद जिले और खासतौर पर मेरे हल्के जुलाना के अंदर एक भी सड़क नहीं है बल्कि गड्ढे ही गड्ढे नजर आयेंगे, जहाँ आराम से आदमी आ जा नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण बताना चाहता हूँ। यह 4-5 दिन पहले की बात है। रात को मोटरसाईकिल से दो व्यक्ति आ रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा आ गया। गिरने से उसकी कनपटी लगते ही डैथ हो गई और दूसरा व्यक्ति सड़कके दूसरी साईड गिर गया। बाई चांस पीछे से कोई कार वगैरह नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में आज सड़कों का बुरा हाल है। चाहे वे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे वे राज्य राजमार्ग हो, चाहे वे हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कें हों, चाहे वे हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें हों, जो सड़कें एक गांव से दूसरे गांव की फिरनी को जोड़ती हैं। उनकी रिपेयर भी होती रहती है और 15 दिन के अन्दर टूटती भी रहती हैं। उन सड़कों के ऊपर गलियों का पानी खड़ा रहता है। यह पूरे प्रदेश का हाल है। प्रदेश सरकार उसके ऊपर खर्चा भी करती है और उनकी रिपेयर भी करती है लेकिन फिर भी सड़कें लोगों के काम नहीं आती है। अध्यक्ष महोदय, जब तक इस प्रोजैक्ट में पंचायती विभाग और लोक निर्माण विभाग काम नहीं करेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पूरे प्रदेश में खासतौर पर गांवों के अन्दर पानी खड़ा होने के कारण सड़कों का सत्यानाश हो रहा है। मेरे अपने हल्के में रोहतक रोड़ नेशनल हाइवे-71 से लेकर गांव ब्राह्मणवास और दौरड़ तक जीता जागता एक उदाहरण है। पिछले 6 वर्षों से सड़क की स्थिति इतनी बदतर है कि गांव में रिश्ते आने ही बंद हो गये हैं क्योंकि गांव में आने-जाने के लिये कोई रास्ता ही नहीं है। इस प्रकार से गोहाना रोड़ से निडाना व डिगाना गांव में जाने का रास्ता भी टूटा हुआ है। प्रदेश में इस प्रकार की सड़कों को चिन्हित करके तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश के खजाने पर बोझ कम पड़े। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण विकास के लिये जिसमें सरकार का स्वच्छता अभियान का विषय भी जुड़ा हुआ है, उसके लिये कोई पायलट प्रोजैक्ट बनाकर जब तक गांवों में खड़े पानी को सुरक्षित बाहर नहीं निकालेंगे तब तक सड़कों को सुधारा नहीं जा सकता है और ना ही गांवों में आने-जाने का रास्ता बनाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, समय ज्यादा लग रहा है और आपने डिमांड नम्बर-24 और डिमांड नम्बर-27 पर भी बोलना है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 30 मिनट का समय दिया है लेकिन मैं 20 मिनट के अन्दर ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, कई माननीय सदस्यों ने भी बोलना है, इसलिए 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट कम्पनियां राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति सुधारने के लिए अपनी योजना में अनावश्यक खर्च दिखा करके, अपनी लागत मूल्य को पूरा करने के लिये अनावश्यक टोल टैक्स लगाती है, अगर सरकार स्वयं अपने विभाग से सड़कों का निर्माण करें तो जो प्राईवेट कम्पनियां कम से कम 40 प्रतिशत मुनाफा कमाती है, वह सरकार के अधीन आ जायेगा। इससे प्रदेश अनावश्यक खर्च से भी बच जायेगा और प्रदेश में जो आए दिन टोल टैक्सों पर झगड़े वगैरह होते हैं उनसे भी बचा जा सकेगा। सरकार सड़कों का निर्माण करेगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी कि किस अधिकारी की देख-रेख में निर्माण कार्य हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे हल्के में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों की व्यवस्था को सुधारने की और कुछ नई सड़कों के निर्माण की मांग की थी। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय लोक निर्माण मंत्री को एक पत्र भी लिखा था क्योंकि पिछले 10 वर्षों से सड़कों की व्यवस्था काफी जर्जर अवस्था में है, यदि मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय लोक निर्माण मंत्री को इन सड़कों को याद दिलाने का काम करूँ तो सदन का बहुत समय लग जायेगा, इसलिए मेरे प्रार्थना-पत्र पर गौर करके स्वीकार किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड संख्या-24 पर बोलना चाहूँगा। जब मैं पिछली बार विधायक बनकर आया था तो मैंने उस समय यह प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में रजवाहों, माईनरों और टेलों की क्या पोजिशन है? किस प्रकार से इनकी स्थिति को सुधारा जायेगा ? अध्यक्ष महोदय, उस प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि हरियाणा के अन्दर अधिकतर माईनरों और रजवाहों का निर्माण 35-40 साल पहले हुआ था और सीपेज के कारण जिस प्रकार से बिजली का लाइन लोस होता है उसी प्रकार से पानी का लोस हो रहा है, जिसका मुख्य कारण टेल तक पानी नहीं पहुँचना है। अध्यक्ष महोदय, इन सब समस्याओं के समाधान के लिये एक पायलट प्रोजैक्ट योजना बनाने की जरूरत है। सरकार ने सिंचाई विभाग को कम बजट दिया है जबकि सिंचाई विभाग को सबसे अधिक बजट दिया जाना चाहिए था। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इस पर भी कटौती प्रस्ताव लाया गया है।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, बोल तो कटौती पर रहे हो और मांग ज्यादा बजट की कर रहे हो। (विघ्न)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, जब तक कोई पायलट प्रोजैक्ट नहीं बनेगा तब तक माईनरों और रजबाहों में पानी की सीपेज होती रहेगी और टेल तक पानी नहीं जाएगा। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं जिस तरह हमारे यहां जे.डी. तीन नम्बर रजबाहा बहुत पहले से बना हुआ था। वर्ष 1972 में मैं कॉलेज से पढ़कर निकला था और जब मैंने गांवों में आना जाना शुरू किया तो मैं देखता था कि उस समय बहुत से गांवों में टेल तक पानी जाता था। मैं आपको तीन गांवों के नाम बताता हूं धीनाना, बैभलपुर और बिशनपुरा। इन गाँवों के लोग पिछले काफी समय से पानी न मिलने के बावजूद भी आबियाना देते हैं। वे लोग यह सोचकर आबियाना देते हैं कि कभी न कभी पानी जरूर आएगा। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने आबियाना देना बंद कर दिया तो उनकी वाराबंदी बंद हो

जाएगी और पानी का उनका हिस्सा भी बंद हो जाएगा। अब हालत यह हो गई है कि सरकार ने प्रदेश के लोगों को खुश करने के लिए रजबाहा नम्बर-3 में से 18 माईनर्स और सब माईनर्स निकाल दी जबकि पानी की आउटलेट उतनी ही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अब दोनों ही तरफ के लोग इससे दुखी हैं। इसी तरह से मेरे हल्के में बवाना माईनर निकाली गई है। इस माईनर को बने 8 साल हो गए हैं परंतु आज तक इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई है जबकि इस पर काफी पैसा खर्च हुआ है। मैंने इस माईनर में पानी छोड़ने के लिए अधिकारियों से बार-बार रिक्वैस्ट की है परंतु अब तक पानी नहीं पहुंचा है। इस माईनर पर सिर्फ पैसा लगाया गया है, इसे यूज नहीं किया गया है। इसी तरह मेरे हल्के की बुआना व लुदाना माईनरों में भी एक बूंद पानी नहीं आया। किला जफरगढ़ माईनर की आग्युमेंटेशन की मांग तो मंजूर कर ली गई परंतु उस माईनर में भी पानी नहीं पहुँचा है। इसलिए खेतों में पानी पहुंचाने की बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब ने पायलट परियोजना बनाई है। पंजाब ने पायलट प्रोजैक्ट बनाकर अपने रजबाहों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की है जिसके बेहतर नतीजे धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। हमें भी उसी तर्ज पर अपने हरियाणा प्रदेश में पायलट प्रोजैक्ट बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में वाटर डिविजन और नहरी डिविजन के रिऑरगनाईजेशन की बहुत आवश्यकता है। इसका मैंने माननीय मंत्री जी से भी मौखिक जिक्र किया था। अब मैं इसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लाता हूँ। उदाहरण के तौर पर मेरे जींद जिले में 2 लाख 32 हजार एकड़ का वॉटर डिविजन का एरिया है। वहां पर दो एक्स.ई.एन. और तीन एस.डी.ओज. की ड्यूटी लगाई हुई हैं। इस इलाके में दो नहरें हैं - सुंदर सब ब्रांच और हांसी ब्रांच। उनकी सही ढंग से देखभाल न होने की वजह से लोग दुखी हो रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत से ऐसे डिविजन हैं जो एक लाख एकड़ से भी कम क्षेत्र के हैं। मेरे जिले के इस डिविजन में पता नहीं किस वजह से या सजा के रूप में 2 लाख 32 हजार एकड़ का एरिया रखा गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस डिविजन की रिऑरगेनाइजेशन की जाए और इसको दो डिविजन सुंदर सब-ब्रांच और हांसी ब्रांच में बांटा जाए ताकि इन माईनरों की ठीक ढंग से देखभाल हो सके और इनकी व्यवस्था ठीक हो सके, आपका लक्ष्य पूरा हो और लोगों को पानी मिल सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में डिविजनों का रिऑरगेनाईजेशन किया जाए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक पायलट प्रोजैक्ट बनाकर केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से पानी लिया जा सकता है। पिछली सरकार में जब मैंने अपने जिले के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज मांगा था तो मुझे श्री कुलदीप शर्मा जी ने कहा था कि 2 हजार करोड़ रुपये का पैकेज तो आपको सदन के नेता दे देंगे और 3 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय मंत्री ले आयेंगे क्योंकि वे आपके जिले के हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब आप केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से गाँवों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज ले आएं ताकि हरियाणा सरकार के खजाने पर ज्यादा बोझ न पड़े। इस आर्थिक पैकेज की मदद से सड़क, फिरनी और नालों को बनाने, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को दुरूस्त किया जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, वाइंड अप कर लीजिए। मैंने आपको 5 मिनट दिये थे लेकिन आप 12 मिनट बोल चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, अब डिमांड नं0 6 पर बोलना चाहता हूँ। अभी तो आधा घंटा बचा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, आपको एक डिमांड पर 5 मिनट का समय दिया गया था। अब आप वाइंड अप कर लीजिए। अगर आप एक डिमांड पर इससे ज्यादा समय तक बोलोगे तो बाकी सदस्यों के लिए काफी कम समय बचेगा, इसलिए अब आप प्लीज बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष जी, आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए। जो फैसला हुआ है... (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविंद्र सिंह संधू : अध्यक्ष जी, आपने एक डिमांड पर 5 मिनट बोलने का समय देने का फैसला किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, 20 से ज्यादा सदस्यों के कट मोशन आए हुए हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपको इससे अधिक समय कैसे दिया जा सकता है। आप प्रैक्टीकल बात कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं उनमें से बहुत सारे विषय इस सदन में अच्छी तरफ से पहले ही चर्चित हो चुके हैं। काफी विषयों का रिपीटिशन हो रहा हैं। इन में से काफी विषय कालिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा करते समय, प्रश्न-काल के समय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय, बजट पर चर्चा करते समय विस्तार से चर्चित हो चुके हैं। माननीय सदस्य के पास अगर कोई नया प्वायंट है, नया एंगल है तो वे सदन को बता सकते हैं उस पर सदन चर्चा कर सकता है। इन प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर सदन में पहले ही दिये जा चुके हैं और सरकार अपनी मंशा इस बारे में पहले ही बता चुकी है। फिर उन्हीं विषयों पर चर्चा करना तो सदन का समय ही बबार्द करना है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन पर तो प्रत्येक सदस्य को समय देना ही पड़ता है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आपने रिमॉडलिंग ऑफ वाटर के बारे में मेरा प्रस्ताव रिजैक्ट कर दिया था। अब मैं डिमाण्ड न. 27 पर बोलना चाहता हूं।

श्री तेजपाल सिंह तंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ढुल साहब से कहना चाहता हूं कि वे सरकार से पूछ रहे हैं कि उनके हल्के में सड़क नहीं बनी हैं, पानी नहीं है, सरकार ने किसानों को कुछ नहीं दिया है। माननीय सदस्य अपने पड़ोसियों से यह बात पूछ लें, क्योंकि पहले तो सरकार उन्हीं की थी। वर्तमान सरकार तो अभी चार महीने से सत्ता में आई है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बजट में जैविक खाद पर वैट घटाया है, उसके लिए मैं स्वागत करता हूं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि सरकार द्वारा जैविक खाद पर कितनी सब्सिडी दी जायेगी इस बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि जिस यूरिया को प्रदेश का किसान प्रयोग कर रहा है उसकी जगह वह जैविक खाद को शुरू कर सके। इसके साथ ही इस जैविक खाद की प्रदेश के किसानों को सही समय पर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए यह न हो कि पिछले सरकार की तर्ज पर दुकानें बन जायें और फिर वे किसानों को लूटने का काम करें। इसलिए जैविक खाद की अवेलेब्लिटी को अवश्य सुनिश्चित किया जाए तथा जैविक खाद के बारे में किसानों में जागरूकता लाई जानी चाहिए और इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि जैविक खाद पर

सरकार द्वारा सब्सिडी दी जायेगी ताकि किसान इसका प्रयोग आरम्भ कर सकें। सरकार ने जैविक खाद पर जो वैट घटाया है वह अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। दूसरा मिट्टी के परीक्षण और रख रखाव का बजट में जो प्रावधान किया गया है वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए पिछली सरकार के समय में जो राशि दी जाती थी उसके लिए हरियाणा प्रदेश के अन्दर उस राशि का प्रयोगशालाओं में कम इस्तेमाल किया गया है। उस राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। फिर कृषि मंत्री जी कहेंगे कि मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। सरकार ने यह कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे लेकिन उसे अब केन्द्र सरकार का विषय कह कर छोड़ दिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को 5000 रुपये प्रति माह पैंशन देने की जो घोषणा की है वह बहुत अच्छा काम किया है। आदरणीय सुभाष बराला जी उसके बारे में सदन में एक प्रस्ताव लेकर आये यह अच्छा काम है, लेकिन वही प्रस्ताव अगर माननीय मुख्यमंत्री स्वंय लेकर आते और उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती तो बहुत अच्छी बात होती। पूरे प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दिया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारी पार्टी के माननीय सदस्य श्री ढुल साहब ने प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों को 5000 रुपये पैंशन देने की बात कही है। उस समय मैं सदन में मौजूद नहीं था लेकिन मुझे इस बात की जानकारी मिली कि श्री सुभाष बराला जी सदन में एक प्रस्ताव लेकर आये हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से आये तो और ज्यादा अच्छी बात है। मेरी मांग है कि इस प्रस्ताव पर इस सदन में अच्छी तरह से चर्चा जरूर होनी चाहिए। इस सदन को पता होना चाहिए कि 5,000/- रुपये प्रति महीना किस किसान को दिये जायेंगे ? मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इस प्रस्ताव का विरोध करेगा अर्थात् सभी माननीय सदस्यगण इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अभी माननीय मंत्री महोदय श्री रामबिलास शर्मा जी कह रहे थे कि यह प्रस्ताव पास हो गया है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक यह प्रस्ताव इस सदन में पास नहीं हुआ है। यह प्रस्ताव सदन में केवल प्रस्तुत किया गया है जिसका केवल स्वागत किया गया है। यदि इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा करवायेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, यदि यह योजना हरियाणा प्रदेश सरकार की होती तो उस पर इस सदन में चर्चा करना अच्छा भी होता तथा सुंदर भी लगता। जब एक बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सारे देश के सम्मुख बड़े मंच से कही है जिसका मैसेज पूरे देश में गया है, तो वह बात अपने आप में पूर्ण है। मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि किसी सुविधा को कम नहीं किया गया है अपितु बढ़ाया गया है। चूंकि यह योजना केन्द्र सरकार की है तथा किस प्रकार से इस सुविधा को आगे बढ़ाया जायेगा इसलिए इसकी मोडैलिटीज भी केन्द्रीय सरकार ही तय करेगी। इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किसानों के हितों में की गई घोषणा के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहते थे। हमारी भाजपा पार्टी के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था। इसलिए इस प्रस्ताव को उसी सैंस में लेना चाहिए। इससे ज्यादा सैंस में इस बात को नहीं लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने अपनी बात के माध्यम सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो मजदूर खेतों में मजदूरी करते हैं उनके बारे में तो इस घोषणा में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें सभी लोग आयेंगे या नहीं ? गरीब मजदूर भी इस पैंशन स्कीम के अंतर्गत कवर होंगे अथवा नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, उस पर चर्चा बाद में की जायेगी, अभी तो केवल घोषणा के बारे में चर्चा हो रही थी।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 40 पर बोलना चाहता हूं। काफी समय से हरियाणा में बिजली का दुरूपयोग हो रहा है। जब प्रदेश में हमारी इनेलो की सरकार थी उस समय प्रदेश के अंदर 24 घण्टे बिजली मिलती थी तथा उस समय बिजली का रेट 4.40 रूपये प्रति यूनिट था जो बढ़कर पिछली सरकार के समय में 7.30 रुपये प्रति यूनिट हो गया था। पिछली सरकार ने बड़े-बड़े थर्मल पॉवर प्लांट खेदड़, झाड़ली व यमुनानगर में लगवाये तथा चीन में बनी हुई मशीनरी लगवाई। पिछली सरकार के समय किसानों के 1600 करोड़ रुपये बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। मेरी सरकार से माँग है कि सरकार इस बारे में एक श्वेत-पत्र लेकर आये ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि किसानों के बिजली के बिल पिछली सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार माफ किये गये हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार से जो दूसरे देशों की मशीनरी थर्मल पॉवर प्लांट्स में लगी है उस विदेशी मशीनरी का हरियाणा में क्या फायदा है ? उसके बारे में भी एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि हरियाणा राज्य में जो थर्मल पॉवर प्लांट लगे हैं उनके अंदर जो मशीनरी लगी है क्या वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश के लिए योग्य थी, उचित थी व निर्धारित मानकों के अनुरूप थी ? जब बड़े-बड़े कारखाने हमारे देश में उपलब्ध हैं तथा हमारी खुद की B.H.E.L.जैसी कम्पनियाँ यहां पर उपलब्ध हैं, फिर हमें किन कारणों की वजह से ऐसी जगह जाना पड़ा जहां पर तीन प्रकार का माल बनाया जाता है made in China for China, made in China for U.S.A. & Europe and made in China for Asian countries.

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, इस का जवाब पहले दे दिया गया था।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। हरियाणा प्रदेश में बिजली महंगी होती जा रही है और मिल भी नहीं रही है क्योंकि बिजली का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिजली उत्पादन पर प्रदेश के अंदर हजारों-लाखों करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं लेकिन हमारे बिजली के निगम घाटे में चले गये। ये बिजली के निगम क्यों घाटे में चले गये ? आज प्रदेश में बिजली के लाइन-लौसिज़ बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक श्वेत पत्र आये तथा बिजली प्रबंधन सुव्यवस्थित हो ताकि लाईन-लौसिज़ कम हों, चोरी कम हो और बिजली की उपलब्धता पूरी हो। किसानों को जो रात को 11 बजे से सुबह तक बिजली दी जाती है वह उसके लिए घातक हो रही है। रात को 11 बजे इंडस्ट्रीज काम कर सकती हैं लेकिन किसान को रात में 11 बजे बिजली देकर उसको सजा दी जा रही है। इसलिए उसको दिन में बिजली दी जाए ताकि उसको खेतों में भी सुविधा हो सके और घर में भी सुविधा हो सके। हमारे बार बार प्रार्थना करने के बाद भी हरियाणा में बिजली की इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। बिजली की इस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है तथा बिजली की उपलब्धता भी पूरी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आप यदि मुझे इजाजत दें तो मैं मिढ्ढा साहब की तरफ से डिमांड नं. 13

पर हैल्थ के बारे में दो मिनट में कुछ कहना चाहता हूं। जींद में एक होस्पिटल है जिसकी बिल्डिंग बन चुकी है। मैं सदन के नेता के सामने भी यह कह रहा हूं कि वहां बिल्डिंग बन चुकी है। एक घोषणा हुई थी कि वहां एक जी.एन.एम. कालेज और ए.एन.एम. कालेज खोला जाएगा ताकि हमारे यहां की बच्चियों को सुविधा मिल सके। अभी हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि आर.एच.सी. (Reproductive Health Care) की बहुत गम्भीर समस्या है। मैं सदन के नेता से और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आप गहराई में जाएंगें तो पायेंगे कि आज सरकार का जो "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान है वह इस आर.एच.सी. (Reproductive Health Care) की समस्या से प्रभावित हो रहा है। बेटियां यदि जन्म से पहले ही मर जायेंगी तो बेटियों की किस प्रकार से रक्षा की जाएगी। हमने आर.एच.सी. (Reproductive Health Care) में अपनी बहनें रख ली। एन.आर.एच.एम. में कम से कम बी.एस.सी. नर्सिंग की सुविधा होनी चाहिए थी क्योंकि उनका 4 साल का तजुर्बा होता है लेकिन एन.आर.एच.एम. में जी.एन.एम. और ए.एन.एम. लगा दी गई। आज जो डिलीवरी हट्स हैं उनके अंदर यह तलवार लटका दी गई है कि बेटी तेरा यह टारगैट है इसलिए तूने एक महीने में इतनी डिलीवरियां करवानी हैं। वह इसके लिए प्रयासरत रहती हैं और जबरदस्ती भी कर देती हैं। अभी नारनौल में तीन दिन पहले एक मौत हुई है, आप इस बारे में पता करवा लेना ।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एन.आर.एच.एम. की पूरी स्टडी करवाएं क्योंकि आज जो डिलीवरी हट्स चलाई गई हैं और उनमें जो ए.एन.एम. लगाई गई हैं उसके बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरे दिमाग में आई थी, हो सकता है कि आपके दिमाग में न आई हो। मैं यह बात आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इन हट्स के तहत बहुत सी हत्याएं हो रही हैं जो नोटिस में नहीं आ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सीनियर अधिकारियों या डाक्टर्रों का एक ग्रुप बनाकर इसकी स्टडी करवाई जाए ताकि सरकार का जो पैसा लग रहा है उसका सदुपयोग भी हो और आम आदमी को उसका फायदा भी हो। जींद का अस्पताल बहुत बड़ा है। राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि हर जिले में मैडीकल कॉलेज बनेंगें इसलिए प्राथमिकता के आधार पर तो मैं यह कहूंगा कि हमारे जिले का जो अस्पताल है उसको पहले ले लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री बलकौर सिंह कालांबाली (कालांबाली) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर-3 पर बोलना चाहूँगा। सरकार का राजस्व में जो खर्चा दिखाया है वह बहुत ज्यादा है जैसे मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से लेकर ओ.एस.डी. और सलाहकार तथा और बहुत से ऐसे ओहदे दिए जाते हैं जिन पर बहुत सारा खर्चा होता है। इन खर्चों को घटाकर लोगों को और सहूलियतें दी जा सकती हैं। हमारे एरिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर की बीमारी है, हैपेटाइटिस सी या स्वाइन फ्लू की बीमारी है, तो इन बीमारियों का इलाज करवाने के लिए या किसी की इस बीमारी से डैथ हो जाती है तो उसके परिवार को खर्चा चलाने के लिए इस खजाने में से अलग से सहूलियतें दी जा सकती हैं। सरकार ने बहुत से आयोग गठित किए हैं जिनकी कोई समय सीमा नहीं होती। कोई भी मामला इन आयोगों के पास चला जाता है और पता नहीं कितनी कितनी देर तक वे मामले ऐसे के ऐसे चलते रहते हैं। इन आयोगों को अलग वाहन भी दिए जाते हैं और अलग दफ्तर भी दिए जाते हैं तथा स्टाफ भी दिया जाता है जिन पर सरकार का बहुत सारा खर्चा होता है इसलिए इन आयोगों को, जो भी तफतीश कर रहे होते हैं, अगर उनको समय सीमा दी जाए तो सरकार का बहुत सारा खर्चा बच सकता है तथा लोगों को मिलने वाली सहूलियतें बढ़ सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में जो भी अधिकारी रिटायर होते थे उन्हें दोबारा

[श्री बलकौर सिंह कालांवाली]

नियुक्तियां देकर संस्थाओं में एडजैस्ट कर दिया जाता था। जिसके कारण उन्हें अलग निवास स्थान, वाहन, स्टाफ भी दिया जाता था। जिस पर काफी खर्चा हुआ है। ऐसा न करके काफी खर्चा बचाया जा सकता था और आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती थी। इसी तरह से यदि किसी प्रशिक्षण केन्द्र में हमारे कई अधिकारी जाते हैं तो वे अलग-अलग गाड़ियों में जाते हैं। इस तरह के केसिज में सरकार द्वारा अपनी तरफ से गाड़ी मुहैया करवाकर, समूह में अधिकारियों को भेजकर खर्चा कम किया जा सकता है। इससे सरकार पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं अपने हल्के की बात करूं मेरे हल्के कालांवाली में बहुत पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में सब तहसील की बिल्डिंग बनाई गई थी लेकिन आज तक वहां हास्पिटल की बिल्डिंग में तहसील चल रही है। वहां एक ही बिल्डिंग में हास्पिटल और तहसील चल रही है तथा वहां लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। वकीलों के बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही लोगों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। जब कभी बरसात या अंधेरी आ जाती है तो लोग हास्पिटल में चले जाते हैं जिसके कारण मरीजों और डाक्टरों को डिस्टरबैंस होती है। जो अलग खर्च हुआ है इसको घटाकर तहसील तथा दूसरी सुविधाएं वहां लोगों को दी जा सकती हैं। इसी तरह से कालांवाली में सीवर सिस्टम चौटाला साहब की सरकार के समय में डाला गया था। उसके बाद उसकी तरफ दूसरी सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वह ब्लॉक हो गया है, उसकी सफाई की बहुत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वहां नगरपालिका की बिल्डिंग नहीं बनी है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि खर्चा घटाकर वहां नगरपालिका की बिल्डिंग बनाई जाए। इसी तरह से वहां नगरपालिका, तहसीलों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में कर्मचारियों की बहुत कमी है। क्लास-4 के कर्मचारी भी नहीं हैं जिसके कारण सफाई नहीं हो पाती। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कालांवाली में नगरपालिका, तहसीलों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में कर्मचारियों की जल्द से जल्द भर्ती की जाए। धन्यवाद।

श्री केहर सिंह (हथीन) : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन के अवसर पर कुप्रबंधन और अनावश्यक खर्च पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सदन के माध्यम से हथीन व पलवल के प्रशासन का जो कुप्रबंध है उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं। वहां डी.सी. रेट्स पर जो भर्तियां हुई वे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई हैं। जिसके कारण वहां बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कई हादसे भी हुए हैं और 12 मौतें भी हुई हैं। वहां आई.टी.आई. के फर्जी प्रमाण पत्रों के कारण अनावश्यक भर्तियां हुई हैं उनकी जांच करवाई जाए। इसी तरह से डी.सी. रेट पर जो युवक रखे हैं उनके विषय में सोचा जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जिला पलवल में जी.एम. रोडवेज अपने कंडैक्टर्ज और ड्राईवर्ज से पैसे लेकर रूट तय करता है। जब कंडैक्टर या ड्राईवर से पैसे लेकर रूट तय किए जायेंगे तो हम सभी समझ सकते हैं कि टिकट्स में कितनी धांधलेबाजी होती होगी। इस तरह से रोडवेज का घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। इसी तरह से पुलिस विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वे भी सही काम नहीं कर रहे हैं। हमारे वहां मड़कोला गांव में जयराम नाम का ए.एस.आई. है। जो राजनीति से प्रेरित होकर और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रभावित लोगों के साथ न्याय नहीं होने देता है, जबकि यह कानून है कि कोई भी पुलिस कर्मचारी अपने गृह जिला में नौकरी नहीं कर सकता। इसके अलावा जो ब्लॉक और तहसील लैवल पर कर्मचारी लगे हुए हैं वे भी कहीं राजनीति से प्रेरित होकर और कहीं रिश्तेदारियों से प्रभावित होकर

18.00 बजे

जनता के साथ भेदभाव करते हैं। इससे लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से किसी दूसरे जिले में किया जाये। शिक्षा विभाग के बारे में यह बहुत ही अच्छी बात हुई कि मिडल स्तर की परीक्षाओं को भी दोबारा से शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत लेने का निर्णय लिया गया और जो दूसरी कमियां थी उनमें भी पर्याप्त सुधार लाया जायेगा लेकिन मेरे विचार से एक कमी अभी भी बाकी है वह यह कि सी.बी.एस.ई. के स्कूलों में सैमेस्टर प्रणाली नहीं है और हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सैमेस्टर प्रणाली है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सितम्बर और अक्तूबर का समय ऐसा होता है जो कि बच्चों की पढ़ाई के मामले में बहुत ही अच्छा होता है लेकिन यह समय बच्चों के एग्जाम्स में निकल जाता है। इस कारण पढ़ाई के मामले में हरियाणा की नई जैनरेशन के बच्चे दूसरे राज्यों से लगातार पिछड़ रहे हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश से भी सैमेस्टर प्रणाली को समाप्त करके सी.बी.एस.ई. के पैटर्न पर शिक्षा प्रदान की जाये। यह मेरी अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से प्रार्थना है। हमारे प्रदेश में जो मिड-डे मील योजना है उसके अंतर्गत खण्ड होडल, इसनपुर और पलवल में इस्कॉन कम्पनी के द्वारा स्कूलों में मिड-डे मील का भोजन भेजा जाता है, परन्तु हथीन खण्ड के अंदर अभी अध्यापकों के द्वारा ही यह मिड-डे मील का भोजन बनाया जाता है, जिससे अध्यापकों के ऊपर लांछन भी लगते हैं और उनका कीमती समय भी बर्बाद होता है। इसलिए मेरी सदन के माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि खण्ड हथीन के स्कूलों में भी मिड-डे मील का भोजन इस्कॉन कम्पनी या किसी दूसरी कम्पनी के द्वारा दिलवाये जाने की व्यवस्था करवाई जाये। इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015-16 के लिए पी.डब्ल्यू.डी. और मार्किट कमेटी की सड़कों के लिए जो बजट रखा गया है वह अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार को प्रदेश में सड़कों की हालत को देखते हुए इस बजट को और बढ़ाना चाहिए। पी.डब्ल्यू.डी. और मार्किट कमेटी के तहत जो सड़कें अभी बनाई जा रही है या बन चुकी हैं उनमें इतनी ज्यादा घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है कि उनके बनने के समय ही वे टूट चुकी हैं और उनमें बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं। सड़क बनाने में सरकार का खज़ाना लगता है लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिल पाती। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो ये सड़कें चाहे वे पी.डब्ल्यू.डी. के तहत बनी हों और चाहे मार्किट कमेटी के अंतर्गत बनी हों, इनकी गहराई से जांच करवाई जाये और जो अधिकारी व ठेकेदार दोषी पाये जायें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जाये ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की कोताही न बरते। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि ओलावृष्टि के नुकसान के लिए अभी सदन के नेता ने 500 करोड़ रुपये का अनुमान बताया। मेरा मानना है कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से अलग भी जो बारिश के साथ-साथ तेज़ हवा चली उससे करीब तीन हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए गिरदावरी करवाते समय ऐसी जगहों पर कृषि वैज्ञानिकों को भेजा जाये ताकि वहां के किसानों को उचित मुआवज़ा मिल सके। मेरे विचार से इस बार यह विशेष बात हुई है कि गेहूं की फसल का जो रेट होना चाहिए इस बार वह रेट भी नहीं है और दूसरी बात जो इस बार होने वाली है वह यह है कि गेहूं की फसल के वेट में भी 40 से 50 प्रतिशत तक की कमी आयेगी। इसी प्रकार से मैं सी.एम. विंडो के बारे में बताना चाहूंगा कि सी.एम. विंडो के माध्यम से आम जनता अपनी परेशानियों को सी.एम साहब को अवगत करवाना चाहती है लेकिन घूम-फिर कर वे शिकायतें दोबारा से उसी अधिकारी के पास आ जाती हैं जिनके खिलाफ वे शिकायतें की गई होती हैं, जो जनता को सुविधायें नहीं दे रहे होते और समस्यायें पैदा करने के साथ-साथ लोगों की समस्याओं के बारे में सुन भी नहीं रहे होते। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ऐसे अधिकारी हैं उनकी जांच की जाये और दोषी पाये

[श्री केहर सिंह]
जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही बिना किसी विलम्ब के की जाये क्योंकि प्रदेश की जनता को इस सरकार से बहुत ज्यादा आशाएं और अपेक्षायें हैं। जब मुख्यमंत्री जनता की भलाई के लिए कोई घोषणा करते हैं और जब उसका ग्राऊंड लैवल पर क्रियान्वयन न होने पर मुख्यमंत्री के दरवाज़े पर भी जनता को न्याय नहीं मिलता तो फिर ऐसी स्थिति में आम आदमी कहां जायेगा? इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश के अंदर प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। खासकर पलवल ज़िले में हज़ारों चोरियां हुई, डकैतियां हुई, अपहरण की घटनायें घटी, बलात्कार की घटनायें हुई और ए.टी.एम. को लूटा गया लेकिन आज तक पुलिस एक भी दोषी को नहीं पकड़ पाई। यह हमारे प्रशासन की कमी को दर्शाता है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर सुधार की ज़रूरत है। यहां प्रशासन में सुधार के ऊपर बात चल रही है। हरियाणा प्रदेश के आवाम की गाढ़े खून पसीने की कमाई से यह सदन चलता है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं माननीय सदस्य को इंटरवीन नहीं करना चाहता। ये मेरे दोस्त भी हैं और यहां पर अच्छी बात करते हैं। हम अधिकतर सदस्य इस महान सदन में पहली बार चुनकर आये हैं, इसलिए यहां पर हमें अभी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहां पर अभी कट मोशन पर बात चल रही है। इस बारे में Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly के रूल नम्बर 195-196 में कट और मोशन की बड़ी स्पष्ट परिभाषा दी गई है और उसके ऊपर किस प्रकार से चर्चा की जाये उसके नियम भी दिये हुए हैं। मेरा निवेदन है कि अगर सभी माननीय सदस्य सम्बंधित डिमाण्ड पर ही बात करेंगे तो उनकी बातचीत सार्थक होगी और सदन का प्रयास भी सार्थक सिद्ध होगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन है। (विघ्न) स्पीकर सर, इसी के साथ ही मेरा आपसे भी नम्र निवेदन है कि अगर सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री केहर सिंह जी डिमांड नं. 3 पर बोल रहे हैं और इन्होंने इस बारे में कट मोशन दिया हुआ है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि संबंधित विषय पर बात-चीत की जाये तो अच्छा रहेगा। मैं तो जो सामान्य चर्चा चल रही है उसके बारे में कह रहा हूँ। मैं चौधरी केहर सिंह जी के लिए नहीं कहा रहा हूँ।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के लिए तो अच्छी बात है कि सामान्य प्रशासन की माननीय सदस्य जो कमियाँ बतायेंगे उनको ये दूर कर लें। अगर लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में कोई विधायक कमी निकालता है तो उसको दूर किया जा सकता है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो विषय से संबंधित बात की है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार चलेगी तो बहुत अच्छा होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केहर सिंह जी डिमांड नं. 3 पर बोल रहे हैं। मंत्री जी को शायद यह पता नहीं है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर किसी भी बात पर बोला जा सकता है। अगर ऐसा रूल है तो माननीय मंत्री जी बता दें कि किस रूल के तहत नहीं बोल सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र हथीन में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और गिरदावर ने बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है। पंचायत के द्वारा की गई पैमाइश को भी वे गलत करार दे देते हैं। अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र हथीन के अन्तर्गत एक गांव गहलब है। वहाँ पर दो गांवों के रास्ते की जमीन की पैमाइश की गई थी तो उसमें अवैध कब्जे पाये गये। उसके बाद गांव गहलब का ही शिकायतकर्ता एक व्यक्ति जिसका नाम उदयवीर था उसने पी.डब्ल्यू.डी. और पंचायत विभाग द्वारा की हुई पैमाइश की दोबारा से तहसीलदार को पैसे दे कर पैमाइश करवाई तो फिर से तहसीलदार ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब गेहूँ की कटाई का सीजन आ गया है। इस प्रकार से वे दोनों गांवों के लोग बिना रास्ते के किस प्रकार से अपनी फसलों को घर तक लेकर जायेंगे ? इस प्रकार जो लोग सरकार को बदनाम करते हैं और आम आदमी को परेशान करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये। यही मेरा आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी डिमांड पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री नगेन्द्र भड़ाना (फरीदाबाद एन.आई.टी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड्स पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं डिमांड संख्या 8 और 15 पर बोलना चाहता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। नई सड़कों के निर्माण और मुरम्मत के समय अगर थोड़ी सी सतर्कता बरती जाये तो सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अनावश्यक खर्च के बोझ को काफी कम किया जा सकता है। सरकार की जो टैंडर प्रणाली है, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए जब वर्क आर्डर मिलता है तब तक निर्माण सामग्री महंगी हो जाती है जिससे प्रोजैक्ट की कीमत बढ़ जाती है, जिसके कारण सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सड़क का निर्माण अगर एक समय-सीमा में किया जायेगा तो उससे अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप के.एम.पी. को ही ले लीजिए। यह वर्ष 2012 तक पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन समय पर पूरा न होने के कारण इस प्रोजैक्ट का खर्च सैंकड़ों करोड़ रुपये बढ़ गया। इसी तरह से सड़कों के अर्थ फिलिंग के काम में भी बहुत ज्यादा घपले होते हैं। अगर इसमें एक निश्चित समय-सीमा में मिट्टी की भराई की जाये तो सरकारी खजाने की राशि को बचाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 4 दिसम्बर 2014 को फैसला किया था कि जो सड़क के लिए जमीन अधिगृहित की जायेगी उसमें 100 प्रतिशत सोलेशियम के साथ बाजार से 4 गुणा रेट दिये जायेंगे लेकिन नैशनल हाईवे नं. 10 में जो जमीन अधिगृहित की गई है उस पर मात्र 30 प्रतिशत सोलेशियम दिया जा रहा है जोकि किसानों के साथ धोखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तीन नम्बर पुलिया से डबुआ गांव और डबुआ गांव से पाली गांव तक की मेन सड़क है जोकि एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र और बड़खल विधान सभा क्षेत्र दोनों की मेन रोड है। उस रोड से लाखों लोग गुजरते हैं लेकिन उस रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। उस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। इसी के साथ-साथ एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र में गोच्छी ड्रेन के दोनों तरफ सड़क बनवाई जाये और गोच्छी ड्रेन का जो अधूरा कार्य है वह भी पूरा करवाया जाए। वह सड़क एक तरह से बाई पास का काम करेगी क्योंकि एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र में कोई भी चौड़ी सड़क नहीं है। सर, गौच्छी ड्रेन के दोनों तरफ सड़क बन जाने पर वह एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसी प्रकार डबुआ गांव से गाजीपुर और गाजीपुर गांव से नंगला गांव की सड़क को भी बनवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ से सोहना

[श्री नगेन्द्र भड़ाना]

रोड़ पर टोल लगा हुआ है लेकिन नंगला गांव के तकरीबन आधा किलोमीटर के आस-पास रोड़ के ऊपर पानी भरा हुआ है और गांव आलम पुर के पास एक से दो फुट गड्ढे बने हुए हैं। यह रोड़ रिलाईन्स ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। जब यह लोगों को सुविधा ही नहीं दे रहे तो उनको टोल वसूलने का क्या हक है। जब तक यह रोड़ ठीक नहीं कराया जाता है तब तक रिलाईन्स ग्रुप उस पर टोल टैक्स न वसूले। इसी के साथ-साथ मैं डिमांड नम्बर-15 पर बोलना चाहूंगा। हमारे फरीदाबाद जिले में छः विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें से पांच विधानसभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अन्दर आते हैं, जिनमें से बल्लभगढ़, बड़खल और ओल्ड फरीदाबाद ये 100 प्रतिशत नगर निगम के अन्दर आती हैं और एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र 80 प्रतिशत नगर निगम में आता है। हमारे एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आज भी वहां के लोग पीने के पानी को टैंकरों के माध्यम से मंगवाने के लिए बाध्य हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वहां के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। इसी के साथ-साथ पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि एम.सी.एफ. एरिया में सड़क बनाने से पहले वहां पर पानी की पाईप लाईन जरूर डाली जाए और आबादी के हिसाब से वहां पर सीवरेज लाईन डाली जानी चाहिए और नालियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि अकसर देखा जाता है कि सड़कें बना दी जाती हैं और फिर सड़कें बनने के दो महीने बाद उस सड़क को तोड़कर उसके नीचे से पानी व सीवरेज की पाईप लाईन डाली जाती हैं जिससे सरकार पर भी बोझ पड़ता है और जनता के खून पसीने की कमाई बर्बाद होती है। इसी के साथ-साथ मेरे एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज के 80 से 90 प्रतिशत ढक्कन टूटे हुए हैं। उन ढक्कनों में इतनी घटिया क्वालिटी का मैटिरियल लगा हुआ है कि जरा सा उस पर से वाहन निकलता है तो वह टूट जाता है। इसी के साथ-साथ नगर निगम के अधीन जो लाईटें लगी हुई हैं उनमें बल्बों के जो होल्डर व चॉक हैं वह इतनी घटिया क्वालिटी के हैं कि वह मात्र दो दिन नहीं जलते हैं फिर खराब हो जाते हैं। इसकी इन्कवायरी कराई जाए। इसी के साथ-साथ एम.सी.एफ. एरिया में क्योंकि अब शहरीकरण हो रहा है शहर के अन्दर दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए फरीदाबाद नगर निगम की आमदनी बढ़ाई जानी चाहिए। गवर्नमैंट की तरफ से उसको ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए क्योंकि इस समय फरीदाबाद नगर निगम के हालात ये हैं कि कर्मचारियों की सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं हैं तो विकास कार्य कहां से होंगे। अभी हाल में कुछ दिन पहले फरीदाबाद नगर निगम ने गुड़गांव नगर निगम से 100 करोड़ रूपये का लोन लिया था। मेरी आपके माध्यम से यह प्रार्थना है कि वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे फरीदाबाद नगर निगम की आमदनी बढ़े और वहां पर विकास कार्य सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद!

श्री रणवीर गंगवा (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माँग संख्या-8 (भवन एवं सड़कें) पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, अगर सड़क निर्माण में और मुरम्मत के निर्माण में पूरी सावधानी के साथ योजना बनाई जाये तो हरियाणा प्रदेश का जो अनावश्यक खर्च है उसको बचाया जा सकता है। इसके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की थी, मैं उसमें जाकर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि कोई नई बात है तो बतायें हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। माननीय मंत्री जी ने इस बारे में लिस्ट दी थी कि इन-इन सड़कों पर पैथिज

लगाकर ठीक की गई है। उसमें 24 नम्बर पर कैमरी रोड़ का जिक्र किया गया था जो मंगाली से हड़वा रोड़ दर्शायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं। इस बारे में मंत्री जी को पहले भी जानकारी दी गई थी कि वहाँ हम 3 विधायकों के मकान श्री अनूप धानक का, श्री वेद नारांग का और तीसरा मेरा, उसी सड़क पर लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तीन दिन की छुट्टी थी और मैं अपने घर चला गया। स्थानीय लोग मुझ से मिलने आये तो उन्होंने एक ही बात का जिक्र किया कि हमारे काम तो रहने दो, जो आपके घर के आगे रोड़ पर पानी भरा रहता है, उसे ठीक करवा लीजिए ताकि हम लोग आपके घर पर आराम से आ जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह एक आम रोड़ है और उसकी बदतर हालत है। इस बारे में पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप अपने घर जाईये, मैं जन स्वास्थ्य अभियंता को भेज देता हूँ, लेकिन आज तक वह अभियंता उस सड़क तक नहीं पहुँचा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि एक्सियन या एस.ई. को कह दें जहाँ 3-3 विधायक हों वहाँ पर कम से कम सड़क तो ठीक हो, जिससे लोग यह तो न कहें कि पहले आप अपनी सड़क तो ठीक करवा लो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सड़कों के बारे में अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे गाँव गंगवा (हिसार) से राजगढ़ सड़क है जो अभी कुछ दिन पहले ही रिपेयर करने की थी लेकिन वह पूरी तरह से टूट गई है। अध्यक्ष महोदय, उस टूटी सड़क से किसान टैक्टर ट्रॉली से पशुओं के लिए तुड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो कई बार भरी हुई टैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ कि इसकी जाँच करवाई जाये कि इतनी जल्दी सड़क कैसे टूट गई ? अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक गौरा साहब जी के गाँव में भी सड़कों की बुरी हालत है। जब हम उस सड़क से सिवानी जाते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस सड़क की दोबारा से मुरम्मत के साथ इसकी जाँच भी करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, गाँव गंगवा से आर्यनगर तक की सड़क पब्लिक हैल्थ विभाग द्वारा सीवरलाईन डालने के कारण टूट गई है। पब्लिक हैल्थ विभाग के एस.ई. से इस बारे में बात की तो वे कहने लगे कि हमने 4-5 महीने पहले पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में पैसे जमा करवा दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस सड़क की रिपेयर का कार्य शुरू नहीं किया गया है, सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसी तरह से गाँव बूरा से हरैता की सड़क जो एक गाँव से दूसरे गाँव की रोड़ है, उसको भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये। कैमरी से टोकसपातन के लिए जो एक गाँव से दूसरे गाँव का रास्ता है वह भी बनाया जाये। कैमरी गाँव से देवां गाँव का रास्ता है वह भी बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अभी जो देवसर फीडर के साथ-साथ ऊपर से जो मंगाली से सिंघाना रोड़ है वह भी बनाया जाये ताकि किसानों को आने-जाने की सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, शाहपुर से न्योली के बीच वाली सड़क बिल्कुल टूटी हुई है उसको भी तुरन्त रिपेयर करवाने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि नलवा और बालावास गाँव के बीच में टोल टैक्स लगाया गया है। इस बारे में स्थानीय लोग इक्ट्ठे होकर आये थे। उनमें इस बात का बड़ा भारी रोष है कि यह टोल टैक्स बिना मतलब का ही सरकार ने लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह फैसला कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ने फैसले लिए थे वे फैसले गलत लिए थे, उन सभी फैसलों को निरस्त किया जाये। अध्यक्ष महोदय, काफी समय से खनन कार्य नहीं चला है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बेरोजगार और परेशान हैं। लोग घरेलू वाहन अपना छोटा-मोटा काम करने के लिये जाते हैं तो उनसे भी टोल टैक्स वसूला जाता है, सड़कें भी बढ़िया नहीं हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करूँगा कि

[श्री रणवीर गंगवा]

इस टोल बैरियर को निरस्त करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं. 40 पर यह कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार के कार्यकाल दौरान 24 घण्टे बिजली मिलती थी और 300 यूनिट खपत पर 4.40 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल लिया जाता था लेकिन पिछली सरकार में 66 प्रतिशत की वृद्धि करके 7.30 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल दिया जाता था। माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह ढुल कह रहे थे कि पिछली सरकार ने 16 सौ करोड़ रुपये बिजली के बिल माफ किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में एक श्वेत पत्र लाया जाये कि किन-किन लोगों के बिजली के बिल माफ हुये हैं और किन-किन लोगों को इसका लाभ मिला है या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, पिछली प्लान में नलवा विधान सभा क्षेत्र के विधायक ने अपने किसी मित्र से सांठ-गांठ करके किसी कम्पनी को पिल्लर बॉक्स लगवाने का ठेका दिलवाने का काम किया, जिसके कारण सबसे ज्यादा और सबसे पहले पिल्लर बॉक्स नलवा विधान सभा क्षेत्र में ही लगे। अध्यक्ष महोदय, ये मीटर बिजली ना होने के कारण भी धूप की गर्मी से ही चलते थे, इसकी आप जांच भी करवा सकते हैं। कुछ लोगों ने इस समस्या को लेकर शिकायतें भी की थी, जिसके कारण लोगों ने लम्बे समय से बिजली के बिल भी नहीं भरे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि लोग बिल भरना नहीं चाहते हैं। सभी लोग बिल भरना चाहते हैं। जिन लोगों के 500-500 रुपये के बिल आते थे आज उनके 5-5 हजार रुपये के बिल आते हैं। इसलिए इन बिलों पर जो सरचार्ज लगाया गया है वह माफ कर दिया जाये, क्योंकि लोग हमारे पास इस समस्या को लेकर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों से अनुरोध करके अपनी तरु से बिजली के बिलों को भरवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि सड़क, पानी और बिजली हर जगह पहुँचे लेकिन किसानों को ढाणियों में बिजली की बड़ी दिक्कत है, उनमें बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बिजली को लेकर सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी बात को कहें।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है, किसान आज भी अंधेरे में सोने पर मजबूर हो रहे हैं। आप स्वयं भी किसान हैं। माननीय मंत्री जी ने ट्यूबवैल कनैक्शन पर प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया था कि जिन अधिकारियों ने कनैक्शनों के बारे में दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। किसानों के कनैक्शन नहीं रोकने चाहिए बल्कि उन्हें कनैक्शन दिये जाने चाहिएं क्योंकि डीजल महँगा है। इन कनैक्शनों पर सरकार का खर्चा नहीं होता बल्कि किसानों का स्वयं का खर्चा होता है। अध्यक्ष महोदय, समय अभाव के कारण आपकी बात को मानते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इन समस्याओं को हल किया जाये।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड नम्बर 9 और 13 पर बोलने का समय दिया है, इसके लिये मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा प्रदेश में पिछले कुछ सालों से और पिछली सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है। वह इस साल से साबित होता है कि हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थी का राष्ट्रीय अनुपात 1:40 की तुलना मे 1:27 का ही है, यह अनुपात इसलिए कम है क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरेक आदमी यह सोचता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। सरकारी स्कूलों में

शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है, इसलिए हरेक आदमी अपने बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करता है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा एजुसैट शिक्षा और कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ा प्रोजैक्ट शुरू करके बड़ा प्रसार किया गया था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के जिन गांवों में ये एजुसैट सिस्टम और कम्पयूटर प्रणाली लगी है, मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में उनमें से किसी भी गांव में यह शिक्षा की प्रणाली नहीं चली है। उससे सरकार के बजट के ऊपर अनावश्यक बोझ पड़ा है। पिछली सरकार में जो अनियमितताएं और कारगुजारियां हुई हैं उनसे हमारे इस वर्ष के बजट पर भी असर पड़ रहा है और हमारी शिक्षा का स्तर भी लगातार नीचे जा रहा है। पिछली सरकार ने सोनीपत जिले में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट में हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने यह बात रखी गई थी कि हम प्रदेश को अंतराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देंगे लेकिन इस एजुकेशन सिटी में आज तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय युनिवर्सिटी, संस्था या कॉलेज नहीं आया है। अध्यक्ष जी, ये हमारी पिछली सरकार की कुछ गलत नीतियां रही हैं इन्हें भी सरकार को दूर करना चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारी उच्च शिक्षा सहित समूची शिक्षा प्रणाली का व्यपारीकरण हो रहा है। हमारे प्रदेश के गरीब मां-बाप अपने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में भेजना तो दूर उनमें एंट्री भी नहीं करवा सकते। हमारी सरकार को नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिएं। हमारे हरियाणा प्रदेश में यह दोगलापन चल रहा है। अब सरकार को यह तय करना चाहिए कि हर व्यक्ति को विकास के एक समान अवसर उपलब्ध होने चाहिएं ताकि यह भेदभाव और दोगलेपन की नीति समाप्त हो सके। अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने हमारी शिक्षा प्रणाली को बहुत खराब कर दिया है। आज बच्चों को सिर्फ प्राईमरी तक ही अच्छी शिक्षा मिल रही है। प्राइमरी के बाद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे हैं। सरकार को हरियाणा में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए उनकी जल्द से जल्द भर्ती करनी चाहिए। इन अध्यापकों को अच्छे मानकों पर भर्ती करके अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे मेवात जिले में पिछले दिनों शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा ही संगीन मामला उजागर हुआ है। सरकारी स्कूल के अध्यापकों ने मिड डे मील में एक बहुत बड़ा घपला किया है। स्कूलों में लगभग 27 हजार बच्चों की फर्जी हाजिरी लगी हुई थी और स्कूलों के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अध्यापक मिड डे मिल का पैसा अपनी जेबों में भर रहे हैं। इस तरह से शिक्षा विभाग में अव्यवस्था फैलाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2015-2016 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में पहले छात्र संघों के चुनाव होते थे लेकिन पिछले कुछ वर्षों से छात्र संघ के चुनाव बंद हो चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार हरियाणा प्रदेश के अन्दर छात्र संघों के चुनाव शुरू करवाएं ताकि हमारे युवा राजनीति में आगे आएं और राजनीति में अपना भविष्य निर्माण कर सके। इससे उनकी एक राजनीतिक पहचान कायम होगी और उन्हें अपनी बात रखने का एक मंच प्राप्त होगा। मेरी दूसरी डिमांड हैल्थ से संबंधित है। इस डिमांड में वित्तीय राशि का विवरण दिया गया है। इसको योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य सुविधाओं का गिरा हुआ स्तर ऊंचा उठ सके। सरकार के स्वास्थ्य विभाग का राष्ट्रीय ग्रामीण हैल्थ मिशन के तहत ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का दायित्व है। आज अस्पतालों में दवाईयों का अभाव है जिससे गरीब व्यक्ति को दवाईयां बाहर से खरीद कर लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर उसको टेस्ट करवाने हों तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं है। सरकार को इस बारे में सदन में चर्चा करनी चाहिए। गरीब आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसको अच्छी फैसीलिटीज मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अब मैं डिमाण्ड नं. 26 पर बोलना चाहता हूं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर खनन पर रोक लगा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर बैन लगा रखा है लेकिन सरकार को इस बात का या तो पता नहीं है और अगर पता है तो भी यह बहुत गलत बात है कि हरियाणा में अभी भी माईनिंग हो रही हैं और इस काम के लिए कहीं न कहीं सरकार विफल रही हैं। मेरे हल्के में एक लुहंगा खुर्द गाँव हैं जहां पर माईनिंग हो रही थी। गाँव के लोगों ने पुलिस को इस बारे में खबर दी तो पुलिस पार्टी पर भी उन लोगों ने हमला बोल दिया। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ पहले तो एफ.आई.आर. दर्ज कर ली लेकिन बाद में एफ.आई.आर. से दोषियों का नाम तो निकाल दिया और जिन लोगों ने अवैध माईनिंग के बारे में पुलिस को बताया था उनके खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज कर ली। इसके बारे में सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, आप बैठिये। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है।

श्री नसीम अहमद : माननीय अध्यक्ष जी, कट मोशन पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछली सरकार के समय में कट मोशन पर कभी भी किसी सदस्य को बोलने का समय नहीं दिया जाता था।

श्री वेद नारंग (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे डिमाण्ड नं. 9 पर बोलने का समय दिया। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की पीढ़ी को अगर अच्छी शिक्षा मिले तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा की मद में जितनी राशि का प्रावधान किया है अगर उस राशि का सही ढंग से प्रयोग हो जाये तो शिक्षा क्षेत्र में अवश्य ही सुधार हो सकता है परन्तु विडम्बना यह है कि बजट में प्रस्तुत राशि व्यक्तिगत हितों में प्रयोग होती है। इस कुप्रबन्धन के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार होना चाहिए वह सुधार नहीं हो पा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर गिरावट आ रही है। सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति इसका मुख्य कारण है क्योंकि आठवीं कक्षा तक बिना परीक्षा के पास करके छात्र छात्राओं के साथ

उपहास करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समूची शिक्षा प्रणाली का विकेन्द्रीकरण पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। गरीब मां बाप अपने पेट काटकर बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में भेजने के लिए विवश हैं। मेरे हल्के बरवाला में इस बारे में काफी समस्या है। बरवाला में एक राजकीय प्राईमरी स्कूल पुनर्निमाण के लिए तोड़ दिया था, उसके पुनर्निमाण का काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। इसके लिए वहां के छात्र छात्राओं को दो किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उस स्कूल का पुनर्निर्माण जल्द से जल्दी शुरू करवाया जाए। इसी प्रकार से शिवपुरी-1 में एक राजकीय प्राईमरी स्कूल है, उसको अपग्रेड किया जाए। बरवाला में राजकीय महाविद्यालय बन तो गया है लेकिन उस महाविद्यालय में विज्ञान का विषय नहीं है, जिस कारण से वहां के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए हिसार जाना पड़ता है। इसलिए बरवाला के महाविद्यालय में विज्ञान का विषय शुरू करवाया जाए ताकि आसपास के गाँव के विद्यार्थियों को उसी कालेज में यह शिक्षा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बरवाला कॉलेज जाने के लिए छात्र-छात्राओं को बस-स्टैंड से काफी दूर तक पैदल जाना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी सरकार से माँग है कि बस-स्टैंड से लेकर कॉलेज तक लोकल बस-सेवा का प्रबंध किया जाये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कॉलेज की तरफ जाने वाला कोई भी रास्ता पक्का नहीं है। सभी रास्ते कच्चे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि कम से कम अनाज मण्डी रोड़ से कॉलेज तक एक पक्के रास्ते का निर्माण किया जाये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मिल गेट एरिया जो कि हिसार शहर का ही हिस्सा है तथा बरवाला के दो वार्ड भी हिसार शहर में पड़ते हैं। यहां पर कोई भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नहीं है। अत: मैं सरकार से माँग करूंगा कि यहां पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया जाये। हिसार कैंट एरिया में बहुत अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी कोई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नहीं है। सातरोड़ खुर्द व इंदिरा कॉलोनी इलाके में राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला व राजकीय कन्या मिडल स्कूल की चारदीवारी तक नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन विद्यालयों की चारदीवारी बनाये जाये। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सरसोद बिचपड़ी जो कि 10 गाँवों के केन्द्र में पड़ता है, इस विद्यालय को भी अपग्रेड करके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया जाये। राजकीय उच्च विद्यालय भगाना, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय मिर्जापुर, राजकीय उच्च विद्यालय बुगाना, राजकीय उच्च विद्यालय खेड़ी बर्की इन सबको अपग्रेड करके राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया जाये। राजकीय प्राथमिक पाठशाला, ढाणी प्रेम नगर को राजकीय मिडल स्कूल बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, बरवाला शहर में लॉ एण्ड ऑर्डर के हालात बहुत चिंतनीय हैं । पुलिस स्टेशन बरवाला शहर से दूर होने के कारण कभी भी अपराध की घटना घटने की स्थिति में पुलिस अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही अपराधी भाग जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पुराने बस स्टैंड के नजदीक एक पुलिस चौंकी की व्यवस्था की जाये। नैशनल हाईवे पर बंद पड़ी स्ट्रीट लाईट्स अपराधियों को उनके आपराधिक कार्य करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त बरवाला शहर में सफाई व सीवरेज की व्यवस्था भी दयनीय है। पिछले सप्ताह स्वाईन फ्लू की बिमारी से एक युवक की मृत्यु होने के कारण बरवाला शहर में भय का वातावरण व्याप्त है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है । हरियाणा प्रदेश के सभी किसान इस सदन की तरफ आस लगाये बैठे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए उनकी आर्थिक मदद

[श्री वेद नारंग]

की जाये तथा गेहूं पर बोनस देकर सरकार किसानों की माँगों को पूरा करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय, इसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अनूप धानक (उकलाना) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के विषय पर बोलते हुए मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा प्रणाली का व्यापारीकरण हुआ है। सरकारी स्कूलों में अधिकांशत: ग्रामीण गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी योग्यता रखते हैं उन विद्यार्थियों में प्राईवेट शिक्षण संस्थानों की अधिक फीस देने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था उन गरीब विद्यार्थियों के विकास के रास्ते को बंद करती है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हल्का उकलाना में गाँव सरहेड़ा के अंदर 5 हजार की आबादी है। वहां पर 8वीं कक्षा का सरकारी स्कूल 2004 से चल रहा है जिसकी साढ़े चार एकड़ भूमि है। इस स्कूल में 13 कमरे बने हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विद्यालय को अपग्रेड मैट्रिक तक किया जाये। इसके अलावा गाँव बिठमड़ा में 1971 से मैट्रिक तक का लड़कियों व लड़कों का स्कूल चला आ रहा है। इस गाँव की संख्या 15,000 है। स्कूल में कमरों की संख्या 18 है तथा 8 एकड़ जमीन है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विद्यालय को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक अपग्रेड किया जाये। गाँव सिवानी बोलान के लड़कियों के राजकीय उच्च विद्यालय को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक अपग्रेड किया जाये। इस गाँव में 11,000 के करीब जनसंख्या है तथा इस विद्यालय में 20 कमरे बने हुए हैं एवं 8 एकड़ जमीन है। मेरी प्रार्थना है कि इस विद्यालय को 10+2 लक अपग्रेड किया जाये। गाँव हसनगढ़ में लगभग 10,000 की आबादी है और इस गाँव के आस-पास कहीं भी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि वहां भी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाया जाये। मैं बताना चाहूंगा कि उकलाना मण्डी में कॉलेज बनाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वहां पर कॉलेज जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। मेरे गाँव पाबड़ा में पहले एक जे.बी.टी. सैंटर हुआ करता था जो वर्ष 1996-97 में बंद कर दिया गया था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां जे.बी.टी. सैंटर को दोबारा बहाल किया जाये। पिछले कई सालों से शूरेवाला मोड़ पर आई.टी.आई. की डिमांड लगातार उठाई जा रही है, जिसको पिछली सरकार ने पूरा नहीं किया। अत: मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वहां पर एक आई.टी.आई. मंजूर की जाये। अग्रोहा में आई.टी.आई. के लिए 7 एकड़ 4 कनाल जमीन 2008 में दी गई थी लेकिन अभी तक वहां पर आई.टी.आई. नहीं बनी है। यह स्थान हाईवे पर पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से माँग है कि यहां पर जल्द से जल्द आई.टी.आई. बनवाई जाये। मेरे हल्के के सिवानी बोलान, किरमारा व कनोह गाँव के बच्चे हिसार पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां के रोड्स बहुत खराब हैं जिस कारण उनको कालेज पहुंचने में देर हो जाती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उकलाना से कुन्दनपुरा, खेदड़ से दौलतपुर, बधावड़ से डाढ, कनौह से किरमारा, साहू से चमार खेड़ा, साहू से खैरी, पाबड़ा से साहू, बुढा खेड़ा से बाई पास -जी.टी. रोड, दौलतपुर से फरीदपुर, बिठमड़ा से गैबीपुर तथा सनियाना से चमारखेड़ा आदि सड़कों को ठीक करवाया जाए। उकलाना गांव में वार्ड नं. 11, 12 और 13 में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है इसके अलावा उकलाना मंडी में भी सीवरेज व्यवस्था करवाई जाए। तीन गांव सरहेड़ा, गैबीपुर और खरकड़ा, खेदड़ थर्मल प्लांट के 10 किलोमीटर के एरिया में आते हैं इसलिए इन तीनों गांवों को 24 घंटे बिजली देने के लिए जल्दी से जल्दी उस थर्मल प्लांट से जोड़ा जाए। मेरे गांव लिवानी में एक तालाब है जहां दलदल बन गई है और वहां बच्चों के धंसने का खतरा बना हुआ है तथा जिसकी

वजह से बीमारियां भी फैलती हैं इसलिए वहां पर मिट्टी का भरत करवाकर चबूतरा टाइप बनाया जाए। गांव बालक में साढे 6 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पीछे भेजा गया था। मेरी प्रार्थना है कि इस खेल स्टेडियम को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आजकल आवारा पशु फसलों को नष्ट कर देते हैं जिसकी शिकायत किसान भाई लगातार करते हैं। उनको इस समस्या से निजात दिलाई जाए ताकि वे अपनी फसलों को बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम चंद कम्बोज (रानियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 34 पर ट्रांसपोर्ट के बारे में ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की लड़कियां जब रानिया से और बणी से सिरसा कालेज में जाती हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए बसों में सिटिंग व्यवस्था ठीक करवाई जाए और उनके लिए बसों में एक सुरक्षा गार्ड जरूर लगाया जाए।

श्री राजदीप सिंह फौगाट (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं डिमांड नं. 11-खेलकूद तथा युवा कल्याण तथा डिमांड नं. 26 खान एवं भू-विज्ञान के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पीछे लगभग 10 सालों में जब भी हरियाणा के अंदर चाहे एशियार्ड गेम्ज़ में या ओलम्पिक गेम्ज में कोई भी मैडल आए हों तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने इसका श्रेय ले लिया। आज जब बी.जे.पी. की सरकार है और हरियाणा राष्ट्रीय खेलों में दूसरे नम्बर पर है तो उसका श्रेय आज बी.जे.पी. सरकार भी ले रही है। खिलाड़ी होने के नाते मैं एक बात बताना चाहता हूं कि खिलाड़ी को बनने में और इंटरनैशनल स्तर पर और नैशनल स्तर पर पदक लाने में लगभग 10-15 साल लग जाते हैं, तब जाकर किसी खिलाड़ी को पदक मिलता है। पहले कांग्रेस ने उसकी वाह वाही लूटनी चाही है और आज बी.जे.पी. वाह वाही लूटना चाहती है लेकिन इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वह है चौटाला साहब की खेल नीति। उन्हीं की बनाई हुई खेल नीति के तहत आज खिलाड़ी 10 या 15 साल बाद मैडल लेकर आ रहे हैं। इसलिए इसका श्रेय किसी को जाता है तो चौटाला साहब की खेल नीति को जाता है। मैं यह बात पूरे ध्यान से और जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि एक खिलाड़ी को बनने में 10-15 साल का समय लगता है। जो मैडल आज आ रहे हैं इसका श्रेय चौटाला साहब को ज्यादा जाता है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से चौटाला साहब का धन्यवाद करता हूं। यदि हम हरियाणा की बात करें तो पिछले 10 सालों से चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो या क्रिकेट हो, इंटरनैशनल स्तर का कोई भी ऐसा गेम हरियाणा में नहीं हो रहा। ऐसी खेल नीति पिछले 10 सालों में हरियाणा में रही। मैं बी.जे.पी. सरकार से गुजारिश करूंगा कि इंटरनैशनल स्तर के जो खेल हरियाणा में नहीं हो पा रहे है इस ओर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। दादरी हल्के के लिए मैं पहले भी अपील कर चुका हूं कि दादरी सबसे बड़ा उपमण्डल है। यहां शहर के अंदर कोई खेल स्टेडियम नहीं है, इसलिए दादरी शहर में खेल स्टेडियम बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। इसी तरह से मेरे दादरी हल्के में 62 गांव हैं जिनमें से केवल 10 गांवों में खेल स्टेडियम हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा गांवों में खेल स्टेडियम बनाये जायें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं खनन व भू-विज्ञान के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इस बारे में भाई नसीम अहमद जी ने विस्तार से बताया है और बाढड़ा के विधायक जी ने भी चर्चा की कि गैर कानूनी खनन दादरी, तोशाम में हो रहा है। उसको रोकने की तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और उच्च न्यायालय में जाकर खनन को

[श्री राजदीप सिंह फौगाट]

प्रदेश में दोबारा से शुरू करवाया जाए। हमारे उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। ये स्वयं भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हमारे दादरी में 1930 में सी.सी.आई. फैक्ट्री बनी थी जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है। वहां पहले हजारों आदमी नौकरी करते थे। मैं उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस फैक्ट्री को दोबारा से चालू किया जाये। सरकार की तरफ से अब बड़ी घोषणाएं हो रही हैं कि फलां-फलां कार्य किए जायेंगे। 16 दिसम्बर को हमारे मुख्यमंत्री जी भिवानी गये थे। वहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि चरखी दादरी के श्मशान घाट की 11 कनाल 17 मरला भूमि जो कि हुडा विभाग द्वारा अधिग्रहण कर ली गई और उसकी दीवार भी तोड़ दी गई उसको डी नोटिफाई कर दिया जायेगा और श्मशान भूमि की दीवार भी तुरंत बना दी जायेगी। मैं आज वहां के लोगों की एक लैटर मुख्यमंत्री जी के नाम लेकर आया हूं उसको सदन में रखना चाहूंगा क्योंकि वह कार्य आज तक नहीं हुआ है। मैं वह पत्र पढ़कर भी सुनाता हूँ। जो इस प्रकार है-

"सेवा में

श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

विषय : दरखास्त बाबत डी-नोटिफाईड किये जाने शहर चरखी दादरी की अधिग्रहित श्मशान भूमि।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि आपके 16 दिसम्बर 2014 के भिवानी आगमन पर आपने किला संख्या-486, 487, 488 तादादी 11 कनाल 17 मरले रकबा जो श्मशान भूमि का रकबा है उसको अधिग्रहण मुक्त करने की घोषणा की थी। परन्तु इस जमीन को अभी तक डी-नोटिफाईड यानि अधिग्रहण मुक्त नहीं किया गया है। इस बारे एक शिकायत भी लिखित तौर पर आपके पास भेजी गई थी जिस पर तहसीलदार चरखी दादरी ने मौका भी देखकर आपके पास अपनी रिपोर्ट भेजी थी। परन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और न ही जमीन को अधिग्रहण मुक्त किया गया है और जो दीवार तोड़ दी है उसका भी निर्माण करवाया जावे।

लिहाजा दरखास्त पेश करके प्रार्थना है कि श्मशान भूमि की उपरोक्त जमीन को जल्द से जल्द अधिग्रहण मुक्त किया जावे तथा तोड़ी गई दीवार का निर्माण भी करवाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना पत्र दादरी के लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नाम दी है। यह लगभग तीन महीने पुराना केस है। इस पर सरकार तुरंत कार्यवाही करके जल्द से जल्द श्मशान भूमि डी-नोटिफाईड की जाए। धन्यवाद।"

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सही बात ही करूंगा। मैं बजट एस्टीमेट की पेज संख्या-295 और डिमांड संख्या-28 पर बोलना चाहता हूं। इस पेज संख्या पर दो प्रोविजन किए हुए हैं। एक तो देसी गायों के रख-रखाव के लिए एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया हुआ है। दूसरा कुत्ते पालने के लिए भी एक करोड़ रूपये का प्रावधान किया हुआ है। यह पंचकुला में जो पॉली-

क्लीनिक हैं उसके लिए है। हरियाणा के गांवों के कुत्तों का बजट नहीं है। चाहें तो मंत्री जी इसको चैक करवा लें।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू (पेहवा) : स्पीकर सर, मैं डिमाण्ड नम्बर 13, 27 और 33 पर अपनी बात रखना चाहता हूं। सर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी अपना पदभार सम्भालने के बाद से ही अच्छा काम करने के लिए प्रयासरत हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले तीन से साढ़े तीन महीने में हमें पहली बार एक बहुत ही संगीन मामला देखने को मिला जो कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह के दु:खद निधन का था। इस बारे में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारी चर्चायें हुई कि उनके इलाज में किस प्रकार से अनदेखी और लापरवाही की गई। मैं इस घटना का हवाला देते हुए यह बात पूछना चाहता हूं कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है तो एक साधारण आदमी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता होगा? जब भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस केस से सम्बंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ही उनके ऐसे आदेशों को रद्द करने की बात कही। स्वास्थ्य के बारे में मैं यह बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा अपने अंतिम बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल बजट का 3.02 प्रतिशत पैसा रखा गया था और इस साल के बजट में कुल बजट का 2.97 प्रतिशत पैसा रखा गया है जो पिछली बार से भी कम है। मैं माननीय वित्तमंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि इतने कम बजट से वे स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार करेंगे। हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है। जहां-जहां पर डॉक्टरों की कमी है, जहां-जहां पर नर्सों की कमी है और जहां-जहां पर एक्स-रे मशीन ऑपरेटरों की कमी है उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाना बहुत ज्यादा ज़रूरी है। मेरा पेहवा क्षेत्र भी डॉक्टरों, नर्सों और एक्स-रे मशीन ऑपरेटर की कमी से प्रभावित है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो पेहवा में एक्स-रे मशीन ऑपरेटर है उसे मशीन चलाने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। उस समय जनता को काफी परेशानी होती है। इन तमाम बातों पर सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए। खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो पी.जी.आई. के डॉयरैक्टर हैं रोहताश के. यादव जी, वे सिनियोरिटी लिस्ट में 13वें नम्बर पर हैं उनको पी.जी.आई. का डॉयरैक्टर लगाने के लिए सरकार द्वारा 12 लोगों की सिनियोरिटी की अनदेखी की गई है। मैं समझता हूं कि यह भी प्रशासन में पारदर्शिता वाली कोई बात नहीं हुई। इसी प्रकार से डिमाण्ड नम्बर 27 है इसके बारे में भी मेरे कुछ सुझाव हैं। जो सरकार ने जैविक खाद पर VAT घटाने की बात कही है वह बहुत अच्छी बात है। इससे पूर्व की जो सरकार थी वह भी कर रहित बजट लाया करती थी लेकिन बजट सैशन की समाप्ति पर जनता पर तरह-तरह के कर लगा दिये जाते थे। मौजूदा सरकार ने कर रहित बजट लाने का काम किया है। सरकार द्वारा इससे पहले डीज़ल के ऊपर VAT को बढ़ाने का काम भी किया जा चुका है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर किसानों को डीज़ल सस्ता मिलता है। मुझे भी अमेरिका जाने का मौका मिला है वहां पर किसान को डीज़ल सस्ता मिलता है और कारों के लिए डीज़ल महंगा मिलता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश और प्रदेश के स्तर पर भी इस योजना के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी कल हुसैनीवाला में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में गये थे। वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने अपनी स्पीच में फ्लड इरीगेशन का जिक्र किया जिसको किसान पहले करते थे और आज भी करते हैं। उसी प्रकार से पानी का बचाव करने के लिए स्प्रिंक्लर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को अपनाने की बात कही गई है। स्पीकर सर, जो मेरा तजुर्बा है मैं उसके आधार

[श्री जसविन्द्र सिंह संधू]

पर कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम पर सभी सरकारों ने सब्सिडी की घोषणा की है। जितनी सब्सिडी स्प्रिंक्लर सैट्स पर मिलती है, जितनी सब्सिडी ड्रिप इरीगेशन के लिए मिलती है और जितनी सब्सिडी पाईप लाईन डालने के लिए मिलती है उससे ज्यादा सस्ती दर पर किसान को एजेंसी से सीधे ही ये सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो फिर सरकारी सब्सिडी का क्या औचित्य रह जाता है। मुझे अपने खेत में पाईप लाईन बिछवानी थी तो मैंने उसके बारे में कृषि अधिकारियों से बात करके उसकी लागत का पता किया। इस पर मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि जितना खर्च सरकारी सब्सिडी के बाद पाईप लाईन बिछवाने पर आयेगा मैं यह काम सीधे एजेंसी के माध्यम से इससे भी कम रेट पर करवा दूंगा। हमने सीधे एजेंसी से बात करके सरकारी सब्सिडी के बाद जो रेट था उससे भी कम रेट में पाईप लाईन बिछवा दी। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में आपको पारदर्शिता लानी ही पड़ेगी वर्ना हालात बिगड़ते चले जायेंगे। मैं चाहता हूं कि चाहे वह स्प्रिंक्लर सैट्स की खरीद का मामला हो, ड्रिप सिस्टम का मामला हो या कोई अन्य मामला हो प्रदेश के किसान के साथ कोई ठगी न हो इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कारगर कदम उठाने चाहिएं। एक बात मैं और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे नम्बर 65 है जिसको हाल ही में चौड़ा करने की घोषणा की गई है, यह मेरे पेहवा हल्के के साथ-साथ मेरे अपने गांव से भी होकर गुजरता है। इस हाईवे के ऊपर एक साईड में मेरा अपना खेत भी लगता है। सन् 2005 में हरियाली बाज़ार के लिए 21 लाख रूपये प्रति एकड़ की रजिस्ट्री हुई थी। अब मैंने कुरूक्षेत्र के डीलरों से पता किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको 30 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने की बात करेंगे। यहां पर सरकार द्वारा कांग्रेसी विधायकों से कहा गया कि यह सब उनके समय का किया हुआ है। उन्होंने इसको कैबिनैट में पास कर दिया और गजट नोटिफिकेशन अब आपके समय में हुई। इसके लिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि किसानों के साथ यह एक बहुत बड़ी लूट है, धोखा है और ज्यादती है क्योंकि वहां पर आज सवा करोड़ रुपये प्रति एकड़ का रेट है अर्थात् जो यह ज़मीन हाईवे नम्बर 65 पर है उसका आज की डेट में इतना रेट है लेकिन अगर हम वहां के किसानों को 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रेट देते हैं तो यह उनको सरेआम लूटने वाली बात है। इसके बाद मैं सहकारिता के बारे में अपने सुझाव देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आप भी उस सदन के सदस्य थे जिसमें मैं कृषि मंत्री था। माननीय चौटाला साहब ने मेरी अगुवाई में किसानों का एक दल इजराइल भेजा था। आज जो हमारा सहकारिता विभाग है उसकी हालत बहुत खराब है, उसकी वित्तिय स्थिति बिल्कुल खराब है। वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुये हैं और जब इन्होंने बजट पेश किया तो हर एक मद के सामने लिखा हुआ था कि हॉर्टीकल्चर के लिए इतना पैसा दूसरी मदों के लिए इतना पैसा लेकिन जब सहकारिता विभाग का नाम आया तो उसके सामने नहीं लिखा हुआ था कि इस मद में कितना पैसा दिया गया है। पता नहीं वह प्रिंटिंग में गलती है या कोई और कारण है परन्तु सहकारिता विभाग की मद के आगे कोई पैसा नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको एक बार चैक अवश्य कर लें। आजकल जोत बहुत छोटी हो गई हैं। 2 एकड़, 3 एकड़ या 5 एकड़ तक की जोत रह गई हैं। इस हालात में किसान ट्रैक्टर खरीद नहीं सकता है और अगर खरीदता भी है तो वह वॉयबल नहीं है, उसको महंगा पड़ता है। आज से 25-30 साल पहले गांव की जो किसान सोसायटीज थी वे ट्रैक्टर खरीद लेती थी। उनका किराया बहुत कम होता था और जो छोटे किसान थे वे उनसे अपने खेत की अपनी जुताई करवा लिया करते थे। सहकारिता विभाग किसान की अहम कड़ी है और अगर हम चाहते हैं

कि किसान की हालत मजबूत हो और वह फसलों का विविधिकरण भी अपनाए तो सहकारिता को अपनाना बहुत जरूरी है। मैंने इजराईल में देखा है कि वहाँ पर कई-कई गांवों में इकट्ठी खेती की जाती है। उन गांवों का दोपहर का और रात का भोजन भी एक ही जगह इकट्ठा बनता है। उन गांवों की सारी कारें सांझी हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बलवान सिंह (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कट मोशन पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की दिशा दिखाता है। उसके बाद बजट आता है और बजट में योजनाएं दर्शाई जाती हैं। उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मद में राशि का प्रावधान किया जाता है। प्रत्येक सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी और बजट पर भी अपनी-अपनी मांगें रखी हैं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उन सदस्यों को निराशा हाथ लगी और इसीलिए उन्होंने कट मोशन के माध्यम से दोबारा अपनी मांगों से सरकार को अवगत करवाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी को कहना चाहूँगा कि हम तो King Bruce and the Spider की कहानी में विश्वास रखते हैं और वह भी इसलिए कि शायद हमारी मांगों पर कुछ गौर हो जाये। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे मेरी '100 सुनार की और एक लुहार की' वाली कहावत को मान लेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अबकी बार का सत्र बहुत सी अच्छी बातों के लिए याद किया जायेगा। इसमें कुछ इतिहास भी रचे गये हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी ने जो गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक प्रस्तुत किया वास्तव में वह एक इतिहास रच दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी सदन को अच्छी तरह से चलाने और सदस्यों को बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय देने के मामले में इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। जनता यह नहीं देखती कि किस व्यक्ति ने कितने साल तक राज किया बल्कि जनता यह देखती है कि किस व्यक्ति ने क्या-क्या काम किया है। जिस प्रकार से जब हम 'जय जवान, जय किसान' का नारा सुनते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी याद आ जाते हैं, 'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना' का नाम आता है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी याद आ जाते हैं, उसी प्रकार से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर पहली बार किसी ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की बात आती है तो जननायक चौधरी देवीलाल जी याद आते हैं। पूरे हिन्दुस्तान में पहली बार किसी ने बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया तो वे भी चौधरी देवीलाल ही थे। इन लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में इतिहास बनाये हैं। इसी प्रकार से कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी ने भी गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन विधेयक प्रस्तुत करके इतिहास रचा है। इसी प्रकार से वित्त मंत्री महोदय के पास भी इतिहास रचने का एक अच्छा मौका है, ये भी इतिहास बना सकते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक पंक्ति लिखी थी कि 'सबका साथ सबका विकास'।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर सदन की सहमति हो तो बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : हाँ सर, हाँ सर ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2015-2016 की बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण)

श्री बलवान सिंह : सबके विकास के बल पर मैं बजट पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं अगर वास्तव में मंत्री जी इन पंक्तियों के प्रति गम्भीर हैं, संवेदनशील हैं, ईमानदार हैं 19.00 बजे तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि एम.पी. लैड की तरह यहां भी विधायक निधि क्षोष जारी करके एक नया इतिहास रच दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एवरेस्ट के ऊपर लोग झण्डा फहराने जाते हैं, इतिहास बनाने जाते हैं लेकिन वहां रहने कोई नहीं जाता। अगर वित मंत्री जी मेरी मांग को मान लेंगे तो यह भी उनकी एक नया इतिहास रचने वाली बात होगी। इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सर, मेरी दो मांगें है एक मांग संख्या- 21 जो महिला एवं बाल विकास और दूसरी मांग संख्या-13 जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं जिन पर सभी साथियों ने चर्चा भी कर ली है उनकी भावना के साथ अपने आप को जोड़ता हूँ। सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ढाणियों में बहुत बड़ी समस्या है। वहां 30 प्रतिशत लोग ढाणियों में रहते हैं। आदरणीय वित मंत्री महोदय की ससुराल का गांव भी मेरे हल्के के साथ लगता है। यह नेता प्रतिपक्ष के हल्के का गांव है। मैं चारयाला गांव गया तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारा दामाद बहुत दयालु प्रवृति का व्यक्ति है। आप उनके सामने अपनी यह मांग रख देना वह उसको पूरी जरूर कर देंगे। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है और उनकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम प्रत्येक ढ़ाणी को, प्रत्येक गांव को, निःशुल्क बिजली देंगे। इसलिए ढ़ाणियों के लिए भी बजट में प्रावधान करें ताकि इनकी भी बात रह जाए और हमारी भी बात रह जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री मक्खन लाल सिंगला : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-14 - शहरी विकास के बारे बोलना चाहता हूं। इस मांग में शहरी विकास के लिए पर्याप्त राशि प्रस्तावित की गई है बशर्ते इस राशि का राजनैतिक नेताओं के हस्तक्षेप के कारण दुरूपयोग न हो। शहरी विकास में हरियाणा पड़ौसी राज्यों से काफी आगे है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और यह तीनों तरफ से दिल्ली यानि देश की राजधानी के साथ लगता है। शहरों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई राशि का सदुपयोग करने के लिए संबंधित योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थानीय निकाय संस्थाओं का पूर्ण सहयोग लेना अति आवश्यक है। यह भी देखना आवश्यक है कहीं अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वीकृत राशि का दुरूपयोग न करें, बल्कि प्रत्येक पैसे का लाभ शहरों में रहने वाले सभी वर्गों को मिलना चाहिए। 'स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना' के तहत अनेक योजनाएं क्रियान्वित हैं जिनको लागू करना स्थानीय निकाय संस्थाओं का काम है जैसे कि आवासीय योजना, स्लम क्षेत्र विकास योजना जिसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार से पर्याप्त राशि की प्राप्ति होती है, जिसका सदुपयोग किया जाए तो हर वर्ग को सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ये

योजनाएं अति लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक एक मॉनिटरिंग समिति अपनी देख रेख में केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त की गई अनुदान की राशि का भी सही उपयोग करवा सकती है। इसलिए बजट में प्रस्तावित राशि का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम कुप्रबंधन व्यवस्था को समाप्त करें और स्वीकृत राशि का दुरूपयोग न होने दें। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मांग है कि हिसार रोड़ से डबवाली रोड़ तक एक बाईपास बनाया जाए क्योंकि सिरसा में कोई भी बाईपास नहीं है। सिरसा शहर में राजकीय नैशनल महिला महाविद्यालय की एक शाखा है जिसकी इमारत जर्जर हालत में है और जिसका टैंडर भी हो चुका है उसका कार्य आरम्भ कब से होगा ? एक गांव मोडिया शहीदांवाली से सिरसा जाने वाली सड़क की मुरम्मत करवाने का कष्ट करें। सिरसा हल्के में वर्ष 2002-03 में बनी सड़कें जीटी रोड़ एन.एच.-10 से दाया जोधकां, कुकड़थाना, डिंग सड़क की मुरम्मत करवाने का भी कष्ट करें। सिरसा हल्के के गांव बाजेकां में नहर से लेकर वाटर वर्क्स तक पानी सप्लाई करने वाली पाईप लाईन की मुरम्मत करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, सिरसा हल्के के शहर एवं गांवों में नहर द्वारा पीने का पानी दिया जाने की कोई योजना बनाई जाए जिससे शहरवासियों व सिरसा विधान सभा क्षेत्र के गांवों को पानी मुहैया कराया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मक्खन लाल जी, आप अपनी लिखी हुई मांगों को सदन के पटल पर रख दो, इसको सदन की कार्रवाही में शामिल कर लिया जाएगा।

***श्री मक्खन लाल सिंगला :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सिरसा शहर की बाहरी रिहायशी कालोनियों जैसे कि शक्ति नगर, प्रेम नगर पूर्ण रूप से विकसित हैं लेकिन इन कालोनियों में सीवरेज व्यवस्था न होने के कारण गंदगी रहती है। उक्त कालोनियों में सीवरेज की व्यवस्था की जाए। सिरसा हल्के के गांव धिगतानिया में नये वाटर वर्क्स की डिग्गी बनाने की योजना बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सिरसा शहर में आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए सरकार के विचाराधीन योजना के बारे में विवरण सहित बताएं ? सिरसा शहर के बाहरी क्षेत्र में बसी अवैध कालोनियों को वैध किया जाए क्योंकि इन कालोनियों में सरकार ने सभी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क, आदि प्रदान कर रखी है । समय के अनुसार सिरसा की अनाज मंडी को किसी अन्य बड़े स्थान पर स्थानांतरित किया जाए क्योंकि यह अनाज मंडी रिहायशी इलाकों के साथ सटी होने के कारण गेंहू व धान के सीजन के दौरान उड़ने वाली धूल से बिमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है ।सिरसा की सब्जी मंडी में भी अत्यधिक सब्जी की आमद होने के कारण मंडी छोटी पड़ गई है तथा इससे आढ़तियों व किसानों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस सब्जी मण्डी को भी किसी अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। स्पीकर सर, अब मैं मांग संख्या-25 औद्योगिक क्षेत्र पर बोलना चाहता हूं। इस राज्य में पहली बार उद्योग धन्धों का प्रबंधन कर रहे एक राजनेता को वित मंत्री बनाया गया है। आशा तो यह थी कि जो व्यक्ति बजट और उससे जुड़े प्रबंधन को भली-भांति जानता हो वह अपने अनुभव से औद्योगिक क्षेत्र को एक ऐसी दिशा देगा जो प्रदेश के लिए लाभप्रद होगी और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह भी उम्मीद थी कि राजस्व व वित्तीय घाटा घटने के साथ-साथ प्रदेश पर चढ़ा हुआ बेतहाशा कर्ज भी कम होगा। मगर यह बड़े अफसोस की बात है कि सब कुछ आशा के विपरीत हुआ और वित्त मंत्री इस दिशा में लगभग असफल रहे हैं।

---

*चेयर के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही में शामिल किया गया।

[श्री मक्खन लाल सिंगला]

क्योंकि राजस्व घाटा बढ़ने के साथ-साथ कर्जा भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ा है और उद्योगों के लिए सरकार ने कोई औद्योगिक पॉलिसी के बारे में ऐसी घोषणा नहीं की जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 फरवरी 2015 को उद्योगपतियों के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार नई उद्योग नीति 31 मार्च तक घोषित करेगी और उसमें बड़े तथा लघु उद्योगों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए रियायतों का पिटारा खोला जाएगा, परंतु यह एक घोषणा मात्र ही बनकर रह गई। यह हम सबके लिए और खासकर भाजपा की सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, लगभग 6 महीने होने को आए हैं लेकिन अभी तक सरकार केवल "मेक-इन-इंडिया" और "मेक-इन-हरियाणा" नारों तक ही सीमित रह गई है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट यह दर्शाता है कि इन उपरोक्त नारों को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। पिछले 10 वर्षों में नये उद्योग लगने की बजाय बड़े व छोटे उद्योगों का पलायन हुआ है, क्योंकि तत्कालीन सरकार का रवैया उद्योगों के प्रति उदासीन था जिसकी वजह से ही मारूति जैसे उद्योगों में हड़ताल के कारण प्रदेश को आर्थिक नुकसान हुआ है। अगर सरकार का औद्योगिक प्रबंधन सही हो और वित्तीय साधनों का दुरूपयोग न हो तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को उंचा उठाने में उद्योगों का बहुत योगदान होता है। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहां पर बड़े और लघु उद्योगों के लिए उपयुक्त समय और स्थान है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के तीनों तरफ फैला हुआ है जिससे औद्योगिक घरानों के अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण निवेश करना आसान हो जाता है। बेशक विश्व में मंदी का दौर है, परन्तु हमारे देश व प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के लिए आर्थिक तौर पर उभरने की पूरी समर्थता है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें उद्योग में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को प्राथमिकता सबसे पहले हमारे प्रदेश को ही मिलती है। परंतु पिछले 10 वर्षों में सरकार के कुप्रबंधन के कारण उद्योगों का उतना विकास नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। उस समय की सरकार ने सेज (SEZ) के नाम पर सरकारी जमीन, किसानों की जमीन एवं सरकारी साधनों का जमकर दुरूपयोग किया। सेज (SEZ) के लिए टैक्स में कमी सटैम्प ड्यूटी माफ आदि कई सुविधाएं देने के बावजूद भी आज तक भी कोई सेज (SEZ) स्थापित नहीं हुआ। इसका कारण कुप्रबन्धन और साधनों का दुरूपयोग है। अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि उद्योग लगाने के लिए जमीन और राशि की आवश्यकता होती है, परंतु अगर सरकार की नियत ठीक हो, किसान की बंजर भूमि का अधिग्रहण उसकी सहमति से हो और किसान को उसमें भागीदारी देने का प्रावधान हो तो किसी को भी बड़े व लघु उद्योग स्थापित करने में समस्या नहीं होगी।

श्री ओमप्रकाश यादव (नारनौल) : स्पीकर सर, आपने मुझे डिमांड नम्बर-28 और 30 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। ये डिमांड्स पशुपालन एवं डेरी विकास और वन एवं वन्य प्राणी के अधीन व्ययों के बारे में है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि बजट में और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पशुपालन एवं डेरी विकास पर जो विकास राशि बढ़ानी चाहिए थी उसका कोई लम्बा-चौड़ा जिक्र उसमें नहीं किया गया। हरियाणा प्रदेश पर जो भ्रूण हत्या का बदनुमा दाग लगा हुआ है इसके ठीक विपरीत उस दाग को धोने का काम हरियाणा प्रदेश की मुर्रा नस्ल की काली भैंस ने किया है। मुर्रा नस्ल की भैंस ने देश, प्रदेश में ही नहीं बल्कि विश्वेभर में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी उद्योगों में पशुपालन के विकास से नौजवान लोगों को रोजगार मिलने का काम

होगा। यह एक किसानों से जुड़ा हुआ धंधा है पर कम ब्याज पर ऋण देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, पशुओं के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए और जो किसान पशुपालन और डेयरी का काम करते हैं, उनके लिए मुफ्त बीमा की योजना बनाई जाये ताकि किसानों को पशुपालन में किसी प्रकार की दिक्कत न आये। अध्यक्ष महोदय, मुर्रा नस्ल की भैंस को विकसित करने के लिए विशेष प्रबंध करवाये जायें। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को इस धंधे में भी रोजगार मिल सके, इसके लिए इस धंधे को विकसित करने के लिए पशुओं के चारे की अच्छी किस्म को भी बढ़ावा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ पशुओं के सीमन बैंक भी खोले जायें। भैंस की नस्ल के साथ-साथ गांवों की भी नस्ल जैसे साहिवाल आदि को विकसित करने के लिए नई-नई खोज की जायें। मेरे हल्के लोहारू में बहुत सी जगहों पर पशु अस्पतालों के लिए बिल्डिंग बनी हुई हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो अस्पताल बने हुए हैं उनमें डॉक्टरों की व्यवस्था की जाये और ईमानदार अधिकारी भी नियुक्त किये जायें ताकि वे किसानों के साथ मिलकर इस पशुपालन के धंधे में पूरी सहायता कर सकें। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक फॉरेस्ट की बात है, जो पेड़-पौधों की अवैध कटाई की जाती है, उसको रोका जाये और अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाये जायें जिससे भूमि कटाव के साथ-साथ जल स्तर को नीचे जाने पर अंकुश लगेगा। फॉरेस्ट को बढ़ाने से मानव जाति का कल्याण होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक वाईल्ड-लाईफ का सम्बन्ध है, वाईल्ड-लाईफ की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, वाईल्ड-लाईफ में लोग भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध रूप से जानवरों का शिकार करते हैं। इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नीलगाय का सवाल है, मेरा लोहारू विधान सभा क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता है। किसानों की फसल को नीलगाय से बचाने के लिए विशेष तौर पर गौ-संरक्षण या गौ-संवर्धन अभ्यारण्य बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरे हल्के का सम्बन्ध है, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूँगा। अध्यक्ष महोदय, गांव बड़वा के साथ लगता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ही टूटा हुआ है। सड़क टूटने से बहुत से किसानों की चारे से भरी हुई ट्रॉलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय पलट जाती हैं, इसलिए उस रास्ते को भी ठीक किया जाये। लोहारू गांव के कच्चे रास्तों को पक्का किया जाये और गांवों में और खेतों में जो बिजली की लारें लटकी हुई हैं उनको टाईट करने का काम किया जाये। सिवानी क्षेत्र में धने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उसका मुआवजा दिया जाये। आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किया जाये। विदवान ढाणी और आसपास के किसानों को मुआवजा मिल गया है, तथा उसके आस-पास जितना भी इलाका है वहां के लोगों को भी मुआवजा मिल गया है, इसलिए जिन गांवों के किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, उनको मुआवजा दिलवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, लोहारू हलके के बहुत से गांवों में भी बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दिया जाये। सिवानी नगरपालिका में कोई कर्मचारी नहीं है, उसका मुआवजा दिया जाये। सिवानी नगरपालिका में कोई कर्मचारी नहीं है जिससे विकास के सभी काम ठप्प पड़े हुए हैं, इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये। विशेषतौर पर मेरी माँग है कि मनरेगा की स्कीम को किसानी से भी जोड़ा जाये ताकि किसान और मजदूर दोनों का भला हो सके। लोहारू हल्के की नहरें और माईनरें जो कई सालों से टूटी पड़ी हैं उनकी रिपेयर करवाई जाये। सिवानी में सब-डिपो बनाये जाये। नेशनल हाइवे नम्बर-65 पर गांव बड़वा से झूम्पा तक खतरनाक मोड़ हैं, जिनके कारण सैंकड़ों लोगों की दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन खतरनाक मोड़ों को ठीक किया जाये ताकि लोगों की कीमती जान को बचाया जा सके। पिछली सरकार ने बागवानी स्कीम में सब्सिडी शुरू की थी और

[श्री ओमप्रकाश यादव]

बहुत से लोगों ने पाइप खरीदने के लिये आवेदन भी किया था। लेकिन उनको सब्सिडी नहीं मिली है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकारियों ने बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बागवानी स्कीम की जाँच करवाई जानी चाहिए। सिवानी क्षेत्र में बसों की व्यवस्था ना होने के कारण छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिये आने-जाने में काफी परेशानी होती है। कांग्रेस सरकार ने बी.पी.एल. परिवार के लोगों को बिजली के मुफ्त मीटर लगवाने का काम किया था। परन्त गरीब आदमी के जो बिजली के बिल ज्यादा आये हैं, उन बिजली के बिलों को भी ठीक किया जाये। ट्यूबवैल के कनैक्शन फिर से चालू किये जायें। पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाये। बिजली की आपूर्ति किसानों के लिये बढ़ाई जाये और ढाणियों में भी बिजली की व्यवस्था की जाये। मतानी मिट्ठी माईनर की मरम्मत करके टेल तक पानी पहुँचाया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड नम्बर-32, डिमांड नम्बर-38 और डिमांड नम्बर-40 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, डिमांड नम्बर-32 पर मैं अपने निजी तजुर्बे से कहना चाहूँगा और सदन के नेता और माननीय कृषि मंत्री के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पंचायतों की राशि चाहे डी-प्लान से जा रही है चाहे मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड से जा रही है या किसी अन्य फंड से जा रही है, आज की तारीख में मेवात जिले को पिछले कुछ सालों के कार्यों का न तो कोई एस्टीमेट, न कोई वर्क ऑर्डर है, न कोई टैंडर है और न ही किसी प्रकार का रिकॉर्ड है। मेवात में पिछले सालों में अरबों रुपया कहां खर्च हुआ कहाँ खर्च नहीं हुआ, इस प्रकार पंचायत के रिकॉर्ड की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपायुक्त महोदय से फोन करके पता लगा सकते हैं। यह कायदे कानून के हिसाब से बहुत जरूरी है क्योंकि यह लोगों के खून पसीने की कमाई है। इस तरह से घर के पैसों को भी आदमी खर्च नहीं कर सकता है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड को तवज्जो दी गई है, यह सरकार का सराहनीय कदम है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड में इंडीपैंडैंट सी.ई.ओ. लगाया जाये, जिससे मेवात का काम-काज ठीक ढंग से चल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करता हूँ कि यह कार्य सत्र समाप्त होते ही करें। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य श्री बलवान जी ने कहा है कि दैनिक जागरण अखबार में दिनांक 5 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवाने के लिये 5-5 करोड़ रुपये स्वैच्छिक कोटे से दिये जायेंगे। (विघ्न) सत्ता पक्ष के विधायकों को तो सरजीह सरकार से मिलती होगी, वह अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बछड़ों और कटड़ों में फर्क वाली हंसी की बात सदन में कह रहे थे। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि बछड़े और कटड़े अलग होंगे तो सभी बछड़ों और कटड़ों को एक ही दर्जे में रखकर सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये अलॉट किये जायें।

श्री अध्यक्ष : पहले वर्ष 2000 में प्रतिपक्ष की ओर से विरोध होता रहा और वर्ष 2005 में कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध होता रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जब सदन में इस तरह की हंसी की बात चल रही है तो मेरा भी मन एक बात कहने को कर रहा है कि 5 फरवरी के 9 दिन बाद वैलेंटाईन-डे आता है, उस समय इस तरह की बातें हो जाती हैं।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, माननीय सदन के नेता ने एक बहुत अच्छी बात कही है। हमारा विचार है कि यदि आप इस पर अमल करेंगे तो और अधिक अच्छा होगा। मैंने भी अपने हल्के से संबंधित डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 फरवरी को दी है। मैं अपील करता हूं कि वे उस पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करें। आप इस भारी धांधलेबाजी के खिलाफ तत्काल इन्कवायरी के ऑर्डर करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तीन बड़े-बड़े गांव हैं घसेड़ा, मालाभोरा और खेड़ा। यहां सैंकड़ों करोड़ रूपये का घपला किया गया है। इसके लिए सरकार इन्कवायरी के ऑर्डर करें। हमारे हरियाणा प्रदेश में बार-बार माईनिंग की चर्चा होती रहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत आदेश करता है और हमारी संसद को इस पर लैजिसलेशन बनाने का अख्तियार है। मेवात जिले के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल है और यह उनके रोजगार से जुड़ा हुआ विषय भी है। अध्यक्ष जी, हम पूरे हरियाणा की चिंता करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करता हूं कि माननीय सदन एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लोकसभा और राज्यसभा से अमेंड करने के लिए लैजिसलेशन लाया जा सके। जब राजस्थान में अरावली पर माईनिंग हो रही है तो हरियाणा में भी माईनिंग की जाए। हरियाणा विधानसभा को यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। ऐसा करने पर ही साबित होगा कि हम इस प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं और हम रोजगार सृजन के लिए जागरूक हैं। 4 दिसम्बर, 2014 को अधिग्रहण के बारे में नीति बनी थी जिसमें बताया गया कि इसका सौ प्रतिशत समाधान किया जाएगा लेकिन आज किसानों को 30% सोलेशियम दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सिरसा जिले के किसानों की जमीन नेशनल हाईवे के लिए एक्वायर हो रही है और परसों यानि 26 तारीख से 30 तारीख तक उनकी जमीन का अवार्ड होगा। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अधिकारियों ने किसानों से जमीन अधिग्रहण करते समय साफ कहा है कि हम 30% सोलेशियम देंगे। यह हमारे किसानों पर बहुत ज्यादती है। इसको 100% किया जाना चाहिए। आज माननीय पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मेवात क्षेत्र में रैनीवैल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सप्लाई की जा रही है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि रैनीवैल से पूरे मेवात में पानी नहीं दिया जा रहा है। यह उन्हीं का रिकार्ड है। सर, कुल 140 गांवों को पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट ने ट्यूबवैल्स सैगमेंट में रखा है। विभाग के अनुसार यहां पर 448 ट्यूबवैल्स हैं जिनमें से 310 ठीक तरह से काम कर रहे हैं और 138 ट्यूबवैल खराब हैं। खराब ट्यूबवैल्स में सामान्य मेंटेनैंस के अलावा ज्यादा काम नहीं हो रहा है। उस क्षेत्र का पानी बदल रहा है और वह खारा पानी बन रहा है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मेवात में जहां ट्यूबवैल्स का पानी बदल रहा है वहां पर आर.ओ. सिस्टम लगाए जाएं। यह सोशल वेलफेयर का काम है और यह इलाका गरीब है इसलिए लोगों से इसके पैसे न लिये जाए। इसका खर्च स्वयं पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट को वहन करना चाहिए। पीने का पानी तो एक जनसेवा है। आज मेवात में अगर कोई व्यक्ति मर रहा है और वह किसी दवाई से ठीक हो सकता है परंतु अगर आप उसके सामने पानी और दवाई में से एक ऑप्शन रखें तो वह पीने का पानी और नहरी पानी मांगेगा। वह अपनी मृत्यु को स्वीकार करेगा लेकिन दवाई नहीं लेगा क्योंकि उसे पीने का पानी और नहरी पानी चाहिए। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी आने वाली पीढ़ियों की फिक्र है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर आर.ओ. सिस्टम लगाए जाएं जिससे वहां पर शुद्ध पानी मिल सके और उस क्षेत्र की डिवैल्पमेंट हो सके। मैडिकल कॉलेज में आर.ओ. सिस्टम लगाए गये हैं। जब मेडिकल कॉलेज में आर.ओ. सिस्टम लगाया गया है तो इसका अर्थ यह है कि वहां का पानी ठीक नहीं है और हर जगह पर आर.ओ. सिस्टम लगाने की जरूरत है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप वाइंड अप कर लीजिए। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष जी, आपको मैं इतनी बढ़िया बात बता रहा हूं कि अब से पहले यह सदन में किसी सदस्य ने नहीं कही होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटला झील को पुनर्जीवित करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इस झील का एक्सटेंशन करके इसे पब्लिक हैल्थ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेवात फीडर कैनाल भी पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल की जाएगी, यह भी सरकार के मोटिव में है। यह बात माननीय मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के संज्ञान में है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। बिजली विभाग का सदन में बार बार जिक्र आया है। बिजली विभाग ने तो वह बात कर रखी है कि offence is the best defence. जब कोई भी आदमी उनके विभाग में जाता है तो वे गला पकड़ने के लिए भागते हैं। उसमें चाहे किसी पार्टी के विधायक हो चाहे कोई और हो। हम मीटिंग में अक्सर यह बात सुनते हैं कि अधिकारी यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि बिजली विभाग में लाईन लौसिज ज्यादा हैं। सर, लाईन लौसिज तो सारे हरियाणा में हैं। लेकिन जब इन्डिविजुएली हम बिजली की मांग करते हैं तो यह कह दिया जाता है कि लाईन लौसिज हैं। बिजली विभाग में लाईन लौसिज अकेले मेवात जिले में नहीं हैं, हरियाणा के दूसरे जिलों में मेवात से ज्यादा लाईन लौसिज हैं। सर, अपराध के मामले में हरियाणा के 21 जिलों में मेवात 17वें नम्बर पर है और सबसे नीचे फतेहाबाद जिला है । इसी तरह से लाईन लौसिज में हरियाणा के कई जिले मेवात से ऊपर हैं। कई जिले रिकवरी में मेवात से ऊपर हैं जहां पर रिकवरी होनी अभी बाकी है। सर, मेवात जिले के साथ जो ज्यादती हुई है उसके बारे में मैं सदन में एक नोटिस पढ़कर सुनाता हूं जो बिजली विभाग द्वारा निकाला गया था। जब मैंने बिजली विभाग के एस.ई., पलवल से खुद दूरभाष पर बात की और इस नोटिस के बारे में पूछताछ की कि क्या इस प्रकार का नोटिस आपके कार्यालय द्वारा निकाला गया है तो एस.ई. साहब ने इस नोटिस के बारे में साफ मना कर दिया कि इस प्रकार का कोई नोटिस उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। सर, इस प्रकार के नोटिस निकाल कर पूरे प्रदेश के लोगों से किस प्रकार से पैसा लूटा गया है। सर, अनअथोराईज्ड कालोनिज में बिजली का कनैक्शन देने के लिए कन्जूमर्स से डिवलपमैंट चार्जिज लिए जाते हैं। इस प्रकार से उन कन्जूमर्स से बड़ी मारी लूट खसौट हुई है। जब इस नोटिस के बारे में एस.ई. पलवल से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस प्रकार का नोटिस उनके कार्यालय से जारी नहीं हुआ है। यह नोटिस दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एस.ई. कॉमर्शिएल, डी.एच.बी.वी.नि. हिसार ने सी.जे.एम. आडिट, डी.एच.बी.वी.नि. हिसार को दिनांक 21.01.2014 को लिखा है जिसमें लिखा गया है कि Release of connection in unauthorized colonies' levy of developmental charges. In this connection, it is clarified that the instructions regarding developmental charges for release of connection in unauthorized colonies are withdrawn. Not only for 543 colonies but also withdrawn for all new connections in the unauthorized colonies. सर, इस प्रकार से इस प्रदेश के लोगों से अरबों रूपया अनअथोराईज्ड तरीके से बिजली विभाग ने लिया है। सर, इस मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए और जिस प्रकार से गरीब जनता से यह पैसा लूटा गया है उसमें जो दोषी अधिकारी पाये जाएं उनको सजा दी जानी चाहिए। सर, कहने को तो और बहुत कुछ है लेकिन आपकी बात सिर माथे पर। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री करण सिंह दलाल : सर, विपक्षी पार्टी के सदस्य ये कट मोशंज सरकार के खिलाफ लेकर आये हैं ? क्या सरकारी पक्ष के सदस्य इन कट मोशंज पर बोल सकते हैं ? सर, इस प्रकार की बात विधान सभा के रूल्ज में तो नहीं हैं। आप इस प्रकार से सदन में रूल्ज से बाहर की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, तेजपाल जी तो डिमाण्ड पर बोलेंगे, कट मोशंज पर नहीं बोलेंगे। आप प्लीज, बैठ जाईये और इनको बोलने दें।

श्री करण सिंह दलाल : सर, क्या माननीय सदस्य तेजपाल जी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे ? सर, ऐसे रूल्ज को खराब नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके जितने कट मोशंज थे उन पर चर्चा हो चुकी है अब आप बैठ जाईये।

श्री तेजपाल सिंह तंवर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी ने तो हमारे को पिछले कई सालों से बोलने का मौका ही नहीं दिया। इसलिए मुझे बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : अब विभिन्न डिमाण्डज तथा कटौती प्रस्ताव को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाता है।

मांग संख्या 1 एवं 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 65,56,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 1-विधानसभा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 106,51,50,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या 3

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 3 पर कटौती प्रस्ताव नं. 1 जोकि सर्व श्री करण सिंह दलाल, परमिन्द्र सिंह ढुल , बलकौर सिंह और केहर सिंह विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सामान्य प्रशासन के बारे में **मांग संख्या 3** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 85,99,70,000/- रुपये** में क्रमश: 1 रुपये और 5 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 1 अस्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 201,33,10,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ ।

मांग संख्या - 4

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 4 पर कटौती प्रस्ताव नं. 2 जोकि सर्वश्री बलकौर सिंह और केहर सिंह विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि राजस्व के बारे में **मांग संख्या 4** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 515,65,70,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 2 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 1002,42,70,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 4-राजस्व** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 5 से 7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 207,79,16,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 5-आबकारी व कराधान** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 5971,81,60,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल

महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 6-वित्त** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 407,81,78,600 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 7-आयोजना एवं सांख्यिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 8

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या- 8 पर कटौती प्रस्ताव नं. 3 जोकि सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल, परमिन्द्र सिंह ढुल, नगेन्द्र भड़ाना तथा रणबीर गंगवा विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि भवन तथा सड़कों के बारे में **मांग संख्या 8** की राजस्व खर्च के लिए राशि **12,28,83,87,000/- रुपये** में क्रमश: 1 रुपये और 5 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 3 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 1228,78,87,000 रुपये** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 2432,76,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 8- भवन तथा सड़कें** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या-9

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव नं. 4 जोकि सर्वश्री नसीम अहमद, वेद भारंग, अनूप धानक तथा श्रीमती नैना सिंह चौटाला विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि शिक्षा के बारे में **मांग संख्या 9** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 11440,65,66,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 4 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 11440,65,66,000/- रुपये** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 27,20,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 9-शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या-10

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 10 पर कटौती प्रस्ताव नं. 5 जोकि श्री रामचन्द कम्बोज, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि तकनीकी शिक्षा के बारे **में मांग संख्या 10 की राजस्व खर्च के लिए राशि 464,71,90,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 5 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 464,71,90,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 10-तकनीकी शिक्षा** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या-11

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 11 पर कटौती प्रस्ताव नं. 6 जोकि श्री राजदीप फौगाट, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि खेल एवं युवा कल्याण के बारे में **मांग संख्या-11 की राजस्व खर्च के लिए राशि 265,89,74,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 6 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 265,89,74,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 11-**

खेलकूद तथा युवा कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या-12

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 13,09,02,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 12- कला एवं संस्कृति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आऐंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या-13

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 13 पर कटौती प्रस्ताव नं. 7 जोकि सर्वश्री नसीम अहमद, जसविन्द्र सिंह संधू, पिरथी सिंह, बलवान सिंह दौलतपुरिया तथा हरिचंद मिड्ढा, विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि स्वास्थ्य के बारे में **मांग संख्या 13** की **राजस्व खर्च के लिए** राशियों **2989,31,11,000/-** तथा **180,68,63,000/-** रुपये में **1 रुपये** की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 7 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 2989,03,01,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 13- स्वास्थ्य** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या-14

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 14 पर कटौती प्रस्ताव नं. 8 जोकि श्री मक्खन लाल, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि शहरी विकास के बारे में **मांग संख्या 14** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 168,38,84,000/-** रुपये में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 8 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 168,38,84,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 1025,00,00,000/- रूपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 14- नगर विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 15

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 15 पर कटौती प्रस्ताव नं. 9 जोकि श्री नगेन्द्र भडाना, विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि स्थानीय शासन के बारे में **मांग संख्या 15** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 2215,98,17,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 9 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 2217,19,37,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 15- स्थानीय शासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 16 से 18

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 48,47,10,000/- रुपये** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 2,00,10,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 16- श्रम** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 78,76,65,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 17- रोजगार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 241,53,75,000/- रुपये** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 46,71,50,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को

चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 18- औद्योगिक प्रशिक्षण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 19

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव नं. 10 जोकि श्री पिरथी सिंह, विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के बारे में **मांग संख्या 19** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 365,19,20,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 10 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 365,19,20,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 3,60,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 19- अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग** के कल्याण के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 20

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 3630,57,46,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 1,41,50,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 20- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 21

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव नं. 11 जोकि श्रीमती मैना सिंह चौटाला तथा श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि महिला एवं बाल विकास के बारे में मांग संख्या 21 की राजस्व खर्च के लिए राशि 981,33,79,000/- रुपये में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 11 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 981,33,79,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 213,74,50,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 21- महिला एवं बाल विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 22 एवं 23

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 86,49,71,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 22- भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आऐंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 318,05,42,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 9369,37,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 23 - खाद्य एवं पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 24

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव नं. 12 जोकि सर्वश्री करण सिंह दलाल तथा परमिन्द्र सिंह ढुल विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सिंचाई के बारे में **मांग संख्या 24 की राजस्व खर्च के लिए राशि 1717,22,26,000/- रुपये** में क्रमश: 1 रुपये तथा 5 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 12 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 1717,22,26,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 550,20,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 24- सिंचाई** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 25

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 25 पर कटौती प्रस्ताव नं. 13 जोकि श्री मक्खन लाल, विधायक द्वारा दिया गया हैं, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि उद्योग के बारे में **मांग संख्या 25** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 126,20,77,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 13 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 126,20,77,000/- रुपये** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए 7,42,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 25- उद्योग** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 26

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव नं. 14 जोकि श्री राजदीप फौगाट, विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि खनन एवं भूविज्ञान के बारे में मांग संख्या 26 की राजस्व खर्च के लिए राशि 13,09,00,000/- रुपये में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 14 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 13,09,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 26-खान**

[श्री अध्यक्ष]

एवं भूविज्ञान के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 27

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 27 पर कटौती प्रस्ताव नं. 15 जोकि सर्वश्री करण सिंह दलाल, परमिन्द्र सिंह ढुल तथा जसविन्द्र सिंह संधू विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि कृषि के बारे में मांग संख्या 27 की राजस्व खर्च के लिए राशियों 12,41,02,75,000/- तथा 336,95,00,000/- रुपये में क्रमश: 1 रुपये तथा 5 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 15 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि राजस्व खर्च के लिए 1240,56,75,000/- रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग संख्या 27- कृषि के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 28

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्ताव नं. 16 जोकि श्री ओम प्रकाश बरवा, विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि पशु पालन एवं डेयरी विकास के बारे में मांग संख्या 28 की राजस्व खर्च के लिए राशि 664,72,00,000/- रुपये में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 16 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि राजस्व खर्च के लिए 666,06,00,000/- रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 20,00,00,000/- रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग संख्या 28- पशु पालन एवं डेयरी विकास के

अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 29

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 46,58,05,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 29- मछली पालन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 30

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव नं. 17 जोकि श्री ओम प्रकाश बरवा, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि वन एवं वन्य प्राणी के बारे में **मांग संख्या 30** की **राजस्व खर्च के लिए राशि 401,33,31,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 17 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 400,13,31,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 30- वन एवं वन्य प्राणी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 31

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 6,97,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 31- परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 32

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 32 पर कटौती प्रस्ताव नं. 18 जोकि श्री जाकिर हुसैन, विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के बारे में **मांग संख्या 32 की राजस्व खर्च के लिए राशि 2001,28,72,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 18 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 2945,76,17,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 32 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 33

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्ताव नं. 19 जोकि श्री हरि चंद मिड्ढा विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि सहकारिता के बारे में **मांग संख्या 33 की राजस्व खर्च के लिए राशि 217,57,18,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 19 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि राजस्व खर्च के लिए 217,54,68,000/- रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 54,95,00,000/- रुपये से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो मांग संख्या 33- सहकारिता के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 34

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव नं. 20 जोकि श्री राम चन्द्र कम्बोज, विधायक द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि परिवहन के बारे में **मांग संख्या 34** की **राजस्व खर्च** के लिए राशि **2030,78,08,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 20 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 2055,27,40,000/- रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 210,85,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 34- परिवहन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 35 से 37

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 3,52,85,000 तथा पूंजीगत खर्च के लिए 31,90,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 35- पर्यटन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 2914,35,62,000 तथा पूंजीगत खर्च के लिए 120,00,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 36- गृह** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 58,90,55,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 37- निर्वाचन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 38

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 38 पर कटौती प्रस्ताव नं. 21 जोकि श्री जाकिर हुसैन, विधायक द्वारा दिया गया है, को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि लोक स्वास्थ्य एवं जल पूर्ति के बारे में **मांग संख्या 38** की **राजस्व खर्च** के लिए राशि **1637,33,30,000/- रुपये** में 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 21 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 1637,33,30,000/- रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1034,22,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 38- लोक स्वास्थ्य एवं जल पूर्ति** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 39

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 120,74,00,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सख्या 39- सूचना एवं प्रचार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

मांग संख्या- 40

श्री अध्यक्ष : अब मैं मांग संख्या 40 पर कटौती प्रस्ताव नं. 22 जोकि सर्वश्री परमिन्द्र सिंह ढुल, जाकिर हुसैन तथा रणबीर गंगवा, विधायकों द्वारा दिया गया है को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि उर्जा एवं विद्युत के बारे में **मांग संख्या 40 की राजस्व खर्च के लिए राशियों 5676,24,77,000/- तथा 21,99,30,000 रुपये** में क्रमश: 5 रुपये तथा 1 रुपये की कमी की जाए।

कटौती प्रस्ताव नं. 22 अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 5676,24,77,000/- रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 300,00,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 40-उर्जा एवं विद्युत** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय 5 मिन्ट के लिए बढ़ाया जाता है।

बजट 2015-16 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भण)

मांग संख्या- 41 से 45

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि **राजस्व खर्च के लिए 55,58,40,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 3,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 41- इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 435,13,53,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग सं. 42- न्याय प्रशासन** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 182,05,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 43- कारागार** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 38,05,25,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए 5,74,00,000/- रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 44- मुद्रण एवं लेखन सामग्री** के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

कि **राजस्व खर्च के लिए 1366,77,10,000 रुपये** से अनधिक धनराशि राज्यपाल महोदय को उन खर्चों को चुकाने के लिए प्रदान की जाए जो **मांग संख्या 45- राज्य सरकार** द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के अधीन व्ययों के बारे में वर्ष 2015-2016 के भुगतान के क्रम में आयेंगी।

प्रस्ताव पास हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब यह सदन दिनांक 25 मार्च, 2015, प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*07.31 बजे **(तत्पश्चात सदन की बैठक बुधवार 25 मार्च, 2015, प्रात: 10.00 बजे तक स्थगित हुई।)***

53459—H.V.S.—H.G.P., CHD.